खण्ड-104, अंक-5
शुक्रवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1874
(18 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 104 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इर्तजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती , श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
जगतनारायण श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल , श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डाल चन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री

दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महो लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राज किशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चरन लाल गंगवार, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री

राम दास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ तिवारी, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम राज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन मिश्र, श्री
राम लाल, श्री
राम वचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविदासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेख राज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंसी दास धनगर, श्री
वंश धर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल शर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिव राज सिंह यादव, श्री
शिव राम पांडेय, श्री
शिव राम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव स्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती

सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हर दयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर सहाय, गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--[२५ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४-५--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[२५ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

मौजा सैनोडाडा, जिला अलमोड़ा में पानी का प्रबन्ध

*६--श्री खुशीराम (जिला अलमोड़ा)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेंगी कि जिला अलमोड़ा के चम्पावत तहसील के पट्टी तारपाल बलोन में कोई सनैडाडा कटौती नामक ग्राम है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--सनैडाडा नहीं, किन्तु सैनोडाडा नामक एक मौजा है।

*७--श्री खुशीराम--क्या सरकार को विदित है कि इन ग्रामों के निवासियों के पीने व सिंचाई के लिये पानी के कष्ट निवारण के हेतु दो-तीन साल से लिखा-पढ़ी चल रही है और पानी को गांव में लाने के बाबत नाप तौल भी हो चुकी है?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*८--श्री खुशीराम--क्या सरकार कृपा करके बतलायेंगी कि अब उन ग्रामों के लिये पीने का पानी लाने के निमित्त क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सीताराम--इस योजना पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनोडाडा गांव में गर्मियों के दिनों में पीने के लिये पानी कितनी दूर से लाया जाता है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--इसकी इत्तिला सरकार को नहीं है।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस कार्यवाही में क्यों देर हो रही है ?

डाक्टर सीताराम--इसलिये देर हो रही है कि वहां के निवासी सरकार को सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री खुशीराम--पानी का प्रबन्ध हो जाने की कब तक आशा की जाय ?

डाक्टर सीताराम--जब वहां के निवासी जैसा कि सरकारी विधान है उस विधान के मुताबिक २/३ फंड दे देंगे उस समय सरकार पूरा सहयोग देगी और तब जाकर उनकी यह तकलीफ दूर हो जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या जब २/३ रुपया हम जमा कर लेंगे तो उसके बाद फौरन ही सरकार बाकी रुपया देने के लिये तैयार होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलायेगी कि जहां के लोग पैसा न दें वहां के लोगों के लिये पानी पीने के लिये सरकारी सहयोग न होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो नियम है वह तो यही है, लेकिन विशेष स्थिति में सरकार मदद कर सकती है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--मैं जानना चाहूंगी कि सरकार ने जनता से धन इकट्ठा करने के लिये क्या कोशिश की ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसमें तो जनता के लोगों को कार्यवाही करनी चाहिये।

*९-११--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--[२५ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

शिक्षा संबंधी प्रशासन तथा निरीक्षण को पृथक करने की योजना

*१२--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या यह सत्य है कि प्रादेशिक सरकार के शिक्षा विभाग ने सन् १९४९ में जिलों में शिक्षा संबंधी प्रशासन तथा निरीक्षण को अलग अलग करने के लिये प्रत्येक जिला बोर्ड में एक सुपरिन्टेंडेंट रखने तथा वर्तमान डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को असिस्टेंट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल बनाने का निश्चय किया था ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, यह निर्णय सन् १९५१ में लिया गया था।

*१३--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि एक वर्ष से अधिक हुआ विभिन्न जिलों के लिये पर्याप्त संख्या में शिक्षा सुपरिन्टेन्डेंटों का चुनाव भी कर लिया गया था ? यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वित करने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, चुनाव निकट भविष्य में किया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ एजूकेशन से सूचना प्राप्त करके जवाब दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जो जवाब दिया गया है क्या उसके माने यह हैं कि कुछ जिलों के लिये शिक्षा सुपरिटेंडेंटों का चुनाव हो गया और बाकी जिलों का बाकी है या बिल्कुल चुनाव ही नहीं हुआ ?

डाक्टर सीताराम--बिल्कुल चुनाव नहीं हुआ।

*१४-१६--श्री राजनारायण (जिला बनारस)--[२५ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१८--श्री कालीचरण टन्डन (जिला फर्रुखाबाद)--[१ अगस्त, १९५२ के लिए स्थगित किये गए।]

*१९-२१--श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--[८ अगस्त, १९५२ के लिए स्थगित किये गए।]

अल्मोड़ा जिले के ग्रामों में पानी की कमी दूर करने के लिये सरकारी सहायता

*२२--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या यह सच है कि अल्मोड़ा जिले के बहुत से ग्रामों में पानी का बड़ा कष्ट है? यदि हां, तो सरकार इस कष्ट के निवारणार्थ क्या उपाय कर रही है?

डाक्टर सीताराम--जी हां, शासन के स्वशासन विभाग द्वारा १९५१-५२ में पीने के पानी के कार्य के लिये १०,००० रुपये की धनराशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त हरिजन सहायक विभाग ने भी ४,००० रुपये की धनराशि उसी वर्ष प्रदान की।

*२३--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिला पट्टी रीठागढ़ के तरमोली ग्राम में पीने के पानी के कष्ट का प्रश्न चार-पांच वर्ष से जिले के अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित किया गया है और उस ग्राम के निवासियों ने यह भी स्वीकार किया है कि वे इस सम्बन्ध में जो भी नियम हों, उनका पालन करने के लिए तैयार हैं।

डाक्टर सीताराम--जी हां, इस प्रश्न पर विचार अवश्य किया गया और शासन द्वारा अनुदान भी स्वीकृत हुआ, परन्तु वहां के निवासियों ने इस अनुदान सम्बन्धी नियमों को स्वीकार नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को यह विश्वास है कि केवल १४ हजार से गांव की पानी की समस्या हल हो जायगी?

श्री हरगोविन्द सिंह--जितना अनुदान दिया गया था, उसके अलावा यदि कुछ की और आवश्यकता होती तो सरकार देती बशर्ते कि वहां के गांव वाले भी उसमें सहयोग देते।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह सूचना जो तरमोली ग्राम वालों के पास भेजी गयी वह किस प्रकार से भेजी गयी?

श्री हरगोविन्द सिंह--वहां के अधिकारियों द्वारा भेजी गयी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बतायेगी कि किसी पहाड़ के ऊपर पानी पहुंचाने के लिये जितना एस्टीमेट बनता है, उसका २/३ रुपया नगदी रूप में जमा करना होगा, या वहां के आदमियों से काम करा के रुपया वसूल किया जा सकता है?

श्री हरगोविन्द सिंह--दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

*२४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

डाक्टर सीताराम--कुछ नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास ऐसी कोई विशेष सूचना है कि जिसके अनुसार यह जाना जा सके कि तरमोली ग्राम के निवासियों ने अनुदान स्वयं स्वीकार नहीं किया?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि क्या कारण है कि वहां के बसने वाले पानी की दिक्कतों को सहते जाते हैं और सहयोग नहीं देते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका कारण तो वहां लोग बतला सकते हैं।

*२५-२७---श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---[१ अगस्त, १९५२ के लिए स्थगित किये गये।]

विधान परिषद् के समान विधान सभा के सब सदस्यों को प्रश्नों के उत्तर वितरण करने का सुझाव

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) ---मेरा आप से एक अनुरोध है कि जिस तरह से कौंसिल में प्रश्नों के उत्तर सब सदस्यों को बांटे जाते हैं यदि यहां भी बांटे जायं तो बड़ी कृपा होगी।

अध्यक्ष---इसके संबंध में कई मर्तबा प्रश्न उठा है, लेकिन प्रेस की जो व्यवस्था है और प्रश्नों के उत्तर जो सरकार के पास से आते हैं, उसमें जो समय रहता है उसके अनुसार इतने सदस्यों को यह सुविधा दी नहीं जा सकती है। अगर किसी प्रकार से सरकार प्रेस के विस्तार को बढ़ाये और सहूलियत दे सके, तो मैं उसके बारे में उनसे विचार-विनिमय करूंगा।

कतिपय प्रश्नों के कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति

श्री धनुषधारी पांडे (जिला बस्ती)---श्रीमान् जी, प्रश्न १ से लेकर ३ तक, जो २५ तारीख तक के लिये स्थगित किये गये हैं, वे कार्यक्रम में नहीं आये हैं।

अध्यक्ष---ऐसा है कि गृहमंत्री के बीमार होने की वजह से इन प्रश्नों को अगले हफ्ते में रखा गया है जब गृहमंत्री का दिवस होगा।

प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने प्रक्रिया नियमावली के नियम ४२ के अंतर्गत आपको एक नोट लिखकर भेजा था कि जो मैंने १५ तारीख को प्रश्न उपस्थित किये थे उनके जो उत्तर दिये गये हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। उसका उत्तर मुझे नहीं मिला।

अध्यक्ष---मेरे पास आपकी सूचना आगई है, लेकिन नियम यह है कि आप यह बतलायें कि किस प्रकार से आप समझते हैं कि प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं दिया गया है या छिपाने की कोशिश की गई है। मैंने आप से यह प्रश्न पूछा है। इस वक्त उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। कृपया इसके लिये आप स्पष्टीकरण भेजें, तब उत्तर दिया जा सकता है। इस तरह से पत्र-व्यवहार जो (माननीय सदस्य) अध्यक्ष से करते हैं उसकी चर्चा यहां भवन में नहीं होनी चाहिये। इसका उत्तर जब आपको मिल जायगा तब भवन में आप सवाल उठा सकते हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह---मुझे किसी किस्म की सूचना नहीं मिली, इसलिये मैंने पूछा।

अध्यक्ष---कल आपके पास पत्र भेजा गया है।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

अध्यक्ष---वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव है। उसमें दो दिन में सात अनुदान लिये जायेंगे। मैं ये अनुदान दो दिन में लेना चाहूंगा। माननीय सदस्य समय के विषय पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज और कल के लिये रक्खे गये हैं, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उनको इस तरह से विभाजित कर दिया जाय---

शिक्षा मंत्री के अनुदान हैं १८ और ४०, उनको आज ले लिया जाय और तमाम

समय उन पर रक्खा जाय क्योंकि इन दोनों अनुदानों के लिये बहुत ज्यादा कटौती के प्रस्ताव आये हैं जिससे मालूम होता है कि माननीय सदस्य इनमें भाग लेना चाहते हैं और दिलचस्पी रखते हैं और बाकी जो निर्माण मंत्री के अनुदान हैं वे कल के लिये रख दिये जायं। वैज्ञानिक विभाग पर कटौती भी नहीं आई है और यह अनुदान संख्या १७ छोटा सा अनुदान ३५, ००० रुपये का है जो जल्दी ही पास हो जायगा। इसलिये आज कुल समय शिक्षा मंत्री को दिया जाय और अनुदान संख्या १८ और ४० दोनों एक साथ ले लिए जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—जो सुझाव श्री केशव गुप्त ने रक्खा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह चाहता हूं कि शिक्षा के जितने अनुदान हैं वे आज ले लिए जायं और कल का शिल्प निर्माण कार्य के लिये रक्खा जाय।

निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारी लाल)—मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष—मैं शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इसमें अनुदान संख्या १७ जो सातवें नम्बर पर है (वैज्ञानिक विभाग) इसमें ३५ हजार रुपये की रकम दी हुई है। क्या इस सदन को इस पर भी मत देना है या जो पिछले ४ महीने में खर्चा हुआ है वह रक्खा गया है और गलती से यहां आ गया है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह—शायद गलती से नहीं आया है। यह ४ महीने की पिछली रकम है जो कि भवन के सामने रखनी चाहिये और भवन का उस पर वोट भी ले लेना चाहिये।

अध्यक्ष—तो यह अलहदा अनुदान रहेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी।

अध्यक्ष—इसका मतलब यह है कि केशव गुप्त जी के प्रस्ताव के मुताबिक शिक्षा मंत्री के जितने अनुदान हैं वे आज ले लिये जायं। एक दूसरी बात मैं शिक्षा मंत्री से यह भी पूछना चाहूंगा कि अनुदान संख्या १८ में शिक्षा—लेखा शीर्षक–३७—शिक्षा में केवल ३७ का जिक्र है, लेकिन अंग्रेजी की जो अनुदानों की प्रति है उसमें लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा दोनों हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—कार्यक्रम में जो छपा है उसमें गलती है। ३६ और ३७ दोनों ही लेखा शीर्षक इसमें हैं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण इसको दुरुस्त कर लें। अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक–३६ तथा ३७, ये शब्द इसमें रहेंगे। ४ महीने का वैज्ञानिक विभाग में जो खर्चा है वह अलग अनुदान रहेगा। यह मैंने स्पष्टीकरण करा लिया है। अब सवाल यह है कि दो अनुदान पहले ले लिए जायं या तीनों एक साथ ले लिए जायं?

श्री हरगोविन्द सिंह—तीनों के एक साथ लेने में दिक्कत होगी क्योंकि आखिर वाले पर कटौती के प्रस्ताव नहीं आये हैं।

अध्यक्ष—उसमें तीन कटौती के प्रस्ताव आ चुके हैं। मैंने यह समझा था कि तीन चार अनुदान पहले वाले ले लिये जायंगे और कल दूसरे लिये जायंगे इसलिये कटौती के प्रस्ताव उसमें छपे नहीं हैं। लेकिन मैं उन कटौती के प्रस्तावों को यहां पर भवन के सामने पेश कर दूंगा अगर इन तीनों अनुदानों के एक साथ लेने में शिक्षा मंत्री जी को कोई आपत्ति न हो।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—मैं अनुदान नम्बर ४० के विषय में कहना चाहता हूं कि इसके बारे में काफी प्रस्ताव आये हैं। शिक्षा के मुताल्लिक हरिजनों की शिक्षा के लिए, उनकी सामाजिक उन्नति के लिये और उनकी शिक्षा में प्रगति के लिये काफी ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं यह समझता हूं कि शिक्षा का अनुदान एक साथ लेने से बाकी जो उसके अंश हैं वह इगनोर [छूट] हो जाते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसको अलग से

[श्री जयपाल सिंह]

कंसोडर (विचार) किया जाय तो बहुत से हरिजन मेम्बर जो इस पर बोलना चाहते हैं उनको मौका मिल जायगा। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सदन में करीब ८४ हरिजन सदस्य हैं और दूसरो बैकवर्ड [पिछड़ी हुई] जातियों के भी हैं, वे भी इस पर अपने विचार उपस्थित करना चाहेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस अनुदान पर ज्यादा से ज्यादा समय दें और इसको अलग से लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष--आप कितना समय इसके लिये चाहते हैं।

श्री जयपाल सिंह--मैं चाहता हूं कि अलग से इसके लिये दो घंटा दिया जाय।

अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि यह मांग उचित नहीं है। हमारे पास पौने पांच घंटे हैं। उसमें से २ घंटे निकाल कर बाकी बड़े अनुदान के लिये जिस पर ८ करोड़ के करीब की मांग है, पौने तीन घंटे देना अनुपात से उचित नहीं मालूम होता है। बहुत से लोग इस पर अपना कटौती का प्रस्ताव दे चुके हैं। लेकिन जो दिक्कत माननीय सदस्य के सामने है मैं उसका हल इस तरह से कर देता हूं कि जो कटौती के प्रस्ताव अनुदान १८ पर आये हैं और अनुदान ४० पर आये हैं उन दोनों को एक साथ सामने रखकर लोगों को बोलने के लिये बुलाऊंगा और उन सब माननीय सदस्यों का ख्याल किया जा सकता है। मैं यह ख्याल रखूंगा कि उन लोगों को भी मौका मिले जो कि हरिजन सदस्य हैं और हरिजन शिक्षा के संबंध में काफी बोलना चाहते हैं, करीब ४ घंटे के समय में काफी मौका मिल सकता है और वे बोल सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन अनुदानों को एक साथ रखने में कोई किसी को आपत्ति नहीं है और इनको एक साथ रखने में ही सुभीता रहेगा।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा, अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान तथा अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा (लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग और ३७-शिक्षा) के अन्तर्गत ८,११,१२,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा शीर्षक ५७-विविध व्यय) के अन्तर्गत ४९,६१,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७--वैज्ञानिक विभाग (लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग) के अन्तर्गत ३५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, करीब करीब सभी सरकारों के बजट में शिक्षा का एक प्रमुख स्थान होता है और उसका सर्वप्रथम कारण तो यह है कि सरकार अंशतः इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है कि वह अपनी जनता को शिक्षित बनाये। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि जनता अशिक्षित है तो सरकार का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हो सकता और अगर किन्हीं कारणों से निश्चित भी हो जाय तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिये जन सरकार के लिये तो यह अत्यावश्यक होता है कि वह शिक्षा के विभाग में और विभागों से अधिक

रुपया खर्च करे और यदि इसी दृष्टि से प्रस्तुत बजट देखा जाय तो आप और इस भवन के सम्मानित सदस्य देखेंगे कि इसमें उत्तरोत्तर हर साल जब से सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट के हाथ में आई है तब से, बढ़ती ही हुई है। पार साल इसके बजट में ७,४०,८८,१०० रुपये रक्खे गये थे और इस साल ८,११,१२,८०० रुपये की मांग की जा रही है। इस तरह से १,२९,७५,३०० रुपये अधिक मांगे गये हैं। शिक्षा का विषय बड़ा ही व्यापक विषय है। इससे हर एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। और यही कारण है कि हर एक व्यक्ति शिक्षा के संबंध में अपनी एक राय रखता है चाहे वह राय परस्पर विरोधी ही क्यों न हो। लेकिन हर एक आदमी चूंकि उससे प्रभावित होता है और उसका इससे संबंध होता है और वह अपने लड़कों को स्कूल में भेजता है और चाहता है कि हमारे बालकों को ऊंची से ऊंची और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसके विषय में दिलचस्पी रखता है। इसीलिये यह बहुत व्यापक विषय है और इसीलिये यह भी बहुत आवश्यक होता है कि हम इस के लक्ष्य को भी समझें। शिक्षा का कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए और मैं समझता हूं कि भवन के सभी सदस्य इस पर अपने कुछ विचार रखते होंगे। इसमें तो संदेह नहीं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख और सब से पहला सिद्धांत यह होना चाहिये कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, लेकिन चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है, वह समाज का अंग होता है और समाज उसको प्रभावित करता है और समाज उससे प्रभावित होता है। इसलिए हम उस नतीजे पर फिर पहुंचे हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिये कि समाज का सृजन कैसे हो? जब हम इस लक्ष्य पर विचार करते हैं कि सर्वप्रथम यह प्रश्न आता है कि हम समाज का निर्माण कैसे करना चाहते हैं। जब तक हमारे सामने भावी समाज की रूपरेखा न हो हम नहीं जान सकते कि किस प्रकार उसका निर्माण हो सकता है, किन उद्देश्यों से हम अपने समाज को वैसा बनाना चाहते हैं, तब तक यह कठिनाई रहेगी और कोई शिक्षा की रूपरेखा हमारे सामने नजर न आवेगी। यही प्रमुख कारण है कि इस समय जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसको इस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं जिससे हम समझ सकें कि हमारे लिये, हमारे बच्चों के लिये और जनता के लिये कौन तरीका उपयोगी होगा।

अब जहां तक देश का और जनता का संबंध है अगर हमारे पास भावी समाज की एक रूपरेखा हो और अगर हम समझते हैं कि हम अपने भावी समाज का इस प्रकार से निर्माण करेंगे तो शिक्षा की प्रणाली ठीक तौर से समझ में आ जाती है। लेकिन हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सामने वह चीजें अभी साफ तौर से नहीं आई है। रूस और चीन की बात कही जाती है। रूस और चीन के सामने एक लक्ष्य है। वे अपने समाज का निर्माण एक ध्येय को सामने रख कर करना चाहते हैं और एक तरीके से करना चाहते हैं। आप रूस की शिक्षा के बारे में पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वहां इस बात का ही प्रयत्न किया जाता है कि हम अपने लड़कों को बड़ा कम्युनिस्ट (साम्यवादी) बनावें। वे एक वर्गहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं और इसलिये वैसी ही शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जनतंत्रात्मक देशों के सामने, अमरीका और इंगलैण्ड के सामने भी एक रूपरेखा है। उनकी अपने समाज से क्या आशायें हैं। यह वह सामने रख कर एक अच्छी बुनियाद डालना चाहते हैं। उनके सामने भी साफ-सुथरा चित्र है। इसलिये वहां की समस्या इतनी जटिल और कठिन नहीं है जितनी कि हमारी है। जैसा मैंने कहा, हमारे सामने एक बड़ी भारी दिक्कत यह है कि हम अभी तक इस बात का निर्णय नहीं कर पाये हैं और अगर निर्णय भी हमने किया है तो वह रूपरेखा हमारे सामने नहीं है कि हम अपना समाज कैसा बनाना चाहते हैं।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों से

[श्री हरगोविन्द सिंह]

यह अनुरोध करूंगा कि वे हमारे कार्यक्रम पर और हमारी प्रणाली पर विचार करें। यह सोचें कि हमने अभी तक कितनी सफलता पाई है और हमारी प्रणाली में कितनी कमी रह गयी है। यदि वे उन सभी विषयों पर दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो मुझे कम से कम संदेह नहीं है कि वे ठीक नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। हमारे प्रान्त में शिक्षा तीन विभागों में बांटी जा सकती है। एक तो प्राइमरी एजूकेशन, दूसरी सेंकेंडरी एजूकेशन और तीसरी यूनीवर्सिटी एजूकेशन---इन सब विषयों पर आप अलग-अलग विचार कर सकते हैं।

प्राइमरी शिक्षा की बात आपके सामने है। पिछले वर्षों में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि हम प्राथमिक शिक्षा घर घर में फैला दें और उसका कारण यह है कि हम सभी को शिक्षा देना चाहते हैं। दुनियां में हर एक व्यक्ति के लिये एक स्तर की शिक्षा अनिवार्य और आवश्यक होती है। इस दृष्टि से यदि आप प्राथमिक शिक्षा पर विचार करेंगे तो आप यह देखेंगे कि यह नितान्त आवश्यक था कि प्राथमिक शिक्षा का जितना भी प्रसार हो सके किया जाय और उसी दृष्टिकोण से सरकार ने इसका प्रसार किया। सरकार ने यह सोचा था कि हम ५ वर्ष में प्राइमरी शिक्षा का इतना प्रसार कर देंगे कि किसी बालक को अपने घर से १ या १ १/२ मील से अधिक स्कूल जाने के लिये नहीं चलना होगा। इसीलिये हमने चाहा कि हम २२,००० प्राइमरी स्कूल खोलें। हर एक शुभ कार्य में कठिनाई होती है। हमारे लिये यह जरूरी हुआ कि कभी तो हम अपनी गति को तीव्र करें और कभी नम्र करें। हमने १२,००० के करीब स्कूल खोले और मैं यह जानता हूं कि इस बारे में लोगों के विचार परस्पर विरोधी हैं। कोई तो यह कहता है कि शिक्षा का इतना प्रसार एकदम से नहीं होना चाहिये था जितना कि हो गया है। कोई यह भी कहता है कि जितना प्रसार होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है। दोनों के ही विचार सत्य हैं, दोनों के विचार अपने स्थान पर ठीक हैं। लेकिन सरकार के सामने एक समस्या थी और वह यह कि लड़ाई के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह नामुमकिन था कि सरकार इस प्रकार बैठी रहती और लोग इस प्रकार से अशिक्षित रहते। अगर इस बात का प्रयत्न किया जाता कि सब चीजें मुहय्या हो जायं, जितने उसके साधन हैं सब हमारे पास हो जायं और तब हम इस शिक्षा-प्रसार का कार्य आरम्भ करें तो इस स्थिति में हम और पीछे को ढकेल दिये जाते। मैं माननीय सदस्यों के सामने और आपके सामने यह बतला देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में और देशों ने भी इस बात के लिये देर करना ठीक नहीं समझा कि उनके पास सब साधन हो जायं और तब वे शिक्षा प्रसार का कार्य आरम्भ करें। रूस को ही ले लीजिए। क्रांति के बाद जब रूस स्वतंत्र हुआ, जारशाही के पंजे से निकला, तो उसके सम्मुख भी इसी प्रकार की जटिल समस्या आ गयी थी। उसके लोग भी अधिकांश अशिक्षित थे। उसके सामने भी यह प्रश्न उठा कि किस प्रकार से हम अपने देश के नागरिकों को कम से कम समय में शिक्षा दे दी जाय। उसने अपने यहाँ स्कूल्स खोले और यह स्लोगन (नारा) दिया कि "टीच व्हाइल यू लर्न" यानी आप पढ़ते भी जाइये और पढ़ाते भी जाइये। तो इस प्रकार से उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा की समस्या का हल ढूंढ निकाला और हमारे सामने भी जैसा कि मैंने कहा कि एक सवाल था और वह यह कि हम कम से कम समय में अपने लोगों को शिक्षित बनायें। तो इसलिये ही स्कूल खोले गये हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस प्रान्त की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी। अतः हम उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को, उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा सके और हमें अपनी गति को मन्द करना पड़ा।

पहले प्रतिवर्ष ५०० स्कूल खोलने को सोचा गया था, लेकिन मुझे दुख है कि इस बजट में हम इतना ही प्रबन्ध कर सके कि २५० स्कूल्स ही आगे खोले जायं। इसके पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा स्थिति यह थी कि हमारे गाँवों में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। हर एक व्यक्ति उस समय यही चाहता था कि उसके लड़के को पढ़ने के लिये सुविधा प्राप्त हो जाय। उस समय इतने कम स्कूल

थे कि शिक्षा का प्रसार संभव नहीं था। इस स्टेट [राज्य] का क्षेत्रफल १,०६,२४७ वर्गमील है। सन् १९४७ में प्राइमरी स्कूलों के लिये ५८ लाख बालक गणना में थे और इन स्कूलों में केवल १५ लाख बालक पढ़ाये जा सकते थे। ४३ लाख लड़के बिना शिक्षा के ही इस कारण रह जाते थे कि उनके पढ़ने के लिये या पढ़ाने के लिये साधन नहीं थे। इसलिये यह व्यवस्था की गयी कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जायं। १२ हजार स्कूल खुले और इस समय ५८ लाख में २५ लाख हमारे बालक इन प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा पा रहे हैं। इस ५८ लाख को जो गणना मैंने आपको बतलाई वह सारे प्रान्त की है यानी ५१ जिलों की है। तो हम यह कह सकते हैं कि कम से कम २५ जिलों के या आधे प्रान्त के उन समस्त लड़कों को जोकि प्राइमरी स्कूल एज (अवस्था) के हैं हम शिक्षा दे रहे हैं और २५ जिलों में हमारी प्राथमिक शिक्षा ऐचुरेशन प्वाइंट तक पहुंच गयी है।

यह मैं मानता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, कि इस संबंध में जो परस्पर विरोधी विचार हैं उन दोनों में सत्यता है। यह निस्संदेह सत्य है कि हमारे पास बहुत से स्कूलों की इमारतें नहीं हैं। यह निस्संदेह सत्य है कि हम इनको बहुत अच्छे अध्यापक नहीं दे सके हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि त्रुटि है क्यों? क्या इस कारण त्रुटि है कि सरकार इन त्रुटियों को दूर नहीं करना चाहती या इस कारण त्रुटि है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं हैं तो अब आपको यह विचार करना पड़ेगा कि आया हम शिक्षा के इस प्रसार को रोक दें या जितने भी साधन इस समय हम मुहइया कर सकते हैं उन्हीं को लेकर इसका प्रसार करें और उसके उपरान्त हम इस बात का भी प्रयत्न करें कि जो सुविधायें हम प्राप्त कर सकते हैं वह इन स्कूलों को दें। यह तो नहीं किया गया कि हम एक तरफ तो प्रसार ही करते जायें। अतः हम अब यह सोचने जा रहे हैं कि हमें शिक्षा का पूरा फल मिल सके और हमारे बालकों को शिक्षा का जितना फल मिलना चाहिये वह पूरा मिल सके, अतः उसका भी प्रबन्ध हम करने जा रहे हैं। तो इस समय जब हम गाँव गाँव में पाठशालायें खोलने जा रहे हैं, जब हम वहाँ एक प्रकार का प्रबन्ध करने जा रहे हैं और वह प्रबन्ध हो रहा है तो यह उचित समझा गया कि प्रसार के साथ साथ हम इस बात का भी प्रयत्न करें कि हम इन स्कूलों को साधन दें। हाँ, मैं इसमें जानता हूं और समझता हूं कि यह कहा जायगा कि बहुत से स्कूलों के पास कोई भवन नहीं है। मैंने कहा कि हम यह जानते हैं और यह सत्य भी है। इसके लिये शायद यह भी कहा जायगा कि इसके पहिले सरकार ने इस बात का वादा किया था कि एक हजार रुपया सरकार हर एक स्कूल को भवन निर्माण के कार्य के लिये देगी लेकिन वह भी सरकार पूरा नहीं कर सकी, यह भी सत्य है। यह कहा गया था कि एक हजार रुपये प्राइमरी स्कूलस के भवन के निर्माण के लिये सरकार देगी लेकिन वह पूरा नहीं होगा और मैं तो इसमें तनिक संकोच नहीं करता और स्पष्ट शब्दों में आपको अवगत कर दूं कि निकट भविष्य में पूरा करना सरकार के लिये संभव न हो। आप जो अपने प्रान्त की स्थिति देख रहे हैं, जिस आर्थिक संकट से प्रान्त गुजर रहा है, उसमें यह संभव नहीं होगा कि हम अपने वादे के अनुसार एक एक हजार रुपये हर एक स्कूल को दे सकें जिनके पास भवन नहीं है। भवन बनाने के लिये तो एक ही तरीका हो सकता है और मैं इस भवन के सदस्यों से अपील करूंगा कि वह इसमें सरकार का सहयोग दें और देशों में अगर आप देखें तो जनता को शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर बड़ा उत्साह होता है। वह शिक्षा जिससे वह संबंधित होते हैं, जिससे उनके भावी समाज का निर्माण संबंधित होता है, जिससे उनका अपना भविष्य भी संबद्ध होता है और शिक्षा संबंधी अन्य विषयों म दिलचस्पी लेते हैं। साथ ही साथ इस बात का प्रयत्न भी करते हैं कि अधिक से अधिक

[श्री हरगोविन्द सिंह]

सुविधा वह अपने स्कूलों को दें। अभी अभी थोड़े दिन हुए मैं अमेरिका की एक मैगजीन पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा कि किस प्रकार लोग स्वयं, बिना स्टेट की मदद के इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनके प्राइमरी स्कूल स्वावलम्बी हो जायं, उन्हीं की मदद से चलते रहें और स्टेट को उसमें कुछ देना न पड़े। मैं आपसे अपील करूंगा और मैं सोच रहा हूं कि बरसात खत्म हो जाने के बाद मैं स्वयं गाँव वालों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि यह आपके गाँव का छोटा सा स्कूल है। इसमें आपका बच्चा पढ़ता है और आप अपने बच्चे का भविष्य ऊंचा चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, प्रतिभाशाली चाहते हैं। इसलिये कम से कम आप यह तो कीजिए कि आप अपने स्कूलों के भवनों को बना दीजिए। यह हर एक व्यक्ति के लिये खुला होगा कि वह श्रम से मदद करे, पैसे से मदद करे, लकड़ी से मदद करें या जो और सामान भवन के निर्माण के लिये जरूरी होते हैं उनसे मदद करें और अगर हम अपनी जनता में इसके लिये उत्साह पैदा कर सके और मुझे विश्वास है कि हम उत्साह पैदा करने में सफल होंगे, तो एक बड़ा काम हो जायगा। मैं जानता हूं कि आजकल शिक्षा के लिये हमारे देहातियों में और सभी जगह बड़ा उत्साह है। मैं रोज देखता हूं कि कितने व्यक्ति इस बात के लिये आते हैं कि उनके स्कूल को, उनके इंटरमीडिएट कालेज को, उनके हायर सेकेंडरी स्कूल को मान्यता मिल जाय। मैं गाँव का रहने वाला हूं। मैं यह जानता हूं कि आज देहात में और किसी चीज के लिये चाहे मदद मिले या न मिले, लेकिन अगर आप कोई स्कूल चलाने का या स्कूल खोलने का कोई कार्यक्रम उनके सामने रखते हैं तो वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिये अधिक से अधिक देंगे और अधिक से अधिक प्रयत्न करना सहर्ष स्वीकार कर लेंगे।

जमींदार भी उसमें बड़ी मदद कर सकते हैं। जमींदारी टूट गयी, इसका उन्हें अवश्य दुख होगा, होना भी चाहिये। जिस पर इतने दिन से अवलम्बित थे, जिस पर उनका सारा दारोमदार था, उनका भविष्य भी निर्भर था, वह आज उनके हाथों से निकल गया। इसका दुख होना स्वाभाविक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन समय का तकाजा था। जो स्थिति आज दुनियाँ में चल रही है उसमें यह नामुमकिन था कि इस प्रकार की एक प्रणाली यहाँ रखी जाय। अब तो जमींदारी टूट गयी। उनकी बहुत सी छावनियाँ खाली हो गयी हैं। उनके लिये ऐक्ट में तो इस बात का प्रबन्ध है कि वे अब भी अपनी छावनियों के मालिक रहेंगे। लेकिन मैं शिक्षा के नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर, उनके बच्चों के भविष्य के नाम पर, उनसे यह प्रार्थना करूंगा और अपील करूंगा कि यदि ये छावनियाँ हमको दे दें तो हम अपने अधिकाँश स्कूलों को उन भवनों में रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जमींदार भाई इस बात का प्रयत्न करेंगे, अपने सगे संबंधियों को प्रभावित करेंगे, उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करेंगे, मैं तो प्रार्थना करूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे भी प्रार्थना करें और हमारे लिये यह संभव कर दें कि उनकी छावनियाँ हमको स्कूलों के लिये मिल जायं।

जहाँ तक शिक्षकों का संबंध है इसमें संदेह नहीं कि सुयोग्य शिक्षक हम नहीं दे सके हैं। एक तरफ से प्रसार होता जाय, हम पहले से ही उसके लिये कोई इंतजाम न कर सके हों, इसलिये नहीं कि हम करना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिये कि उसके पहले हमारे हाथों में यह कुछ नहीं था, न हमको वह अवसर ही था कि हम उसका प्रबन्ध करें। तो ऐसी अवस्था में यह भी आवश्यक हुआ कि हम स्कूलों को खोल कर ऐसे अध्यापकों के हाथ में पढ़ाई का कार्य सुपुर्द करें जो मैं स्वीकार करता हूं कि शायद उसके लिये उपयुक्त नहीं थे। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी प्रबन्ध किया गया कि कम से कम समय में उनको ट्रेनिंग दे दी जाय। हर एक जगह, हर जिले में नार्मल स्कूल खोले गये जिससे उनको यह शिक्षा मिल जाय, जिससे वे एक योग्य अध्यापक

हो सकें। तो हर एक जिले में इस वक्त एक नार्मल स्कूल है और हम इस बात का भी प्रबन्ध कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं अगर वे भी नार्मल या जे० टी० सी० अपने यहाँ खोलना चाहते हैं तो हम कुछ शर्तों के साथ उनको खोलने की आज्ञा दे देते हैं जिससे हमें अध्यापक स्कूलों के काम के लिये मिल जायं।

आप जानते हैं कि सरकार ने जब प्राइमरी स्कूल खोलना आरम्भ किया तो उसके पहले ही से प्राइमरी स्कूलों से हमारे लोकल बोर्ड्स संबंधित थे। प्राइमरी स्कूल्स खुलने के बाद एक समस्या और आ गयी और वह यह कि हमारे लोकल बोर्ड्स की हालत बहुत खराब थी। अगर उनसे कहा जाता कि आप स्कूल खोलें तो शायद उनके लिये दिक्कत होती। इसलिये स्कूल तो खोले गये, लेकिन वहाँ एक दूसरा सिस्टम आफ कंट्रोल (नियंत्रण प्रणाली) होने लगा। कुछ स्कूल तो जो पहले ही से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थे उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नियंत्रण होने लगा और जो सरकारी, राजकीय पाठशालायें खुलीं उनपर सरकार का नियंत्रण होने लगा। इसके अतिरिक्त यह ठीक भी नहीं प्रतीत होता था कि एक ही जिले में एक ही प्रकार की शिक्षा के लिये, एक ही प्रकार के स्कूलों के लिये दो भिन्न-भिन्न अधिकारियों के जिम्मे कोई शिक्षा का प्रबन्ध रहे, इसलिये यह सोचा गया कि वे स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को दे दिये जायं और आज जितने स्कूल खुले हैं वे सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को दिये गये हैं लेकिन उसका भार अब भी सरकार अपने ऊपर लेती है। उसके लिये जितना भी रुपया आवश्यक होता है वह सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को देती है। यह उसके अतिरिक्त होता है जो सरकार हमेशा से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षा संबंधी कार्यों के लिये दिया करती थी। जो सरकार पहले शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए लोकल बोर्डस को दिया करती थी वह रकम तो है ही, उसके अलावा यह जो राजकीय पाठशालाओं के प्रबन्ध के लिये, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दी गयीं, इसका जितना रुपया होता है वह भी देती है। इसके अलावा सरकार ने उस समय, यदि आप चाहें तो मैं आँकड़े भी दे सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिये गये उसके कारण जो उनको अधिक प्रबन्ध करना पड़ा उसके लिये भी सरकार ने अलग से रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिया जिसमें उनको उन स्कूलों को अपने सुपुर्द कर लेने में कठिनाई न हो सके। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपनी उस प्रसार की नीति को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ेंगे भी नहीं, उसको बढ़ाते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने कहा हम आपसे यह अवसर चाहते हैं कि हम उन पाठशालाओं की नींव थोड़ी मजबूत कर दें जिसमें वे पाठशालाएं हमारी उन आवश्यकताओं को पूरी कर सकें जिनको सामने रखकर जो चित्र को बनाकर सरकार ने इन पाठशालाओं को खोला था।

एक ओर हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपनी इस नीति में उत्तरोत्तर बढ़ते जायंगे, पाठशालाओं की वृद्धि करते जायंगे जबतक कि हम अपने टार्गेट (लक्ष्य) को नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी चाहेंगे कि आप इसलिये मेरी निन्दा या सरकार की निन्दा न कीजिये कि इस समय हमने स्कूलों की प्रगति में उनकी संख्या बढ़ाने में थोड़ी कमी की है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में यह हुआ और म्युनिसिपैलिटियों में भी यह किया गया। आपके प्रान्त में शायद ११९ म्युनिसिपैलिटियां हैं। उनमें इस समय ८६ म्युनिसिपैलिटियों में अनिवार्य शिक्षा दी जाती है और वह निःशुल्क भी होती है। हम उसका भी जितना खर्चा होता है म्युनिसिपैलिटियों को देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहां तक प्राथमिक

[श्री हरगोविन्द सिंह]

शिक्षा का सम्बन्ध है जितना आज के बजट में सम्भव हो सकता है, जितना कि सरकार यथा-शक्ति कर सकती है, उतना किया जा रहा है और हम आप सभी को इस पर संतोष करना चाहिये इसलिये कि आज हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी और सुव्यवस्थित नहीं है कि हम उसमें इससे अधिक कर सकें।

एक बात है जिस के सम्बन्ध में आगे चलकर मैं कुछ विस्तार के साथ आप के सम्मुख अपने विचार रक्खूंगा लेकिन इस समय इतना ही कह देना चाहता हूं कि हम प्रारम्भ से ही अपनी इन पाठशालाओं में इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे हमारा वह बालक, जो और बड़ा हो कर जब हमारे सिकेंडरी स्कूल में या डिग्री कालेज में जाय तो वह एक ऐसे वातावरण से निकला हुआ हो जिस में वह हमारे देश के लिये और हमारे प्रान्त के लिये अच्छा नागरिक साबित हो सके। इसलिये हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपने इन स्कूलों में शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे विषय रखें जिसमें कि कार्यशील रूप से हमारे बच्चे उत्पादन में अधिक भाग लेने लगें। उस समय जब ये स्कूल खोले गये तब देश में यह वातावरण नहीं था। देश में शायद उस वक्त इसकी आवश्यकता भी हमारे महाप्रभु लोग नहीं समझते थे जिनके हाथ में राज्य की बागडोर थी। वे यह नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जिसमें वे आगे चलकर एक सुयोग्य और अच्छे नागरिक हो सकें और देश को अपने श्रम से, अपने परिश्रम से कुछ दे सकें। इसलिये उन्होंने इस ओर नहीं सोचा था। लेकिन अब इस बात की आवश्यकता हो गयी है कि हम अपने इन स्कूलों में इस बात का प्रबन्ध करें कि उनको उत्पादन की ओर आकर्षित करें, उनको इस बात का ज्ञान करावें कि वे किस वातावरण में हैं, उनके देश की, उनके कुटुम्ब की, उनके गांव की, उनके प्रान्त की क्या कठिनाइयां हैं और किस प्रकार से आगे चलकर वे इसके लिये कुछ कर सकते हैं। और देशों में तो इस बात का बड़ा ही प्रयत्न किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में आप को एक छोटी सी घटना बताऊं। लेनिनग्रेड यूनिवर्सिटी में एक दत्त साहब प्रोफेसर हैं। वे और उनकी पत्नी दोनों ही वहां अध्यापक और अध्यापिका हैं। हमारे यहां के एक साहब गये तो उन्होंने देखा कि दत्त साहब का एक छोटा पांच वर्ष का लड़का कागज का हवाई जहाज बना रहा है। उन्होंने पूछा कि दत्त तुम क्या कर रहे हो, क्यों हवाई जहाज बना रहे हो? उसने कहा कि आपको पता नहीं जर्मनी से हमारी लड़ाई होने वाली है। यह हमारा हवाई जहाज हिटलर की जर्मनी पर बम गिरावेगा। ५ वर्ष का बालक इन सब विषयों से इतना अवगत कर दिया जाता है। उसके दिल में उस प्रारम्भिक अवस्था में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भर दिया जाता है कि वह समझने लगता है कि उसके देश का भविष्य किस प्रकार से अच्छा बनाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे इन बच्चों के अन्दर भी इस तरह की भावना पैदा हो। छोटा बच्चा तो एक पत्ते की तरह से होता है। जिस प्रकार से चाहें आप इनको मोड़ सकते हैं, जिस प्रकार से चाहें आप इनके भविष्य का सृजन कर सकते हैं और इसलिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम इसी प्रारम्भिक अवस्था में जब वे छोटी उम्र के होते हैं जब वे दूसरी चीजों का असर अधिक से अधिक कबूल करते हैं उसी समय इस बात का प्रबन्ध करें कि उनको देश की और देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है इसकी ओर आकर्षित करें। इसलिये हम खेलकूद के साथ यह भी चाहते हैं कि उनको हम एग्रीकल्चर (कृषि) की शिक्षा अधिक से अधिक दें।

इस समय मुझे लीडर आफ दि अपोजीशन (विरोधी दल के नेता) का जो बजट के सम्बन्ध में भाषण हुआ था उसकी याद आती है। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बड़ी अच्छी मालूम हुई। उन्होंने यह कहा था कि आज हमको किसानों की आवश्यकता है। ठीक है, हमको किसानों की जरूरत है जिसमें कि हमको दुनियां के सामने पेट खोला कर गल्ला न मांगना पड़े। यह एक देश के लिये लज्जा की बात है और विशेष कर हमारे देश के लिये, जो कि कृषि प्रधान देश है, उसके लिये बहुत लज्जा की बात है कि हम दुनियां के सामने पेट खोला कर भिक्षा के नाम पर, भूख के नाम पर इस बात की अपील करें कि आप हमको गल्ला दीजिये, नहीं तो हमारे लोग

भूखों मर जायेंगे। लेकिन इसके लिये मैं समझता हूं कि यह भी आवश्यक है कि हम लोगों को शिक्षा देंगे इसमें संदेह नहीं कि इसका फल बहुत दिनों में मिलेगा। शिक्षा का फल बहुत दिनों में मिला करता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बीज है जो बहुत दिनों में उगता है, लेकिन वह इतना ठीक है इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर एक व्यक्ति इस बात की कोशिश करता है। आप गांवों में चले जाइये आप देखेंगे कि पिता गरीब है उसके पास कोई धन नहीं, छोटा सा एक खेत है 'येन केन प्रकारेण' वह अपनी जीविका उससे निकालता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि हम भूखे रह जायं मगर अपने बालक को पढ़ायें इसलिये कि इससे हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। उसमें उसको संतोष होता है। तो इसमें तो संदेह नहीं कि इसका परिणाम हमको देर में मिलता है लेकिन परिणाम मिलता है और अच्छा मिलता है इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो इस कारण हम सचमुच यह चाहते हैं कि हमारे बालक ऐसे निकलें जो वास्तव में जिस रूप के किसान होना चाहते हैं भविष्य में उन किसानों की संख्या हमारे देश में बढ़े। आज चीन में भी शिक्षा के ऊपर वे ज्यादा जोर नहीं डालते हैं। आचार्य नरेन्द्र देव जी से मेरी कुछ थोड़े ही दिन हुये इस सम्बन्ध में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि चीन में इस समय शिक्षा पर अधिक जोर नहीं है। हां, एक प्रकार की शिक्षा पर वहां अधिक जोर है और वह है इंजीनियरिंग पर और कृषि पर। इंजीनियरिंग पर तो इसलिये जोर देते हैं कि उनके यहां सिंचाई के साधन कम हैं। बड़े-बड़े डैम्स को उन्हें बनाना है। इसलिये वे इंजीनियर चाहते हैं और वे यह कहते हैं कि और प्रकार की शिक्षा तो थोड़े दिन रुक सकती है लेकिन जिस पर कि देश का जीवन ही निर्भर हो, जिस पर कि उसका भविष्य ही निर्भर हो वह समस्या रोकी नहीं जा सकती। इसलिये वे इस समय केवल कृषि और इंजीनियरिंग की शिक्षा पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे सामने भी स्थिति वही है। तो इसलिये हम स्कूलों में ऐग्रीकल्चर की शिक्षा देना चाहते हैं जिसमें कि उनके मनोभाव ऐसे बन जायं कि एग्रीकल्चर कोई छोटा काम नहीं है।

अभी तक हमारे देश में यह परिपाटी रही है, हमारा समाज संगठन ऐसा रहा है जिसमें हम किसानों को बहुत नीचे का स्तर देते हैं। किसान का हमारे समाज में ऊंचा स्थान नहीं समझा जाता था, वह समझा जाता था कि वह सब से छोटा है। देश का कल्याण इसी के ऊपर निर्भर है। वह अपनी मेहनत से, अपने श्रम से देश के धन में वृद्धि करता है। लेकिन जो देश के धन में वृद्धि करे उसका अपने यहां नीचा स्थान नहीं होना चाहिये, लेकिन हमारे यहां जो समाज व्यवस्था चल रही थी जो हमारे समाज संगठन की एक खड़ी रेखा है उसमें सब से नीचे हमारा किसान था। इसलिये उसको हमारे सामाजिक संगठन में ऊंचा स्थान नहीं मिलता था। वैसे वह सचमुच में भारत माता का सबसे बड़ा सपूत है। हम अपने बच्चों में इसी बात को कूट-कूट कर भरना चाहते हैं। हम इस विषय को और अधिक जोर से अपनी प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कराना चाहते हैं और हम समझते हैं कि सदन के सभी सदस्यों की सहानुभूति हमारे साथ होगी।

अब प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर हम भवन को सेकेंडरी एजूकेशन की ओर ले जाना चाहते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन हमारे प्रांत में इस समय दो भागों में विभाजित की जा सकती है। एक तो जो पहले के मिडिल स्कूल थे जिनका संबंध लोकल बाडीज (स्थानीय निकायों) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तथा म्युनिसपैलिटी से था उनको हम जूनियर हाई स्कूल कहते हैं और दूसरा नवें दर्जे से लेकर बारहवें दर्जे तक। इसको हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। जूनियर हाई स्कूल में उन्हीं चीजों को, जो प्राथमिक शिक्षा में पढ़ चुके होते हैं, एक ऊंचे स्तर पर शिक्षा दिलाते हैं। इसके लिये भी यह आवश्यक होता है कि इन लड़कों को भी इस काबिल

[श्री हरगोविन्द सिंह]

बनाया जाय कि वे एक अच्छे नागरिक हो सकें। हायर सेकेंडरी स्कूलों की वह अवस्था होती है जिसमें लड़के अपने भविष्य को कुछ समझने लगते हैं। उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वह क्या करेंगे और क्या बनेंगे और हमारे लिये क्या चीज अच्छी होगी कौन सी शिक्षा उपयोगी होगी। लेकिन अभी जब ये स्कूल लिये गये उसकी तरफ हमारे देश में, हमारे प्रांत में यह अवस्था थी कि हर एक व्यक्ति लिटरेरी एजूकेशन (साहित्य शिक्षा) की तरफ झकते थे। इन स्कूलों में इस बात का प्रयत्न किया गया कि सब जगह जनरल साइन्स (सामान्य विज्ञान) खोली जाय जिसमें लड़के को इस बात का ज्ञान हो जाय कि उसके चारों तरफ कौन सी चीजें हो रही है। वह अपने यहां के वैज्ञानिकों के नाम जानता है और मोटी मोटी बातें जानता है। वह यह जानता है कि हमें इस हालत में एक स्थान प्राप्त करना है। दूसरे एजूकेशन जैसा मैंने कहा नवें दर्जे से बारहवें दर्जे तक है।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी समय का भी लिहाज रखें, क्योंकि इस अनुदान पर वे एक घंटा ले चुके हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—जहां तक सेकेंडरी एजूकेशन का संबंध है मैं उन आंकड़ों को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूं जो इस समय चार वर्ष की प्रगति के बाद हमारे पास हैं। कितने स्कूल खुले, कितनी पाठशालायें हैं और कितने लड़के उनमें पढ़े हैं ये आंकड़े तो आपको पुस्तकों में बहुत देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां हम एक तरफ इन स्कूलों में शिक्षा अधिक से अधिक लड़कों को दे रहे हैं वहां एक और भी समस्या हमारे सामने उठती आ रही है। वह बेकारी की समस्या है। जैसा मैंने पहले कहा हर एक पिता यह चाहता है कि उसके लड़के को अच्छी शिक्षा मिले वह अपने ऊपर तकलीफ सहकर भी अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन वह शिक्षा प्राप्त करके जब निकलता है इंटरमीजियेट और हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेता है तो उसके सामने एक बड़ा प्रश्न हो जाता है कि आगे वह अब क्या करे। परिश्रम का काम करना तो वह अपनी बेइज्जती समझता है। नौकरी की तलाश में वह इधर-उधर घूमता है उसे नौकरी भी नहीं मिलती। घर वालों ने उससे एक आशा की थी लेकिन उसे बड़ा भारी धक्का लगता है। पिता को भी दुख होता है और वह समाज में विद्रोह की भावना फैलाने लगता है। सरकार के प्रति, आपके प्रति और आपकी योजनाओं के प्रति उसमें सहानुभूति पैदा नहीं होती, इसलिये कि वह यह समझता है कि इतना कष्ट करके तो मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, इस आशा से पढ़ाया कि जब मैं बुड्ढा हो जाऊंगा तो यह धनोपार्जन करके मेरी सेवा करेगा, शुश्रूषा करेगा। वहां वह यह देखता है कि उसकी शिक्षा के ऊपर उसने फिजूल खर्च किया, क्योंकि नौकरी मिली नहीं, घर का काम हो नहीं सकता। इसलिये हम इस बात का प्रयत्न करना चहते हैं कि इन्टरमीडियेट के बाद हमारे लड़के यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार से अपना एडमिशन (प्रवेश) कराने के इच्छुक न हों। प्रत्येक लड़का इस बात की कोशिश करता है कि नौकरी तो उसे मिली नहीं, चलो दो बरस किसी तरह से और काट लो बी० ए० पास करता है। फिर उसके सामने वही समस्या आती है कि अब क्या करें। तो सोचता है कि चलो एम० ए० पास कर लें। दो बरस और कट जाते हैं। फिर उसके बाद जो समस्या आती है वह हमसे या आपसे छिपी नहीं है। इसलिये हमें इस बात का प्रयत्न करना है और यह तभी संभव हो सकता है कि जब कि इसमें हमारा, आपका, सरकार का और जनता का पूरा सहयोग हो। हम उसको ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे उसमें आत्म सम्मान की प्रवृत्ति पैदा हो, स्वावलम्बी बनने की प्रवृत्ति पैदा हो, श्रम करने से वह लज्जित न हो। जब हम ऐसे बालकों को पैदा कर सकें तभी यह समस्या हल हो सकती है। जो उनमें अच्छे और तीव्र बुद्धि के बालक हों, जो हमको और देश को अच्छी चीज दे सकते हों, यूनिवर्सिटीज एजूकेशन उन्हीं के लिये खुली होनी चाहिए। तो इस ओर भी हम इस समय अग्रसर हो रहे हैं और एक स्कीम पर विचार कर रहे हैं जिसको कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स से शुरू करना चाहते हैं जिनमें लड़कों में यह प्रवृत्ति पैदा करने का प्रबन्ध

किया जायगा कि वे श्रम करें और श्रम से जो पैदा हो वह उसी को दिया जाय। शायद निकट भविष्य में इस योजना को कार्यान्वित करना हमारे लिये संभव होगा। हम इसको अपने गवर्नमेंट स्कूल्स से इसी आशा से कार्यान्वित करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स और कालेजेज हैं वे भी इसका अनुसरण करें।

आज तो इसमें संदेह नहीं है कि हमारे पास बहुत से और मेरा ख्याल है कि २०० या २५० की मान्यता के लिये अप्लीकेशन (प्रार्थना-पत्र) हैं। उसमें हमने कुछ थोड़ी सी तखफीफ की है। जहाँ जो अप्लीकेशन आती हैं उसमें जो पहले साहित्यिक विषयों के लिये मान्यता देते थे अब उसको एक प्रकार से इन्कार ही कर देते हैं, जब तक वह इस बात पर रजामन्द न हो जायं कि साप्ताहिक विषयों के साथ-साथ वे और विषयों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के क्लासेज अपने कालेजेज में और अपने सेकेन्ड्री स्कूल्स में न खोलें। इससे हम आशा करते हैं कि जो स्थिति गम्भीर होती जाती है, जटिल होती जाती है, दिनोंदिन हमारे देश में बेकारी फैलती जाती है उसमें रोक लगेगी और ये लड़के एक ऐसे ढंग पर, एक ऐसी चीज में लग सकेंगे कि जिससे उनमें वह शक्ति पैदा हो जाय कि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो जायं।

इसके उपरांत अब आप यूनिवर्सिटीज की ओर आ जायं। डिगरी कालेजेज के बारे में सन् १९३० ई० से सरकार की नीति यह चली आती थी कि वह डिगरी कालेज न खोलें। लेकिन उस नीति को बदलना पड़ा, इसलिये कि आवश्यकता इस बात की थी कि अगर जनता को किसी बात की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता की पूर्ति करने को स्थान मिलना चाहिए। इसलिये एक डिगरी कालेज नैनीताल में खोला गया और एक डिगरी कालेज ज्ञानपुर में खोला गया। बहुत से लोग यह कहते हैं कि यह नीति गलत है और सरकार डिगरी कालेज क्यों खोले? मैं इसको थोड़े से शब्दों में आपके सम्मुख स्पष्ट कर देना चाहता हूं। रामपुर का डिगरी कालेज हमको इसलिये मिल गया कि जब रामपुर रियासत विलीन हुई तो वहाँ का डिगरी कालेज भी उसके साथ मिला। हम उस कालेज को गवर्नमेंट के स्तर पर रखना चाहते हैं। नैनीताल का डिगरी कालेज इसलिये खोला गया कि वहाँ पर जो बहुत से हायर सेकेन्ड्री स्कूल थे उनसे जो लड़के निकलते थे उन लड़कों के अभिभावकों के लिये यह नामुमकिन था कि वे बाहर भेज सकें। उनके पास इतना धन नहीं था कि वे हायर एजूकेशन के लिये यूनिवर्सिटीज में भेज सकें। उसकी आवश्यकता समझी गयी, इसलिये वहाँ वह कालेज खोला गया। मैं चाहता हूं कि उन डिगरी कालेजेज को ऊंचे स्तर के बनायें जिनमें यूनिवर्सिटीज के तरीके पर वहाँ रिसर्च का कार्य हो सके और अनुसंधान का कार्य हो सके। इसलिये इन दोनों कालेजेज को एक ऊंचे स्तर का बनाना चाहते हैं। बनारस में ज्ञानपुर के अन्दर जो कालेज खोला गया उसका भी यही इतिहास है। वहाँ पर महाराजा ने इसके लिये धन तो दिया ही था, लेकिन उनकी यह इच्छा थी कि चूंकि ज्ञानपुर कोने के एक स्थान पर है जो बनारस के करीब, ४०,५० मील की दूरी पर है वहाँ पर ऊंची शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। इसलिये ज्ञानपुर का वह कालेज खोला गया।

यूनिवर्सिटी का जहाँ तक ताल्लुक है आप यह देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में आज लड़कों की भरमार है। एक बड़ी भारी समस्या हमारी यूनिवर्सिटीज के अधिकारियों की यह हो गई है कि किसी प्रकार इन सब लड़कों को अपने यहाँ भर्ती करें। जहाँ तक इसका सम्बन्ध है जैसा मैंने कहा कि यदि नीचे के दर्जों में इस बात का प्रबन्ध नहीं होगा तो फिर अमल नहीं हो सकेगा कि हम उन लड़कों के लिये दूसरा रास्ता निकाल सकें और उनके लिये इस बात का इन्तजाम कर सकें कि वह टैक्निकल एजूकेशन की तरफ जायं और कार्य किसी

[श्री हरगोविन्द सिंह]

तरह से सीखें जिसमें वह कुछ पैदा कर लें। तो यह नामुमकिन है कि हम यूनिवर्सिटी में यह चीज पायें कि उसमें दाखले के लिये कम लड़के उत्सुक हों। जहाँ तक इसका सम्बन्ध है लड़कों के सीखने का आप जानते हैं कि एक कॉंस्ट्रक्टिव कालेज (निर्माणात्मक कालेज) खोला गया है उसमें ब्योरो आफ साईकोलाजी और पैडागालोजी रखी गई है। यह चीजें ऐसी हैं कि जिसका महत्व हम और आप बैठकर नहीं जान सकते हैं। यदि आपको अवसर मिले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस इन्स्टीट्यूशन (संस्था) को जाकर देखें और देखें कि कितना सुन्दर काम वहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब यही है कि वे बच्चों को देखें कि उनकी प्रवृत्ति किस ओर है और वे किस ओर जाना चाहते हैं और वे किस ओर जा कर अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। अभी तक ऐसा इंस्टीट्यूट सिर्फ इलाहाबाद ही में था और अब वह हमारे पाँचों रीजन्स में यानी मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस और बरेली में भी खुल गया है और वहाँ लड़कों की साइकालाजी और प्रवृत्ति देख कर बताया जायगा कि वे किस तरफ भेजे जाने चाहियें। यह एक वैज्ञानिक तरीका है जो इस देश में अभी कहीं भी प्रारम्भ नहीं किया गया है और सबसे पहले हमने इसी प्रदेश में प्रारम्भ किया है और क्यों न हो आप का सबसे बड़ा प्रदेश है और हमेशा हर कार्य में यह आगे रहा भी है। किस तरह से लड़कों को पढ़ाया जाय और किस तरह से ट्रेनिंग दी जाय, इसका कार्य भी इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूट कर रहा है। हम अपने टीचर्स को बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोलकर यह शिक्षा दे रहे हैं जिसमें शिक्षित होकर टीचर्स स्कूलों में जायं और जब शिक्षा का भार उन पर पड़े तो वह अपने उन विचारों से और उस निपुणता से, जो उनमें पहले से पैदा की जाती है, बच्चों को शिक्षा दे सकें। यह भी प्रबन्ध किया जा रहा है कि हम अपने अध्यापकों को शिक्षा ऐसी दें जो इस कार्य में हमें लाभदायक सिद्ध हो और जो नक़शा बनाकर हम आगे चल रहे हैं वह उस में उचित साबित हो। आप यह भी जानते ही होंगे कि इस समय भी सेकेन्डरी एजूकेशन की एक कमेटी आचार्य नरेन्द्र देव जी के सभापतित्व में काम कर रही है। इन ३—४ वर्ष में हमने जो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया है और जिस प्रकार से हम शिक्षा को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं उसमें हमें कितनी सफलता मिली है और हमारी क्या कमजोरियाँ हैं और वह कैसे दूर हो सकती हैं और किस तरह से हम उस चित्र को भर सकते हैं, यह कार्य उनके सुपुर्द है और वह इसको कर रहे हैं।

यूनीवर्सिटी एजूकेशन के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तो हम नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हो। गाँव-गाँव, घर-घर और गली-गली में तो वह नहीं बन सकतीं, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा उंचे स्तर की होनी चाहिये। इस बजट में आप देखेंगे कि लाखों रुपया छात्रवृत्ति के रूप में स्कालरशिप और फ्रीशिप में हम विद्यार्थियों को देते हैं और ऊंची शिक्षा के लिये खर्च करते हैं, लेकिन बावजूद इसके खेद है कि स्टैंडर्ड (स्तर) गिरता जाता है। इसका कारण जो कुछ मेरी समझ में आया है, वह मैंने वाइस-चाँसलर्स की काँफ्रेन्स में भी कहा था और लोगों ने भी कहा था कि हम प्रयत्न करेंगे कि हमारे बड़े बड़े अध्यापकगण, जिनको प्रोफेसर कहते हैं, वे शिक्षा का काम कम करते हैं और रिसर्च सम्बन्धी काम अधिक करते हैं। हम लोग जब बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें फ़र्स्ट ईयर (प्रथम वर्ष) ही में हेड आफ़ दि डिपार्टमेंट पढ़ाते थे लेकिन अब हम देखते हैं कि यह प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है कि अध्यापकों का काम वह कम करते हैं और अनुसंधान में ज्यादा समय देते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अध्यापन का काम अधिक करें और लड़के कालेज में इसीलिये जाते हैं कि उन्हें योग्यतम अध्यापकों से उच्च शिक्षा मिल सके और अध्यापकों का काम भी यही है कि वह अपनी बुद्धि, निपुणता, योग्यता और ज्ञान का प्रकाश बालकों में डाल सकें। अगर वह यह काम नहीं करेंगे तो हमें इस दिशा में सफलता नहीं मिल सकती है। एक ओर हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे डिग्री कालिजों में यह व्यवस्था हो कि और कामों में उनका अधिक उत्साह पैदा हो और वहाँ इस बात का भी प्रयत्न किया जाय कि हमारा देश जो

विज्ञान में आगे बढ़ सकता है, वह कहीं इस कारण से पीछे न रह जाय कि हमारे बड़े बड़े अध्यापक इस काम को अपना काम न समझें।

चूंकि अध्यक्ष महोदय ने मुझे इस बात की सूचना दे दी है कि हमको कम समय लेना चाहिये और यह ठीक भी है, इसलिये मैं यही चाहूंगा कि भवन के सदस्यों का अधिक समय न लूं जिससे सदस्यों को अधिक समय मिले और वे हमें सुझाव दे सकें। लेकिन एक ओर मैं उनका ध्यान ज़रूर आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे बड़े बड़े विद्यालयों में और स्कूल और कालेजों में अनुशासनहीनता इस चोटी पर पहुंच गई है कि हमें उस ओर एक ठोस क़दम उठाना आवश्यक हो गया है। मैंने काउन्सिल में इस विषय में कुछ कहा था। उस पर अखबारों में मैंने यह देखा कि यूनीवर्सिटी सर्किल्स में उस बात पर रोष प्रकट किया गया कि शिक्षा मंत्री को यह नहीं कहना चाहिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख और भवन के सदस्यों के सम्मुख यह रखना चाहता हूं कि यदि हमारे सामने इसमें सुधार करने का कोई दूसरा तरीका न रहा तो क्या हम इस कारण कि हमारे बच्चों पर कोई तशद्दुद न हो, यह देखेंगे कि हमारे अध्यापक सड़कों पर चलते हुये कत्ल किये जावें। मुझे मालूम हुआ है और यह हमारे प्रान्त के लिये, हमारी शिक्षा प्रणाली के लिये और हमारे स्कूलों और विश्व-विद्यालयों के लिये शर्म की बात है कि लड़के इम्तिहान में बैठते हैं और खुल्लमखुल्ला नक़ल करते हैं। बगल में चाकू रखते हैं इसलिये कि मास्टर देख ले कि चाकू रखा हुआ है, इस लड़के से न बोलो, नहीं तो बाहर चल कर यह हमें कत्ल कर देगा। मैं तो समझता हूं कि हमारे अध्यापकगण इस बात में हमारा सहयोग देंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि यह अनुशासन-हीनता, जो बढ़ रही है, इस पर रोक लगाई जाय, लेकिन अगर वे इस कार्य में असफल रहे हैं तो यह हमारे लिये सरकार होने के नाते और देश का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिये यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि जिस प्रकार से भी हो सके इस बात का प्रयत्न किया जाय कि हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता कम हो जाय। इस सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना था।

एक विचारणीय प्रश्न है जो आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी के सामने है। वह इस पर सक्रिय-रूप से विचार कर रहे हैं, लेकिन इस भवन के सम्मुख मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि हम जिस चित्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस चित्र को हम बनाना चाहते हैं, उसमें अनुशासनहीनता के लिये कोई स्थान नहीं है। अनुशासनहीन समाज संगठित नहीं हो सकता। यदि किसी समाज में उसके नौजवान अपने ऊपर किसी प्रकार का अनुशासन मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो वह समाज रसातल को चला जायगा। मैं अपने विचारों के लिये अध्यापकगण से क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा कि वे अधिक से अधिक इस बात का प्रयत्न करें और हमें इस बात में सहयोग दें।

इसके उपरान्त आप यह भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक बड़ा भारी कर्ज़ा है। उस क़र्ज़े को सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। हम उस कर्ज़े को भी अदा करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि अध्यक्ष महोदय हमारी ओर देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं और इसलिये मैं बैठ जाना भी चाहता हूं। लेकिन इसके पहले कि मैं बैठूं मैं अपने पूर्वाधिकारी को और जो हमारे डिपार्टमेंट के ऐसे अफ़सरान हैं, जिन्होंने कि इस प्रणाली में अच्छा कार्य किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। यह हमारे प्रान्त का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वाधिकारी बुद्धि में इतने प्रबल, विद्या में इतने निपुण और इतने ऊंचे स्तर के व्यक्ति थे कि उन्होंने इस ट्रांजीशन पीरियड (संक्रमण काल) में हमारी शिक्षा को एक ऐसा रास्ता दिया जिससे कि देश का भविष्य हम सम्हाल सकते हैं। इसी तरह से मैं भूतपूर्व डाइरेक्टर आई० आर० खां, जो हमारे शिक्षा संचालक थे, उनको भी मैं इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने उसको एक स्थान देकर हमारे लिये यह संभव

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कर दिया कि हम उस पर अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। साथ ही मैं सेक्रेटरी सपरू साहब और श्री बी० एन० झा को भी, जो कार्य-शैली उन्होंने अपनायी है, उसके लिये बधाई देना चाहता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय स्पीकर महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किये हैं, उनमें मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

आदरणीय स्पीकर महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से शिक्षा का उद्देश्य हमारे सामने बतलाया है, मैं बहुत दूर तक उनसे सहमत होने के लिये तैयार हूं, जहाँ तक उन्होंने रूस का उद्देश्य बतलाया, जहाँ तक उन्होंने चीन का उद्देश्य बतलाया, मगर जहाँ तक उन्होंने पोलिटिकल डेमोक्रेसी (राजनीतिक लोकतंत्र) का उद्देश्य बतलाया और जो कंट्री (देश) उसको एडाप्ट (प्रयुक्त) करते हैं उसके बारे में कहा, वहाँ हमारा उनसे कुछ मतभेद भी है। रूस का उद्देश्य शिक्षा मंत्री जी ने कम्युनिस्ट पैदा करना बतलाया; और जो पोलिटिकल डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन कंट्रीज का उद्देश्य जनतांत्रिक नक्शे को पूरा करना बतलाया है। मगर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भारतवर्ष में किस चित्र का निर्माण करना चाहते हैं, इसको उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं रखा।

आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें आज बहुत द्रुतगति से शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिये। मगर मैं निहायत अदब के साथ सरकार के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गाँधी के मानने वाले तथा कथित और उनके सिद्धान्तों पर चलने वाले, जिन लोगों ने यह सरकार बनायी है, वे क्या इस बात को मान सकते हैं कि महात्मा गाँधी शिक्षा को जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, जैसा चित्र वे भारतवर्ष का बनाना चाहते थे, वैसा चित्र बनाने के लिये यह सरकार अग्रसर हो रही है, जिसमें विषमता न रहे और जिसमें किसी प्रकार का शोषण न रह जाय। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या शिक्षा इस वक्त विषमता निवारण, शोषण निवारण और समानता तथा भाईचारे के समाज की रचना की ओर जा रही है? महात्मा गाँधी ने एक ऐसे समाज निर्माण की कल्पना की है जिसमें किसी तरह का शोषण न रह जाय। "फ्रीडम इज दि रिकगनीशन आफ नेसेसिटीज" वह सरकार गलत है जो स्वतंत्र हो जाने के बाद, कार्य कारण से सम्बन्धित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान नहीं देती। "फ्राम दि रिअल्म आफ नेसिसिटीज टु दि रिअल्म आफ फ्रीडम" विवशता के क्षेत्र से निकल कर स्वच्छन्द वातावरण नहीं पैदा करती।

गाँधी जी ने एक शिक्षा की व्यवस्था की थी जिसका नाम वर्धा स्कीम है और आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने भी शिक्षा की एक व्यवस्था की थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह किस स्कीम पर चल रही है। यहाँ की शिक्षा महात्मा जी की स्कीम पर चल रही है या आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी के अनुसार सरकार शिक्षा का संचालन कर रही है? जहाँ तक उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस उत्तर प्रदेशीय सरकार के सामने कोई भी उद्देश्य नहीं है। जब जिस तरीके से हुआ, जैसा चाहा उस तरीके से बढ़ चले, कुछ काम बन जाय तो बन जाय, न बने तो न बने। अध्यक्ष महोदय, अक्सर कहा जाता है रूस आफ्टर रेवोल्यूशन (क्रान्ति के बाद) स्वतंत्र बना और हिन्दुस्तान समझौते से स्वतंत्र बना। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे जिस तरीके से बनी हो लेकिन हिन्दुस्तान में क्रान्तिकारी परिस्थितियां मौजूद थीं और हिन्दुस्तान की जनता क्रान्तिकारी भावनाओं से ओतप्रोत थी। इसका प्रमाण है कि जिस समय सरकार बनी और शिक्षा में तेजी के साथ कदम उठाने की ओर आगे बढ़ी, उस समय १९४७-४८ में जहाँ पर प्राइमरी एजूकेशन की बात हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने की है, सरकार की ओर से २,२०० प्राइमरी स्कूल्स खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया

गया था, मगर जनता में वह क्रान्तिकारी भावना थी कि वह तेजी के साथ आगे बढ़ी और उसने २३४६ स्कूलों का निर्माण कर दिया। फिर इस बात को रख कर भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने १९४८-४९ के लिये ४,४०० प्राइमरी स्कूल निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उसमें जनता आगे बढ़ी और ४५८२ स्कूलों का निर्माण कर दिया। फिर बाद में जनता की उस क्रान्तिकारी भावना को सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति ने मार दिया। उसकी भावना के साथ सरकार अपना कदम नहीं बढ़ा पायी। सरकार अपनी प्रतिक्रियावादी भावना को छिपाकर जनता को दोष दे कर कार्य करना चाहती है, मगर इसका परिणाम परिस्थितियाँ आगे सिद्ध करती चली जायंगी। सन् १९४९-५० के लिये ४,४०० का लक्ष्य निर्धारित हुआ और तब जनता केवल ४२१८ स्कूल बना पायी। १९५०-५१ में ४,४०० का लक्ष्य पुनः निर्धारित किया गया, मगर ५५० स्कूल ही बन सके। क्यों, इसका जवाब शिक्षा मन्त्री जी देंगे। हमें बहुत सी बातें कहनी हैं और मैं आदरणीय स्पीकर महोदय से निवेदन भी करूंगा कि शिक्षा का विभाग है और आज पूरा दिन लगना है तो हमें कुछ ज्यादा समय देने की कृपा करें।

अध्यक्ष--आप ५ मिनट और ले सकते हैं। १५ मिनट तक बोल सकेंगे।

श्री राजनारायण--मैं कहना चाहता था कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य का जहाँ तक सवाल है, मैं साफ कहूं कि शिक्षा में सरकार की तुगलकी नीति रही है; मुहम्मद तुगलक राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली करता था। उसी तरह से सरकार ने भी नीति अपनायी है। राजकीय पाठशालायें खुलीं, नहीं चल पाईं, कहा गया अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स उसको चलावें, सरकार ने ट्रेनिंग सेन्टर पहले इलाहाबाद में खोला उसके बाद लखनऊ में उसको ले आई और अब यहाँ भी अगर नहीं चल पावे तो फिर कहीं और ले जाया जावेगा। एक भी बात माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतावें, एक भी नीति सरकार की ऐसी बतावें जो सरकार की शुरू से लेकर आखिर तक आगे बढ़ती चली गई हो। एक भी ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक शिक्षा की बात है प्राइमरी शिक्षा की बात है, शिशु शिक्षा की बात है सरकार विफल रही है। आयु के अनुसार शिक्षा को भिन्न-भिन्न स्तर पर बांटा गया है। आप १४ वर्ष तक कालेज जाने के पहले की अवस्था मान लीजिये और उसके बाद कालेज की अवस्था कह लीजिये। वैसे कालेज जाने के पहले की अवस्था को कई हिस्सों में बाँटा गया है। खैर, लेकिन शिशु शिक्षा की ओर सरकार ने क्या क़दम बढ़ाया है इसको बताया जावे। बिलकुल उपेक्षा की नीति बरती गई है।

जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल है हर एक आदमी मानता है कि फ्री कम्पलसरी यूनीवर्सल एजूकेशन (निःशुल्क अनिवार्य सर्वव्यापी शिक्षा) होनी चाहिये। अभी अभी हमारे केन्द्र के शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब बाहर से लौटकर आये तो उन्होंने कहा था कि तुर्की ऐसा छोटा मुल्क है लेकिन वहाँ पर सेकन्डरी एजूकेशन फ्री (निःशुल्क) है। मगर ६ वर्ष का शासनकाल काँग्रेस सरकार का व्यतीत हो गया कोई भी साधन सरकार को नहीं प्राप्त हो सका जिससे हमारे यहाँ की शिक्षा की गति बढ़ सके। इसको हम क्या कह सकते हैं? इतना अवश्य कह सकते हैं कि यह उपेक्षा की नीति है और बहुत घातक है। हमारे माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि आदरणीय सम्पूर्णानन्द जी ने आँकड़े एकत्र कराये थे। हमारे वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी ने आदरणीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की बहुत प्रशंसा भी की है। सही बात है वे एक योग्य, कुशल और अनुभवी विद्वान् है और आज विद्वत्जगत में इसकी समालोचना है कि जिस मंत्रि-मंडल में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी जैसे विद्वान् हैं उसमें शिक्षा विभाग किसी दूसरे मंत्री को कैसे दिया जा सकता है। इस पर अग्रलेख भी लिखे गये हैं, सम्पादकीय टिप्पणियाँ भी निकाली गई हैं, लेकिन इसका क्या कारण है मैं इस समय हाउस को बताने में असमर्थ हूं।

[श्री राजनारायण]

सन् १९४६ में ५८ लाख कुल विद्यार्थी थे जो कि प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने लायक थे। १५ लाख विद्यार्थी कुल पढ़ते थे। ४३ लाख विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना था। उन ४३ लाख विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए एक योजना बनायी गयी थी कि सरकार राजकीय प्राइमरी स्कूल खोल कर ऐसी योजना बनावे ताकि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने योग्य हों उन सब को पढ़ाने का समुचित प्रबन्ध हो सके। मगर आज वह योजना कहाँ है? आज वह योजना भी उड़ गयी है और माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि ढाई सौ स्कूल इस साल के बजट में हैं। मंत्री जी ने फीगर्स भी दिये कि दिन ब दिन प्रगति करते जा रहे हैं, शिक्षा के खर्चे पर। लेकिन शिक्षा का खर्चा मैंने पहले भी बताया था। इस बार भी बताता हूं। १९३७-३८ में करीब १७ फीसदी शिक्षा पर खर्च किया गया। १९३८-३९ में १७ फीसदी के करीब खर्च किया गया। १९३९-४० में करीब १६ फीसदी खर्च हुआ। इसी प्रकार १९५१-५२ में खर्च घट कर केवल १४ फीसदी रह गया। और १९५२-५३ में केवल १२ फीसदी बजट में रखा गया है। लेकिन इसमें केवल शिक्षा मंत्री का दोष नहीं है। पूरे मंत्रिमंडल का, पूरे आर्थिक ढांचे का दोष है। इसलिए अगर किसी एक को सिंगिल आउट करके (अकेले को लेकर) यदि माननीय सदस्य देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं गलती हो जायगी। अगर पूरे सिस्टम को देखेंगे तो पाएंगे कि सारा ढांचा ही राटेन (जीर्ण-शीर्ण) है। जिस आर्थिक नीति पर यह ढांचा बना है वही गलत है। इससे न शिक्षा में प्रगति हो सकती है, न उत्पादन में प्रगति हो सकती है, न भ्रष्टाचार ही दूर किया जा सकता है। माननीय स्पीकर महोदय, यह तो शिक्षा के उद्देश्य की बातें हुईं।

यदि शिक्षा के प्रबन्ध की ओर ध्यान देंगे तो उस ढोल में बड़ी पोल मिलेगी। पाठ्य-पुस्तकों की सरकार की ओर से व्यवस्था की जाती है। हमारे इस समय के गवर्नर महोदय श्री के० एम० मुंशी के उपन्यास "पुरन्दर", "पराजय" और "अविभक्त आत्मा", आठवें और नवें में पढ़ने के लिए रखे गये हैं। उनके अनुवादक हैं हमारे बनारस के एक प्रोफेसर। एक तरफ अनुशासन और चरित्र की माँग की जाती है।

श्री हरगोविन्द सिंह --अध्यक्ष महोदय, मैं इत्तला दे देना चाहता हूं कि रीडर (पुस्तक) निकाल दी गयी हैं।

श्री राजनारायण--बड़ी खुशी हुई यह जान कर कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम से निकलवा दिया। इसलिए मैं उसकी लाइनें नहीं पढ़ता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने पूरी पूरी योजना रखता। लेकिन समय के अभाव से मजबूर हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि शिक्षा विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी भी विभाग में नहीं है। साइकालोजिकल ब्यूरो इलाहाबाद में खुला है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाते हैं और जिनके माता पिता ने लिख कर पहले से ही दे दिया कि हमारा बच्चा खुरपी लेकर खोदा करता है तो दस-पंद्रह दिन के बाद ही जब बच्चा घर जाता है तो प्रोफेसर प्रमाणपत्र में लिख देते हैं कि मालूम होता है कि आपके बच्चे की प्रवृत्ति कृषि की ओर है। लेकिन जो अभिभावक जरा चतुर होते हैं वह पहले से कुछ नहीं लिखते हैं तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि अभी आपके बच्चे की प्रवृत्ति बतलायी नहीं जा सकती है। यह वहाँ की दशा है।

सरकार पुस्तकों पर इनाम देती है। मुझे निहायत दुख के साथ सदन के सामने कहना पड़ता है कि मैथिलीशरण गुप्त की पुस्तकों पर तो सात सौ रुपया इनाम दिया जाता है लेकिन अनूप सिंह जी की एक पुस्तक १८ सौ रुपया इनाम देने के योग्य समझी जाती है कौन विभाग इस चीज को देखता है, माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उनको मालूम होना चाहिये कि पारितोषिक वितरण कमेटी बिलकुल अन्यायपूर्ण ढंग से पारितोषिक बाँटती है।

जहाँ माननीय मंत्री जी अन्य कालिज और ट्रेनिंग कालिज खोलने की बात करते हैं, वहाँ मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे लेजिस्लेटर्स के लिये और माननीय मंत्रीगण

के लिये भी कोई कालिज खोलने की जरूरत है जिसमें उनको ट्रेनिंग मिल सके। जैसे हमारे डाक्टर भगवान दास जी हैं और भी ऐसे प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हैं उनको लेकर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिये जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाय और मंत्रीगण वहाँ पर यह सीखें कि मंत्री कैसे होने चाहिये, आचरण कैसे बने, क्योंकि जितना मौन व्याख्यान का असर पड़ता है, उतना कहने का असर नहीं पड़ता। एक उच्च चरित्र के आदर्श को लेकर हम चलें तो जन-कल्याण हो, मगर उसकी कमी हमें मालूम पड़ती है। उच्च आचरण का आदर्श रखने के बाद ही समाज की गिरी अवस्था हमें मालूम हो सकती है। तो इस प्रकार की एक संस्था की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि चरित्र होना चाहिये, वैसा योग्य चरित्र नहीं हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। उसके नीचे की गिरावट को रोकना चाहिए।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)---माननीय अध्यक्ष जी, विरोधी दल के नेता ने आज मार्क्स और गाँधी की नीति का जिक्र किया। कल जब गाँधी जी का जिक्र किया गया तो उन्होंने नाम लिये जाने पर आपत्ति की। 'भूत वही जो सिर पर चढ़ कर बोले"। हमारे विरोधी दल के नेता मार्क्स के पीछे हैं और गाँधी के पीछे हैं, यही हमारा और उनका फर्क है।

मैं, अध्यक्ष जी, आपसे अर्ज करूंगा कि जो शिक्षा का क्रम पिछले ४ या ५ साल में माननीय संपूर्णानन्द के नेतृत्व में इस प्रान्त में चला था उससे तीन बड़े लाभ हुए। एक तो यह कि अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ शिक्षा-क्रम रखा था, जो इधर उधर की बातें थीं उनमें बदलौवल हुआ। लोगों में शिक्षा का प्रसार, पढ़ने और लिखने की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी और तीसरे यह कि काफ़ी स्कूल खुले और इमारतें बनीं। इतने बड़े तजुर्बे में गलतियाँ भी हुईं और उन गलतियों के कारण जो नतीजे निकले, मैंने बजट पर बहस के समय उसका जिक्र किया था। बेरोजगारी का बढ़ना और दूसरे एक स्टैंडर्ड का गिरना और पेशेवर, वोकेशनल ट्रेनिंग का शिक्षा में न होना। मुझे खुशी हुई जब मैंने माननीय मंत्री का भाषण रेडियो पर सुना और पढ़ा और आज भी उसका तजकिरा सुना कि उन्होंने इन दोनों प्रश्नों के महत्व को समझा और उसपर वह गौर कर रहे हैं। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं माननीय मंत्री को कि इस प्रश्न पर जल्द बाजी न करें। क्यों ? इसलिये कि हमारा ४-५ सालों का तजुर्बा हमारे सामने है। जब हम उससे पृथक् जावें तो हमको सोच-समझ कर दूसरी योजना सामने रखनी चाहिये।

मैं उनको ध्यान दिलाऊंगा कि इंगलैंड में एक एजूकेशन ऐक्ट पास किया गया जिस पर आज इंगलैंड चल रहा है और वह ऐक्ट कब पास किया गया कि जब इंगलैंड अपनी जिन्दगी और मौत के युद्ध में जरमनी से फंसा हुआ था। उस जमाने में शिक्षा के महत्व को जानकर एजूकेशन ऐक्ट पास किया गया। मैं आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी, अपनी सरकार का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि इस अधिवेशन में सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है वह इस राज का एजूकेशन ऐक्ट है और उनको इस सदन के सामने ऐसा ऐक्ट जल्दी से जल्दी उपस्थित करना चाहिये और बहुत सोच-समझकर उस ऐक्ट को बनाना चाहिये और उसपर अमल करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री की तवज्जह उसी इंगलैंड के एजूकेशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। इंगलैंड के ऐक्ट में दिया गया है माननीय मंत्री और उनका स्टाफ (कर्मचारिवर्ग) स्वयं शिक्षा संस्थाओं का जहाँ भी वह मुआइना कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं जायंगे और देखेंगे और इंगलैंड के मिनिस्टर पर्सनल इंसपेक्शन (व्यक्तिगत निरीक्षण) करते हैं। मैं अपने शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि जितना जबरदस्त दौरा इस प्रान्त में अपने विद्यालयों को देखने के लिये वे स्वयं कर सकें, अवश्य करें, और इस कार्य को अपने निरीक्षक और डाइरेक्टर पर न छोड़ दें, क्योंकि जिस स्वप्न से प्रेरित होकर वे इस कार्य को करेंगे, सरकारी कर्मचारी नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर पूर्ण अनुभव प्राप्त करने का हमारे माननीय मंत्री जी प्रयत्न करें।

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

मैं सदन के सम्मुख कुछ सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के सामने तीन ही अंश हैं जिनके अनुसार वे शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। पहले तो महात्मा जी की कुछ बातें हैं, उनके कुछ विचार हैं जिनको वे देखें, अमेरिका का सिस्टम (प्रणाली) वे देखें, तीसरे इटली ने शिक्षा के बारे में जो बातें कही हैं उनको देखें। तीनों में कुछ सामंजस्य है और तीनों का मेल-जोल मैं माननीय मंत्री जी के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। मैं पाँच-सात मिनट लूंगा और अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि वे दो-तीन मिनट मुझे और अधिक देने की कृपा करें। मैं यह अर्ज करूंगा कि इटली के शिक्षा-क्रम में सब से पहली बात यह थी कि हर आदमी की इतनी योग्यता हो कि वह अपना नाम लिख सके। मैं समझता हूं कि अगर एक छोटीसी बात की जाय तो इस प्रान्त का प्रत्येक आदमी अपना नाम लिखने लगेगा। गाँव पंचायतों के लिये नहीं बल्कि गाँव सभाओं की सदस्यता के लिये यदि यह नियम बना दिया जाय कि जो अपना नाम नहीं लिख सकता है वह गाँव सभा का सदस्य नहीं होगा, तो मैं आप से कहता हूं कि वोट वह चीज है, गाँवों की पार्टी बन्दी वह चीज है कि इतनी तेजी से गाँवों के लोग अपने नाम लिखने का अभ्यास आरम्भ कर देंगे कि आप आश्चर्य में पड़ जायंगे।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं —

"As many people as possible must be schooled in the special fields in which they have to work."

[यथासम्भव अधिक से अधिक लोगों को उन कार्यों में शिक्षा देनी चाहिये जहाँ कि वे काम करते हैं।]

आगे की जिन्दगी में जाकर जहाँ लोगों को काम करना हो, वहीं उनको तालीम दी जाय। इसका हवाला माननीय मंत्री जी ने भी दिया है कि जो जिस प्रकार का काम करना चाहे उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाय। तीसरे फिजिकल एजुकेशन (शारीरिक शिक्षा) स्वास्थ्य ठीक करने के लिये दी जाय। चौथे देश का नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिये नैतिक शिक्षा भी दी जाय।

मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि महात्मा जी की नीति और अमेरिका की आज की नीति में विशेष सामंजस्य है और जिसका हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया कि हमारी शिक्षा को जनता पर छोड़ दिया जाय। डिसेंट्रेलाइजेशन आफ एजुकेशन (शिक्षा का विकेन्द्रीकरण) कर दिया जाय और उनको अपनी शिक्षा का कैरिकुलम तैयार करने दिया जाय। हर आदमी शिक्षा चाहता है। हर आदमी अपने बच्चों को बढ़ाना चाहता है। अभी तक शिक्षा का सेंट्रेलाइजेशन (केन्द्रीकरण) ही होता रहा है, लखनऊ में ही सब कुछ होता रहा है। अब हमें डिसेंट्रेलाइजेशन आफ एजुकेशन के लिये प्रयत्न करना होगा। हमारे पास आँकड़े मौजूद हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि सन् १९५०—५१ में लगभग ९ करोड़ रुपया इस प्रान्त की जनता ने स्वयं अपने पास से खर्च किया जब कि ७ करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया। यदि ७ करोड़ से भी कम खर्च किया जाय और जनता पर छोड़ दिया जाय, तो काफ़ी पैसा जनता से शिक्षा के लिये प्राप्त किया जा सकता है। जो मैंने आँकड़े देखे हैं उनसे यह पता चलता है कि हमारे यहाँ प्रत्येक आदमी की, चाहे वह किसान हो या कोई हो, आमदनी बढ़ी है। मैंने छोटे छोटे गाँव देखे हैं जहाँ दस-दस बारह-बारह हजार रुपया लोगों ने स्कूलों के लिये जमा किया है। इटावा जिले में जनता के पैसा से इतनी इमारतें बनी हैं, जिनका जिक्र इस हाउस में माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने और माननीय मुख्य मंत्री ने किया है। तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप को शिक्षा को डिसेंट्रेलाइज और सेल्फ सपोर्टिंग (आत्मनिर्भर) करना पड़ेगा जैसा कि अमेरिका में है और जैसा कि महात्मा जी ने बताया है। तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाइये जो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये अपनी रिपोर्ट दें। फिर इस सदन के सामने आप एक बिल लाइये और एक एजुकेशन ऐक्ट बनाइए। उसके बाद शिक्षा की बड़ी योजना क़ायम की जाय।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने दीक्षित जी ने बहुत विस्तार के साथ शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं लेकिन मेरे सामने तो एक ही पैमाना है जिससे मैं शिक्षा की या दूसरी प्रगतियों को, जो कि इस बजट में की गयी हैं, उनको नाप करता हूं। वह यह है कि नागरिक क्षेत्र की शिक्षा के लिये क्या योजनाएं बनायी गयी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के लिये क्या योजनाएं बनायी गयी हैं। जहाँ तक इसमें यूनिवर्सिटी, कालेजेज़ और बड़े-बड़े अनुदानों की बात है नागरिक क्षेत्र की ओर ही उनका विशेष ध्यान है। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर इस बजट में कौन सा विशेष ध्यान किया गया है? हमारी समझ से सारे सूबे में २५० स्कूल खोल देने में कोई विशेष बात नहीं है जबकि इससे पहले जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री थे उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रगति इस ओर की थी और हमें दरअसल उनको इस बात के लिये धन्यवाद देना है। गाँवों की शिक्षा के लिये हमारी समझ से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो मौजूद हैं उन्होंने कदाचित् यह सोच कर विशेष प्रगति के लिये अपने बजट में रुपया नहीं रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा-दीक्षा का भार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर पड़ने जा रहा है। तो मैं उनसे उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत के बारे में भी जिक्र करूंगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के शिक्षकों का जहाँ तक सम्बन्ध है उनका वेतन बहुत ही कम है और उनको अपने काम में इतनी कम दिलचस्पी भी इसी वजह से है। उनका वेतन उन्हीं के स्कूल में काम करने वाले चपरासियों से भी कम है। लखनऊ की ही बात है कि अभी हाल में यहाँ के शिक्षकों ने एक हड़ताल की और जो उनके यहाँ लड़के थे वे स्कूल बन्द होने के कारण बाजारों में खोमचा बेचने लगे थे। उन चपरासियों और अर्दलियों के एक व्यक्ति ने हम से बताया कि बड़ा अच्छा है कि आज कल स्कूल बन्द है, क्योंकि हमारा लड़का दो रुपया रोज फल बेंच कर पैदा कर लेता है। तो पढ़ने की बात तो ऐसी ही हो गयी है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मास्टरों की यह हालत हो गयी है कि उनका वेतन कम होने और ठीक समय पर न मिलने की वजह से उनका आदर देहातों में भी कम होने लगा है। साथ ही साथ कम वेतन होने की वजह से अब वे काश्तकारी करने और घर का अन्य काम भी देखने लगे हैं और न देखें तो ३५ और ४० रुपये के वेतन में जब कि वे देहात में ट्यूशन भी नहीं कर सकते उनका गुजारा भी नहीं हो सकता है। इस कारण आज उनका ध्यान शिक्षा की ओर से बंट गया है। तो हमारी समझ में विशेष रूप से कोई ग्रांट उनके वेतन को बढ़ाने के लिये, जिससे उनका जीवन-स्तर ऊंचा हो सके, इस बजट में नहीं रखी गयी है जो एक कमी है।

दूसरी चीज जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में खासतौर से सामने आया करती है वह कम्पलसरी (अनिवार्य) और नान-कम्पलसरी एरिया की है। कम से कम बाराबंकी जिले में यह बात खास तौर से है। हमारे यहाँ जिले में इमारतों की बहुत बड़ी कमी है। गत वर्ष लगभग ३० हजार रुपया कम्पलसरी एरिया में इमारतें न बनने की वजह से बाकी पड़ा रहा लेकिन रूल्स इतने सख्त हैं कि वह ३० हजार रुपया नान-कम्पलसरी एरिया में किसी प्रकार नहीं आ सका। चाहे वह रुपया लैप्स (व्यपगत) हो जाय मगर नान-कम्पलसरी एरिया में नहीं आ सकता है। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इस कठिनाई की ओर खासतौर से ध्यान दें। दूसरी कठिनाई जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सामने है वह यह है कि जनरल फंड का एकाउंट शिक्षा फंड के एकाउंट में किसी तरह से ट्रांसफर (संक्रामण) नहीं हो सकता। अगर शिक्षा फंड में जरूरत है और जनरल फंड में रुपया पड़ा हुआ है तो भी वह शिक्षा फंड में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और वह इसलिये कि उनका मिनिमम (निम्नतम) कम हो जायगा। और अगर किसी तरह से रुपया ले लिया गया और उसकी जरूरत न हुई और शिक्षा के मद में वह रुपया बेकार पड़ा भी रहे तो वह जनरल फंड में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये ऐसी टैक्निकल (प्राविधिक) बातें हैं जिनकी

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

वजह से बहुत बाधा पड़ती है । मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इस ओर भी खास तौर पर ध्यान दें ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सामने यह जो मिनिमम (न्यूनतम) और मैक्सिमम (अधिकतम) के प्रश्न के साथ ही साथ कम्पलसरी और नान--कम्पलसरी एरिया की बात है उसमें कुछ सहूलियत हो जाय ताकि शिक्षा की ओर विशेष प्रगति हो सके ।

माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि रुपये की उनके यहाँ कमी है । इसलिये देहातों में स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये शिक्षा मंत्री जी ने यह वचन दिया था कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिये अनुमति दे देंगे लेकिन इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई । मैं देहातों के उन स्कूलों का जिक्र करना चाहता हूं जिनके पास धन है और वह साधन सम्पन्न हैं और जिनका रिजल्ट भी अच्छा है उनको रिकगनीशन हो जाना चाहिये और उनको अपने यहाँ ग्यारहवाँ दर्जा खोलने की इजाजत दे दी जाय । लेकिन इंसपेक्टरों के यहाँ के प्रपोजल्स (प्रस्थापनाएं) नहीं आते हैं । कहा यह जाता है कि ऐसे गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं कि नये स्कूलों के प्रपोजल्स न भेजे जायं । मैं रामनगर के यूनियन हायर सेकेन्डरी स्कूल की बात कहता हूं। उसका रिजल्ट भी ९४ प्रतिशत है। वहाँ ग्यारहवाँ क्लास खोलना चाहते हैं । उन्होंने दस हजार रुपया जमा किया है और बिल्डिंग्स के लिये ६० हजार रुपया उनके पास है । इसके अतिरिक्त उनके पास १५ लड़के भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक ग्यारहवाँ खोलने की इजाजत नहीं मिली है । इस तरह के जिलों में न जाने कितने स्कूल्स हैं एक रुदौली का स्कूल है । हमारे यहाँ एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें साइंस क्लास हो । सरकार को इस ओर भी शीघ्र ध्यान देना चाहिये ।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज इस सदन के समक्ष शिक्षा के विषय पर बतलाना चाहता हूं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने जो प्रोग्राम हाउस के सामने पेश किया है वह आदरणीय है । मैं उसकी इज्जत करता हूं और उसका सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बतलाया है जो भविष्य में चलकर हमारे सूबे का, हमारी स्टेट का, कल्याण करेगा और उससे बच्चों का उत्थान होगा। उनकी स्कीम प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) है, ढीली नहीं है । परन्तु मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि अध्यापक समाज की जो दशा है वह आज किसी से छिपी हुई नहीं है । माननीय मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष बतलाया है कि आज स्कूलों में डिसिप्लिन (अनुशासन) का सवाल बड़ा कठिन है । हमारे उस्तादों की कोई कीमत नहीं है जब तक समाज अपने उस्तादों की कीमत नहीं करेगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है ।

अगर हमने गुरुजनों की सेवा और इज्जत नहीं की तो आप जानते हैं कि हम लोग अपने यहाँ लक्ष्मण और अर्जुन जैसे वीर बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं । आप जानते हैं कि हमारे यहाँ युधिष्ठिर और भीष्म जैसे महारथियों को द्रोणाचार्य जी ने पढ़ाया था । हम से कहा जाता है कि अध्यापकों का, द्रोणाचार्य का स्थान है लेकिन वैसा व्यवहार तो नहीं है । इसके लिये सरकार भी जिम्मेदार है, जनता भी जिम्मेदार है और प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है और इसी में हमारी स्टेट का कल्याण है ।

हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि इस स्कीम में कुछ नहीं है । मुझे बड़ा अफसोस है कि हर विषय में विरोध होता है । शिक्षा जैसे विषय पर विरोध करना उचित नहीं है । हमारे साथी ने बतलाया कि आप मार्क्सवादी हैं लेकिन दुहाई देते हैं गाँधी जी की लेकिन हम समझते हैं कि गाँधी जी का सिर्फ नाम भर लिया जाता है । हमारे उधर के जो भाई बैठे हैं वह सिर्फ गाँधी जी का नाम भर लेते हैं लेकिन उनके साहित्य का अध्ययन नहीं करते और उनके सिद्धान्तों को फालो (अनुसरण) नहीं करते हैं । "करो या मरो" यह आदेश महात्मा जी ने हमको सन् ४२ में दिया था। हमारे भाई जो उधर बैठे हैं उन्होंने भी हमारे साथ मार्च किया था लेकिन फर्क इतना है कि आज उन्होंने अपना चोगा बदल दिया है। वह भी सिपाही हैं और हम भी सिपाही हैं ।

यह स्टेट का प्रश्न है, शिक्षा का प्रश्न है। इसलिये हर नागरिक का कर्त्तव्य है कि प्रांत की शिक्षा की समस्या को हल करें।

मैं बस्ती के अध्यापकों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनको तीन-तीन महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि उनका रुपया वक्त पर मिल जाय। हमारे यहाँ १८ स्कूल थे आज ८० स्कूल हैं लेकिन अध्यापकों की स्थिति वही है न मकान है न बच्चों के लिये टाट है। सरकार का कर्त्तव्य है कि उनकी मदद करे।

दूसरी बात महंगाई की है। सरकारी जो अध्यापक हैं उनको २५ रुपये महंगाई दी जाती है लेकिन जूनियर हाई स्कूल के जो अध्यापक हैं उनको ८ रुपये हंमगाई दी जाती है, अब बढ़ाकर ९ रुपये कर दी गयी है। मैं बस्ती की बात बतला रहा हूं। दोनों तरह के स्कूल के अध्यापक एक ही काम करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि शिक्षा मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिये।

हरिजनों के साथ जो व्यवहार होता है वह संतोषजनक नहीं है। १० परसेंट रिजर्वेशन (सुरक्षण) हर जगह हरिजनों के लिये रखा गया है लेकिन परसों एक लड़का जे० टी० सी० की जगह के लिये आया था लेकिन वह नहीं लिया गया। तीन में से एक भी नहीं लिये गये। इसलिये आज अमल करने की जरूरत है। टीचर्स स्ट्राइक (अध्यापकों की हड़ताल) हुई थी उस वक्त मैंने एक सेंटेंस कहा था--

"The Government servants are digging the grave of the Government and the Congress Presidents are digging the grave of the Congress."

[सरकारी कर्मचारी गण सरकार को विनाश की ओर ले जा रहे हैं और काँग्रेस के अध्यक्ष काँग्रेस को विनाश की ओर ले जा रहे हैं।]

आज अमल नहीं है। सरकार तजवीजें पेश करती है लेकिन नीचे अमल नहीं होता। अगर सरकारी आफिसर्स सहयोग नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वे हमारी शिक्षा के मामले में सहयोग करें, देश का कल्याण सोचें और उनसे अनुरोध है कि हमारी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। मैं भी एक छोटा-मोटा उस्ताद हूं और बतलाये देता हूं कि बगैर उस्तादों का कल्याण किये हुए देश का कल्याण नहीं होगा।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में जितनी आबादी है उसके अनुपात से हमारे प्रदेश में कितनी शिक्षा बढ़ रही है उसके लिये सन् १९४७ से अब तक देखा जाय तो हम देखेंगे कि हमारी सरकार को तिगुना खर्च करना पड़ रहा है। इस विषय में जो कुछ भी कार्य हमारी सरकार कर रही है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। आज जितना भी हमारी सरकार शिक्षा पर खर्च करती है उसमें थोड़ी सी सुविधायें होती हैं। उनको हटाने के लिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो ये स्कूल और कालेजेज खोले जाते हैं उनका मैनेजमेंट (प्रबंध) अच्छा नहीं होता। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मैनेजिंग कमेटी जो होती है वह हरिजनों या अछूतों के लिये बहुत कम ध्यान देती है। जितनी भी शिक्षा की योजनायें बनाई गई हैं उसके लिये हरिजनों में कोई सुविधा नहीं। मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं, हरिजन सहायक बोर्ड बनाये गये हैं। उनको गवर्नमेंट ने काफी इमदाद देने की कोशिश की है लेकिन जो कार्य किया जाता है वह बहुत संतोषजनक नहीं हो पाता। हरिजन वेलफेयर (कल्याण) सुपरवाइजर्स (निरीक्षक) हर जिले में रक्खे गये हैं। उनका कर्त्तव्य है कि वे देहात में जाकर स्कूल के बच्चों की देखभाल करें लेकिन प्रान्त भर में जब कुल ११० सुपरवाइजर हैं तो मैं कहता हूं कि किस तरह से उनको जा कर किताबें या वजीफे

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

अच्छी तरह से दिलवा सकते हैं। यह मैंने अलीगढ़ जिले की बात कही। वहाँ के बच्चों को अब तक किताबें या वजीफे नहीं पहुंचे हैं। ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि इन पिछड़ी हुई जातियों के लिये जो सुविधायें दी जाती हैं वह काफी नहीं हैं सरकार ने बजट में जो इतना रुपया रखा है उससे उतना अधिक फायदा हरिजनों को नहीं पहुंच पाता है। इससे हमारे समाज को कितना धक्का लगेगा। मेरा सुझाव है कि वहाँ की कार्यकारिणी द्वारा जो जिले जिले में है, या जो हरिजन सोसाइटियाँ बनी हुई हैं उनके द्वारा वितरण कराया जाय तो मैं समझता हूं कि वक्त पर उन बच्चों तक सुविधा पहुंचाई जा सकेगी और वह उस सुविधा से फायदा उठा सकेंगे। देखने में यह आया है कि जो कुछ सुविधा दी जाती है वह अफसरों तक रह जाती है और उन तक पहुंचने में बड़ी-बड़ी कठिनाई होती है।

आज सरकार ने जो हम लोगों को १० परसेंट रिजर्वेशन दिया है वह भी हमको नहीं मिल पाता है। हमारे बच्चों पर जो उनके माँ-बाप खर्च करते हैं वह व्यर्थ खर्च होता है जब उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर किसी सरकारी नौकरी के लिये कोई आदमी प्रयत्न करता है तो उसको वह नहीं मिलती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसने अपने यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में जो सीटों को रिजर्व करा रक्खा है उन पर हरिजनों को नियुक्त करे यह नहीं होना चाहिये कि सब सीट दूसरों को मिल जायं और हरिजनों को एक भी न मिले। जितनी भी सीट किसी डिपार्टमेंट के अन्दर खाली हों तो वह पहले हरिजनों को मिलनी चाहिये और बाद में दूसरों को मिलनी चाहिये। अगर आप इस तरह से करेंगे तभी यह हमारा १० फीसदी का हिसाब पूरा हो सकता है। मैंने कमीशन की रिपोर्ट को भी देखा है किसी डिपार्टमेंट में १, २, ३ सीटें निकलती हैं तो उसमें वह उनको नहीं मिल पाती हैं और वह उस सरकार की पालिसी से वंचित रह जाते हैं और उनमें कोटा पूरा नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको पहले का सारा हिसाब लगाकर जब तक १० फीसदी का हिसाब पूरा न हो जाय और दूसरों को सीट न दी जायं।

जरायम पेशा जाति के मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा है कि ३० अगस्त, १९५२ ई० के आखिर तक हमको इसको खत्म करने का इरादा है लेकिन मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन जरायम पेशा जातियों के लिये एक अड़चन यह रहती है कि वह एक जगह पर कहीं एकत्रित नहीं हैं, किसी एक जगह पर बसी हुई नहीं हैं। इसलिये उनका सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कहीं भी देखें किसी गाँव में एक किसी में दो आदमी रहते हैं और ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि कोई सामाजिक सुविधा उनको मिल सके। आज शिक्षा के अन्दर जो सुविधा उनको मिली है उससे वह वंचित रह जाते हैं और उनको मिल नहीं पाती है। इसके साथ ही जरायम पेशा जाति के लोग थाने के पास बसाये जाते हैं हमेशा उनको यह डर लगा रहता है कि कहीं उनको पुलिस किसी मामले में फांस न दे। इसलिये मेरा कहना है कि आप उनको एक स्थान पर बसाकर सुधारने का प्रयत्न करें तो अच्छा है।

आज समाज सेवा का भाव एजुकेशन पाने के बाद उन लोगों के अन्दर नहीं रहता है और जब तक समाज की सेवा का भाव नहीं होगा तब तक देश ऊपर नहीं उठ सकता है। पढ़ने-लिखने के बाद अगर किसी जगह पर वह पहुंच जाता है तो उसके अन्दर किसी तरह की समाज सेवा का भाव नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि देश के हित के लिये उसको पढ़ाया जाता है लेकिन इससे अहित होता है और आगे चल कर वह देश के लिये हानिकारक सिद्ध होता है।

पुस्तकों के विषय में आप देखेंगे कि यह गरीब लड़कों के लिये बड़ी ही मुश्किल का सवाल था कि हर साल पुस्तकें बदलें। हमारे शिक्षा मंत्री ने पहले ही इस बात का इंतजाम कर दिया कि पुस्तकें न बदलें। मैं कहता हूं कि हर साल इससे बहुत धन की बचत होगी और

लोगों की परेशानी कम हो जायगी। मुझे यह सुन कर बहुत खुशी हुई कि हमारे शिक्षा मंत्री ने इस बात को खत्म कर दिया है और अब आगे के लिये भी वह बदलने न पायेंगी।

श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में जहां तक इन ५ सालों के आंकड़े हैं हमारी सरकार की तरफ से काफी प्रगति की गई है। हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं, हाई स्कूल खोले गये हैं और ट्रेनिंग स्कूल भी खोले गये हैं और इसमें हम काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन जिस विशेष बात की तरफ हमको ध्यान देना है वह यह है कि देहात में जहां तक शिक्षा का संबंध है कुल २५० प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रबन्ध किया गया है जो बिल्कुल नाकाफी है। देहात के अन्दर शिक्षा की बहुत कमी है। जब तक हर देहात में प्राइमरी स्कूल न हो, हर बालिग आदमी पढ़ा-लिखा न हो तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। गांवों में जो प्राइमरी शिक्षा दी जाती है उसमें केवल भाषा का ही ज्ञान कराया जाता है। देहातों में जहां प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें गांव संबंधी जो चीजें हैं जैसे खेती, शिल्पकारी और दस्तकारी वगैरह की भी शिक्षा देना चाहिये और उन पर जोर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा जाय तो हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं उनको कस्ट्रक्टिव और रचनात्मक काम सिखाये जायं तो बहुत लाभ होगा क्योंकि केवल भाषा का ज्ञान हासिल करके जब वह जूनियर हाई स्कूल से आगे जाते हैं तो उनमें शेखी आ जाती है और वह हायर एजूकेशन में जाकर अपने घर के कामों को करना पसन्द नहीं करते और इसी वजह से शिक्षा का मयार नीचे गिरता जाता है और वह शिक्षा सिवाय मुलाजिमत के और कोई दूसरा काम करना नहीं चाहते हैं। यह प्रान्त के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहां का पढ़ा-लिखा तबका और पढ़े-लिखे लड़के सिवा नौकरी के कोई और काम करना पसन्द नहीं करते। इसलिये स्कूलों में इस तरह की शिक्षा देनी चाहिये कि जितने भी उन्नतिशील काम हैं उनके लिए सहकारिता आदि की शिक्षा दी जाय, उसमें थोड़ी-बहुत खेती, शिल्पकारी और दस्तकारी की भी शिक्षा होनी चाहिये। जो लड़के आगे तालीम पाने जायं उनमें खेती के कामों में दिलचस्पी रहना चाहिये और वह सब काम करने को उन्हें तैयार रहना चाहिये।

दूसरी तरफ से यह भी इशारा किया गया है कि शिक्षा के बारे में हमारे सामने कोई नकशा नहीं है। कांग्रेस के सामने एक बहुत ऊंचा नकशा है और एक निश्चित सिद्धांत है और महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत हमारे सामने है। उन्होंने शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ शिक्षा दी है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल कर हम बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। अगर चीन में कम्यूनिस्ट होने की शिक्षा दी जाती है और उनका यही नकशा है कि सबको कम्यूनिस्ट बनाना चाहिये तो हमारा लक्ष्य यही है कि हमें अपने लड़कों को गांधीवादी बनाना है। यही नहीं कि हम अपने प्राइमरी स्कूलों में ही सत्य और अहिंसा के नकशे को पूरा कर सकते हैं बल्कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज में उसे और भी सफल बना सकते हैं। यदि हमारे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में सत्य और अहिंसा की और हमारी पुरानी संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जाती तो यह तो हमारी कमजोरी है और अगर हम अपने यहां इस प्रकार की शिक्षा दें तो कोई रुकावट हमारे सामने नहीं है। लड़कों में जो अनुशासन हीनता आ रही है और जो आज्ञा पालन न करने की भावना आ रही है उसको दूर करने के लिये और हर काम को करने के लिये उनको तैयार करने के लिये यह आवश्यक है कि हम उनको सत्य, अहिंसा और गांधी जी के सिद्धांतों पर शिक्षा दें। लड़कों से इन स्कूलों में और एग्रीकल्चर स्कूलों में काम लेना चाहिये। इस समय तो हालत यह है कि एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर खुद गांव में जाकर नहीं बतला सकते कि हल कैसे चलता है और खेत

[श्री रघुबीर सिंह]

कैसे खोदा जाता है, खुरपा किस तरह से इस्तेमाल होता है वह तो केवल हुकुम देना ही जानते हैं। कृषि स्कूल व कालिज में यह नियम होना चाहिये कि वहां से मजदूर बिल्कुल हटा दिये जायं और लड़कों से ही काम लिया जाय और जो मजदूरी मजदूरों को दी जाती है वह लड़कों को दी जाया करे। इस तरह से काफी तरक्की हमें दिखाई देगी। इन बातों को मद्देनजर रख कर गांवों में ऐसे स्कूल भी खोले जा सकते हैं जिनको फाक स्कूल कहते हैं। एडेल्ट स्कूल में भी इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है। गांव में खेती और दस्तकारी की शिक्षा दी जाय और कुछ मनोरंजन का काम भी उनको सिखाया जाय। इस तरह से हमारे सामने देश की उन्नति का नकशा है और हम इस तरह से गांवों में उन्नति करना चाहते हैं। इस तरह से खेती करने वाले मजदूरों की भी तरक्की हो सकती है और इस तरह की शिक्षा का भी प्रचार हो सकता है।

हमें चाहिये कि हम इन सब बातों पर ध्यान दें जो मैंने कही हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इसको सोचेगी इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारी तालीम बहुत जल्दी ऊंची उठ सकेगी और हम बहुत कम रुपया खर्च करके उस मकसद पर पहुंच सकेंगे जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप में विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनको उनकी स्पष्टवादिता पर धन्यवाद देता हूं। आपने प्राइमरी स्कूलों के बारे में बहुत ही स्पष्टतः कहा है कि आज तक १२,१०० प्राइमरी स्कूल स्थापित हुए हैं और बड़े दुःख की बात है कि ९,००० स्कूलों के पास बैठने के लिये मकान नहीं है। अब ९,००० स्कूलों में २०० स्कूल इस साल बनाना चाहते हैं और प्रति स्कूल के पीछे एक हजार रुपया खर्च करने जा रहे हैं। पंच वर्षीय योजना का यह हाल है तो मैं तो यह कहूंगा कि यह ४५ वर्ष की योजना है क्योंकि प्रतिवर्ष २०० स्कूल बनेंगे तो ९,००० स्कूल ४५ वर्ष में बन सकेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर जितना खर्च होता है या विश्वविद्यालय पर जितना खर्च होता है उसका दसवां भाग भी प्राइमरी स्कूलों पर खर्च हो तो आज हमारी यह दुर्दशा न रहे। आप जानते हैं कि संस्कृत में एक कहावत है "सति कुड्ये चित्रम्" यानी यदि दीवार ठीक हो तो उसके ऊपर चित्र अच्छी तरह खींचा जा सकता है। ये जो बच्चे हैं वे भावी राष्ट्र हैं। इन्हीं बालकों में से महात्मा गांधी, तिलक, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सरीखे सम्पादक, ग्रन्थकार और न मालूम कौन कौन निकलेंगे। आज उनके स्कूलों की यह दुर्दशा है। खासकर के देहरादून जिले और टेहरी-गढ़वाल के बारे में मैं जानता हूं कि उन बालकों के पढ़ने के लिये मकान तो है ही नहीं बैठने के लिये टाट भी नहीं हैं।

पुस्तकों की यह हालत है कि पहले तो पुस्तकें मिलती ही नहीं यदि मिलीं भी तो रोज बदलती रहती हैं जिससे बालकों के अभिभावक तंग रहते हैं। दो महीने भी पुस्तकें ढंग से चलती नहीं हैं और बदल जाती हैं। इस प्रकार से बालक जो हमारे भावी राष्ट्र हैं उनके विषय में हम इस प्रकार से अनास्था दिखलाते हैं। यदि हम राष्ट्र को सुधारना चाहते हैं तो ऐसी पुस्तकें बनानी आवश्यक हैं जिनको पढ़ कर वे अपना नैतिक स्तर ऊंचा बना सकें। किन्तु इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और यही कारण है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक जो कुछ भी है सब की शिक्षा खराब होती जा रही है, अनुशासनहीनता इसी के कारण है। बालकों में ऐसी अनुशासनहीनता चल रही है, तो इसीलिये हमको उस तरफ ध्यान रखना चाहिये कि उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक की अपेक्षा बालकों की शिक्षा पर विशेष खयाल किया जाय। सारी बातें

बच्चों के ऊपर ही निर्भर है। १२ हजार स्कूल हैं और इस साल आप २५० स्कूल खोलने जा रहे हैं। जहाँ पहले मैंने सुना था कि हजारों की संख्या में स्कूल खोले जाने वाले हैं, दो-तीन गावों पर एक स्कूल खोला जाने वाला है वहाँ सारे प्रान्त में २५० स्कूल खोलने जा रहे हैं। सुनने में आया है कि अब वहाँ थोड़ी थोड़ी फीस भी ली जाने लगी है। तो मेरा यह विचार है कि जितने प्राइमरी स्कूल के गुरु हैं अगर उन्हीं को ये स्कूल सौंप दिये जायं तो वे प्राचीन ढंग के गुरुओं की तरह से अपने मकान भी बनवा लेंगे और लड़कों के पढ़ने के लिये पुस्तकों का भी प्रबन्ध कर लेंगे। देहरादून जिले और टेहरी स्टेट की दशा तो बहुत ही बुरी है। वहाँ तो अध्यापक रखे जाते हैं लेकिन लड़के आते नहीं हैं और हाजिरी भर दी जाती है और दिखला दिया जाता है कि स्कूल खुले थे। सहारनपुर जिले की दशा मुझे मालूम है। इसलिये सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि प्राइमरी शिक्षा जिन बच्चों को दी जाती है वह किस प्रकार की दी जाती है। उनके गुरुओं को भी सन्तुष्ट रखना आवश्यक है। जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सुपुर्द कर दिया गया है उनके पास पैसा नहीं है। वह झींक रहे हैं और उनका जीवन-निर्वाह भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो उन गुरुओं की दशा भी सुधारना अत्यन्त आवश्यक है। जब दीवार ही ठीक नहीं है तो उसपर भव्य भवन का निर्माण कैसे हो सकेगा। शिक्षा का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जिससे निःशुल्क शिक्षा लोगों को प्राप्त हो सके और हमारे बच्चों का नैतिक स्तर ऊंचा हो सके।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इस साल के और पिछले साल के बजट से जाहिर है कि स्वतंत्रता के बाद जितना विदेशी सरकार हमारे प्रान्त की शिक्षा पर खर्च करती थी उससे कहीं ज्यादा अपनी सरकार खर्च कर रही है और ऐसा होना ही था उस समय शिक्षा पर इसलिये खर्च किया जाता था कि उनके शासन के लिए क्लर्क मिल सकें परन्तु अब हमको शिक्षा से क्लर्क प्राप्त करना नहीं है। परन्तु श्रीमन्, उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इस प्रान्त का ८ करोड़ रुपया जो कि शिक्षा विभाग पर खर्च किया जाता है उससे राष्ट्र को या प्रान्त को क्या फायदा होता है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा पढ़ा-लिखा रहे हैं कि बच्चे आगे चल कर शिक्षित, विद्वान्, चरित्रवान् नागरिक बन सकें। इतना रुपया खर्च करके, टैक्सेज लगा कर के, गरीब जनता को सता करके जो रुपया खर्च हो रहा है वह इसलिये तो नहीं कि बड़ी डाउटफुल एजुकेशन यूनिवर्सिटी (संदेहजनक शिक्षा विश्वविद्यालय) में पाते हुये शाम को छींटदार रंगीन बुशर्शट पहने हुये हजरतगंज में कभी काफी हाउस और कभी सिनेमाघरों में घूमा करें। श्रीमन्, हमें तय करना है कि शिक्षा देकर केवल एजूकेटेड अनएम्प्लायमेंट (शिक्षितों का अनियोजन) बढ़ाना नहीं है। अनएम्प्लायमेंट पहले भी था और अब भी है लेकिन पहले कम से कम एजूकेटेड अनएम्प्लायमेंट नहीं था।

मैं जानता हूं कि हमारी सरकार ने शहरों में स्कूल्स, कालेजेज और यूनीवर्सिटीज को और अधिक मदद देने का प्रयत्न किया है और अधिक मदद दे भी रही है, परन्तु श्रीमन्, हमारे देश की जनता शहरों में नहीं बसती गाँवों में बसती है। अगर हमको अपने देश को शिक्षित बनाना है तो ग्रामीण जनता को शिक्षित बनाना होगा अगर हमें अपने देश को उठाना है तो ग्रामीण जनता को उठाना होगा और अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ग्रामीण जनता को आगे बढ़ाना होगा। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि ८ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद क्या ग्रामीण जनता की शिक्षा का जो प्रबन्ध है वह संतोषजनक है। क्या इसी तरह से ग्रामीण जनता की शिक्षा के बाद हम यह आशा कर सकते हैं कि भारत की ग्रामीण जनता में से जवाहर और लाल निकल सकेंगे। श्रीमन्, ग्रामीण जनता ग्रामों में रहती है, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या प्रबन्ध है, सबको मालूम है जो ग्राम्य

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं, वह बच्चे जो आगे चल कर राज्य का भार संभालेंगे, वह बच्चे जो आगे चल कर इन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे, जो आगे चल कर सरकारी बेंचों पर बैठेंगे, उनके एजूकेशन की, उनकी शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है । उनकी शिक्षा उन टीचरों द्वारा दी जाती है जिन्हें ३० या ४० रुपया माह वेतन मिलता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स को कभी-कभी तो दो-दो तीन-तीन महीने नहीं मिलता । मैं जानना चाहता हूं, श्रीमन्, कि कौन ऐसा आदमी है जो घर छोड़कर ३० या ४० रुपये महीने पर शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहेगा ।

मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि शायद वह वही आदमी होगा जो अन्य कामों के लिये बिलकुल निकम्मा हो जो खुद कुछ न कर सके और जो किसी और काम से अपने बच्चों को न पाल सके वह शायद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नौकरी जाकर करेगा अध्यापक के स्वरूप में। श्रीमन्, ऐसे मामूली टीचर्स ऐसी मामूली पे और उनके हाथ में हमारे उन बच्चों का लिखना-पढ़ना जोकि आगे चलकर हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की बागडोर सम्भालेंगे । श्रीमन्, हम देखते हैं कि आजकल शहर में जो बच्चा पढ़ने आया जिसने हाई स्कूल पास कर लिया उसको यही शौक है कि वह बी० ए० या एम० ए० या एल--एल० बी० हो जाय । मैं समझता हूं कि हमें अपने यहाँ की शिक्षा को इस तरह से रिआर्गेनाइज (पुनस्संघठित) करना होगा कि जितने बच्चे देहातों से पढ़कर वहाँ आवें उन सब को यही शौक न हो कि वह बी० एज० और एम० एज० यूनिवर्सिटीज में जाकर हों । सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये कि उसके पहले ही उनके सामने एक चवाइस हो उनका ऐप्टिट्यूड (प्रवृत्ति) जिस लाइन में हो उस लाइन में उनको टेक्निकल ट्रेनिंग के लिये सुविधाएं मिलें जिससे काफी हमारे बच्चे टेक्निकल ट्रेनिंग प्राप्तकर सकें और यूनिवर्सिटीज न भरें ।

आजकल के स्टूडेंट्स का जो डिसिप्लिन (अनुशासन) खराब है और उसका इन्तजाम और कार्रवाई उस सम्बन्ध में जो करने की बात सोच रहे हैं उसके लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं । जब टीचर्स इस काबिल नहीं है कि वह डिसिप्लिन मेंटेन (अनुशासन स्थापित) कर सकें, रख सकें तो सरकार को कोई न कोई खयाल करना पड़ेगा, कोई न कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुझे ताज्जुब हुआ जब माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपर हाउस में कहा तो उसको टीचर्स ने वेलकम (स्वागत) नहीं किया रिजेंट (असंतोष) किया । खुद इस काबिल नहीं हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें, खुद स्टुडेन्ट्स द्वारा मारे जाते हैं और जब सरकार कहती है कि हम इन्तजाम करेंगे तो वह रिजेंट करते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ ही किसी जाति का उत्थान हुआ करता है और उसी पर वह निर्भर करता है । मुझे खुशी है कि मुझे उस पर कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

महानुभाव, प्रारम्भ में शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षित महानुभावों ने काफी कहा है और कहा जायगा लेकिन यह जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके उत्थान का जो सवाल है वह भी बड़ा महत्वशील है, एक अहम मसला है । इस मसले की बाबत, उसके उत्थान की बाबत सरकार के सम्मुख मुझे यह सुझाव देना है कि पिछड़ी जातियों का उत्थान तीन चीजों पर निर्भर करता है भूमि, उद्योग, शिक्षा या नौकरी । जहाँ तक भूमि का सम्बन्ध है पिछली सरकार के सम्मुख भी यह मसला पेश था । मैदान में तो जमींदारी उन्मूलन के होने से यह आशा प्रकट की जाती है कि भूमि का फैसला बहुत जल्द हो जायगा, पर पहाड़ी इलाकों में अभी कानून लागू न होने तक यह माँग पेश की गयी है .....

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य शिक्षा के सम्बन्ध में या हरिजन सुधार के सम्बन्ध में बातें कहें । भूमि का प्रश्न इस समय सदन के सामने नहीं है ।

श्री खुशीराम--जब उनकी हालत अच्छी होगी तो शिक्षा भी प्राप्त करेंगे । उनके उत्थान का सवाल है । जब उनकी आर्थिक दशा अच्छी होगी, तो उनका उत्थान हो सकेगा । शिक्षा के सम्बन्ध में तो यह है कि शिक्षा के लिए ४९ लाख रुपया रखा गया है । उसमें

हरिजनों के लिए २६ लाख है। २६ लाख उनके लिए बहुत थोड़ा है। यह बड़ा अहम सवाल है काम की महत्ता को देखते हुए अगर इनकी शिक्षा पर केवल २६ लाख खर्च किया जाय तो यह बहुत थोड़ा है। इधर हमारा संविधान कहता है कि दस साल के अन्दर उनकी हालत को और जातियों की जैसी बना दिया जायगा। लेकिन हमारी सरकार की रफ्तार बहुत धीमी है। हमारी सरकार की देन जो है वह बहुत थोड़ी है। इस २६ लाख से हरिजनों की शिक्षा का उत्थान होना असम्भव मालूम पड़ रहा है इसके सम्बन्ध में मुझे यह प्रार्थना करनी है कि अगर वास्तव में हरिजनों का उत्थान करना है तो शिक्षा की बाबत भी बहुत ज्यादा उनके लिए कोशिश की जाय तभी उनकी शिक्षा का उत्थान हो सकता है। यह जाति हजारों वर्ष से पिछड़ी हुई है इसके अन्दर जीवन नहीं है। इसकी सामाजिक और आर्थिक हालत गिरी हुई है। उनकी सब प्रकार की हालतों को सुधारने का बड़ा काम है इसके लिये शिक्षा सम्बन्धी जो सवाल है यह जो अनुदान इस समय रखे गये हैं उनको ब्यौरेवार बताने का मेरे पास समय नहीं है, इस समय केवल इतना कह सकता हूं कि हरिजनों की शिक्षा के लिए जितना रुपया रखा गया है उसे पाँच या छः गुना कर दिया जाय तब उनकी शिक्षा की हालत सुधर सकती है।

उनका उत्थान उनकी आर्थिक हालत सुधरने से ही होगा। आर्थिक दशा इसी प्रकार सुधरेगी जब उनको कुछ काम करने का मौका दिया जाय। वह जिस काम को जानते हैं वह काम उनको दिया जाय तब तो उत्थान हो सकता है, नहीं तो नहीं। खेती के सम्बन्ध में, श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहले कहने का मौका नहीं मिला। इसीलिए मैं इस सवाल को ला रहा हूं उनकी हालत वर्णन करने का मौका कोई मिला नहीं। इसलिए आज जब कि उनकी बाबत सवाल पेश हुआ है उस पर मुझे यह बातें कहने का मौका मिला है। तो मेरा सुझाव यही है कि जहाँ शिक्षा पर जोर दिया जाता है वहाँ और बातें भी विचारणीय हैं। उन पर विचार करके हरिजनों का उत्थान किया जाय। यह अहम मसला है। इस मसले को हमारे महापुरुष गाँधी जी ने देश के उत्थान में प्रमुखता देकर अछूतोद्धार का काम अपने हाथ में लिया था। यह एक बहुत बड़ा काम है। यह बहुत बड़ी सहायता से हो सकता है। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के अनुदानों के ऊपर इस सदन में विचार हो रहा है और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक लम्बे भाषण में सरकार की नीति क्या है, आज की और पिछले वर्षों में उन्होंने इस प्रदेश की शिक्षा के लिए क्या क्या उन्नति करने के साधन पैदा किये उसे इस लम्बे भाषण में कहा जिसे मैंने बहुत ध्यान से सुना। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे भाई ने एक भी शब्द स्त्रियों की शिक्षा के विषय में नहीं कहा।

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं एक गलत फहमी दूर कर दूं। मुझे समय इतना कम मिला कि मैं स्त्री शिक्षा के बारे में कुछ कह नहीं सका। बीच में ही मुझे रोक दिया गया, लेकिन जवाब देते वक्त मैं इसको साफ कर दूंगा।

श्रीमती प्रकाशवती सूद---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने विरोधी दल के नेता का भाषण भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मेरी आशा निराशा में परिणत हुई जब मैंने यह देखा कि विरोधीदल के नेता ने भी अपनी बहनों की शिक्षा के लिये कुछ नहीं कहा। उसीके साथ मेरे हृदय में चिंता उत्पन्न हुई कि जब समाचार-पत्रों में माननीय मंत्री जी का और आदरणीय विरोधी दल के नेता जी का भाषण छपेगा तो मेरी बहनों को कितनी चोट पहुंचेगी वह सोचेगीं कि यहाँ इस प्रदेश के अन्दर सिर्फ पुरुषों का राज्य है स्त्रियों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जब मैंने बजट के आँकड़ों को देखा तो मुझे खुशी हुई। बजट के आँकड़ों

[श्रीमती प्रकाशवती सूद]

को देखने से मुझे धैर्य होता है कि हमारी सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने स्त्री शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया है और वे बधाई के पात्र हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूं कि हमारी देहात की रहनेवाली बच्चियों का ध्यान बहुत मुश्किल से शिक्षा की ओर जाता है। अगर हमारी कोई बच्ची शहर में आ करके ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज आगरा के अन्दर लड़कियों का ट्रेनिंग कालेज खुला हुआ है जिस का नाम गवर्नमेन्ट ट्रेनिंग कालेज है जो सरकार की तरफ से खोला गया है। लेकिन वहाँ छात्राओं के लिये, टीचर्स के लिये पूरा प्रबन्ध नहीं है, जब कि मैं यह देखती हूं कि पुरुषों या लड़कों के स्कूल्स में टेलीफोन की सुविधा दी जाती है, बिजली की सुविधा दी जाती है। मैं यह जानना चाहती हूं कि स्त्रियों की संस्थाओं को इनसे क्यों वंचित रखा जाता है। आज इतने बड़े गवर्नमेन्ट ट्रेनिंग कालेज के अन्दर बिजली भी नहीं है, एक टेलीफोन की भी सुविधा नहीं है जबकि वह कालेज शहर से तीन मील की दूरी पर है जबकि वहाँ किसी सवारी का इंतजाम आसानी से नहीं हो सकता है। इस लिये मैं अपने आदरणीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूं कि मैं यह अकसर देखती हूं कि जहाँ स्त्रियों की शिक्षा की तरफ ध्यान देने की बात होती है वहाँ गफलत आ जाती है वहाँ चुप्पी साधी जाती है। इसी प्रकार मेरठ में रघुनाथ कालेज है जो अब डिग्री कालेज हो गया है। उसकी सुविधा के लिये जब हम अपनी सरकार का ध्यान उस ओर खींचना चाहते हैं तो मुझे दुःख है कि उधर ध्यान आसानी से नहीं जाता। बहुत बार प्रार्थना करने के बाद भी जब हमने साइंस क्लासेज उस कालेज के अन्दर खोल दी हैं तब भी वहाँ बिजली पूरी मात्रा में प्राप्त नहीं है। आज बहुत आसानी से बिजली बहुत सी चीजों के लिये मिल सकती है, लेकिन लड़कियों के स्कूल के लिये बिजली नहीं मिल सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार का ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर खींचना चाहती हूं क्योंकि मेरा यह भी विश्वास है कि इस सदन में जितने मेरे भाई बैठे हैं वे मुझ से सहमत होंगे कि अगर हमारे इस प्रदेश के अन्दर स्त्रियाँ शिक्षित नहीं होंगी तो आप लाख कोशिश करिये आप की सारी कोशिशें निरर्थक हो जायंगी। अगर घरों में स्त्रियाँ अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकेंगी तो वे बच्चे किसी तरह से भी उन्नति नहीं कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने आदरणीय मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने बजट रखते हुये उसमें पूरी तरह से स्त्री जाति का ध्यान रखा है।

श्री गंगाधर (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९४६ से आज शिक्षा का बजट ५ करोड़ ज्यादा है लेकिन दुःख तो यह होता है कि इतने लम्बे अर्से के बाद भी हमारी सरकार ने शिक्षा की कोई निश्चित नीति नहीं निर्धारित की है, चाहे वह प्रारम्भिक शिक्षा हो, या उच्च शिक्षा। प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में जैसा कि शिक्षा मंत्री ने अभी अपने भाषण में कहा कि अन्य देशों का एक निश्चित उद्देश्य है, रूस का एक निश्चित उद्देश्य है, चीन का एक निश्चित उद्देश्य है और उस उद्देश्य से वे शिक्षा देते हैं, मगर हमारा इस सम्बन्ध में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। पहले साल आपने चार हजार स्कूल खोले, दूसरे में दो हजार, लेकिन जिस प्रारम्भिक शिक्षा का प्रजातंत्रीय सरकार में प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार से भी हम को वंचित किया जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये यदि आँकड़े देखें जायं तो इस साल के लिये आपने २५० स्कूल रखे हैं लेकिन अगले वर्ष के लिये आपने केवल २०० ही स्कूल रखे हैं।

मैं आपका ध्यान अपने जिला गढ़वाल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे जिले के लिये बिल्डिंग ग्रांट के लिये आपने कहा कि एक हजार रुपया भी आप नहीं दे सकते हैं। आपने कहा कि हमारे जिले में लोग स्वयं स्कूल खड़े करें। मैं आपको बतला देना चाहता हूं

कि गाँव गाँव में लोगों ने स्कूल खड़े किये हैं और गाँव के लोग बड़े उत्साहित थे कि हमारी सरकार हमको पैसे से मदद देगी। परन्तु अब उन लोगों में वह उत्साह नहीं रहा। यह हालत तो हमारी प्राइमरी शिक्षा की है।

दूसरी चीज जूनियर शिक्षा की है। जूनियर शिक्षा के बारे में आपने पुरानी पद्धति खत्म कर दी और नयी कोई पद्धति बनायी नहीं। इसके लिये जो परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं वे बड़ी दूर दूर हैं। डेढ़ डेढ़ सौ मील से विद्यार्थी लैंसडाउन में जूनियर स्कूल की परीक्षा के लिये जाते हैं।

और आप देखिये कि शिक्षा इतनी महंगी बनायी गयी है कि गरीब बालक पढ़ नहीं सकता और हमारे हरिजन लोगों का शिक्षा पाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब मैं पढ़ता था तो दो आने फीस पड़ती थी। लेकिन आज यह हालत है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों में भी फीस इतनी बढ़ा दी गयी है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। हमें दुःख इस बात का होता है कि अपनी सरकार के होने पर भी हम प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने रूस का उदाहरण दिया। मैं बतलाना चाहता हूं कि रूस में तो उच्च शिक्षा भी निःशुल्क दी जाती है। हम यह नहीं कहते हैं कि रूस और कार्ल मार्क्स को हम अपना आदर्श मानते हैं। हम तो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, हम महात्मा गाँधी के आदर्श को मानते हैं, लेकिन आज यह सरकार जो महात्मा गाँधी के आदर्श पर चलती है उसके पास इतना पैसा नहीं है। बड़े बड़े डिग्री कालेजेज़ खोले जाते हैं, एक एक अध्यापक को ५००से १२०० का ग्रेड दिया जाता है लेकिन दूसरी ओर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अनिवार्य शिक्षा कर सकें। यह दुःख की बात है।

इसके अलावा प्राइमरी शिक्षा का कोई स्टैंडर्ड भी नियत नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये मैं लखनऊ को लेता हूं। यहाँ प्राइमरी शिक्षा के लिये चार बोर्ड हैं--नोटिफाइड़ एरिया, टाउन एरिया, म्युनिसिपल एरिया और कैंटोनमेंट एरिया। तो चार प्रकार से प्राइमरी शिक्षा दी जाती है। यह दुःख की बात है कि अपनी सरकार होने पर भी अभी तक प्राइमरी शिक्षा का एक स्टैंडर्ड भी निश्चित नहीं किया गया। प्राइमरी शिक्षा जो वास्तव में जिला बोर्डो और म्युनिसिपल बोर्डो के हाथ में है उससे हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल होने नहीं जा रहा है।

जहाँ तक जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा का संबंध है उसका तो मैंने जिक्र कर दिया है। अब मैं हायर सेकेंडरी शिक्षा की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

नई पद्धति के अनुसार हायर सेकेंडरी स्कूलों को चार किस्म का बतलाया गया है। जहाँ तक लिटरेरी (साहित्यिक) और साइंस की शिक्षा का संबंध है वह तो बिलकुल ठीक है लेकिन कंस्ट्रक्टिव और हायर सेकेंड्री के टेक्नीकल स्कूलों के प्रपोजल्स (प्रस्ताव) भी रखे हैं। यह वास्तव में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे दिये जाने चाहिये अगर वह दे दिये जायं तो ज्यादा अच्छी तरह से चल सकते हैं। लखनऊ में जो टेक्नीकल स्कूल खोला गया है, उसकी क्या परिस्थिति है मैं जानता नहीं हूं। जहाँ तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का सवाल है वहाँ पर विश्वविद्यालय में ओटोनामी (स्वायत्तता) है। अगर जनतंत्र को चलाना है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि जो यूनीवर्सिटी के ऊपर कर्जा है उसे भी सरकार को अदा करना पड़ेगा। जहाँ तक ओटोनामी का सवाल है, जनतंत्र का सवाल है उसमें यह है कि आज एक पार्टी शासन करेगी कल दूसरी पार्टी आ जायगी। लेकिन हमारी शिक्षा का आधार पार्टी के आधार पर कभी भी नहीं रखा जायगा। अगर यूनीवर्सिटीज के प्रोफेसर्स और वाइसचाँसलर वगैरा पार्टी के अन्दर काम करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ के विद्यार्थी भी अगर पार्टी के अन्दर काम करें तो कोई बड़ी बात नहीं है।

[श्री गंगाधर]

अब मैं आपका ध्यान संस्कृत की शिक्षा पर दिलाना चाहता हूं। हमें बड़ा दुख है कि इस उत्तर प्रदेश के, जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रदेश है और जिसमें ६ करोड़ से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, बनारस की संस्कृत की शिक्षा के बारे में एक शब्द भी माननीय शिक्षा मंत्री के मुख से नहीं निकला है। हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री महोदय ने बनारस की शास्त्री और आचार्य परीक्षाओं को बी० ए० और एम० ए० के स्टैंडर्ड का मान लिया है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब इनको मान लिया गया है तो कितने व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में लिया गया है जब से यह नई पद्धति चालू हुई है। मैं एक संस्कृत के स्कूल से संबंधित हूं। मैं जानना चाहता हूं कि नई पद्धति जो है उसके द्वारा स्कूलों में अंग्रेजी और साइंस वगैरा के बढ़ाने की तजवीज की है लेकिन उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--उपाध्यक्ष महोदय, इन पाँच सालों में शिक्षा की प्रगति जो हमारे प्रान्त में हुई है उसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं। अगर हम १९४६ के आँकड़ों को देखें तो उस समय २ करोड़ ६५ लाख रुपया शिक्षा पर खर्च होता था, मगर आज ८ करोड़ १० लाख रुपये का बजट हमारे सामने है। १९४६ में हमारे प्रान्त में २० लाख से अधिक विद्यार्थी थे और आजकल ३२ लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। १९४६ में १९ हजार प्राइमरी स्कूलों के मुकाबिले में अब ३३ हजार प्राइमरी स्कूल हैं। १७ कालेज के बजाय आज हमारे यहाँ ८६ कालेज खुले हुए हैं। यह जो शिक्षा की हमारे यहाँ प्रगति हुई है वह किसी भी प्रांत के लिये गौरव की बात हो सकती है।

आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि हमारी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे हमारे बौद्धिक और साँस्कृतिक विकास हो मगर साथ ही साथ इस बात को भी नहीं भूल जाना चाहिये कि रोटी का प्रश्न भी हमारे सामने होना चाहिये। यदि हम केवल साँस्कृतिक और बौद्धिक विकास की उन्नति चाहें तो भी काम नहीं चल सकता है और मेरा खयाल है कि जब तक रोटी का प्रश्न हल नहीं होगा तब तक हमारे सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास हो नहीं सकता है।

संस्कृत में एक श्लोक है। मुझे पूरा श्लोक तो याद नहीं है। थोड़ा सा हिस्सा याद है और वह यह है कि "अर्थकरी च विद्या", अर्थात् विद्या ऐसी होनी चाहिये जिससे रुपया भी मिल सके।

हमारे गवर्नर महोदय ने अपने संबोधन में इस बात का संकेत किया था कि जो शिक्षा हमारे प्रान्त में दी जा रही है उसमें कुछ रद्दोबदल हमें करना है। मैं आपकी आज्ञा से दो तीन वाक्य उनके भाषण के पढ़ना चाहता हूं: "ऐसी शिक्षा प्रणाली जिससे निराश और ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़े जिन्हें उनके प्रशिक्षण के अनुसार काम न मिल सके निष्फल है। हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रही है और तदनुसार हमारी शिक्षा नीति में सुधार किया जायगा। फिर भी यह याद रखना चाहिये कि शिक्षा के विषयों की संख्या में कुछ टेक्निकल विषयों को बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है"। मैंने इसको इसलिये पढ़ा कि बजट में आप देखेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री ने केवल इतना ही किया है कि नार्मल स्कूलों में एक एक फार्म रख दिया है। वह समझते हैं कि शायद उससे कृषि की शिक्षा पर्याप्त हो जायगी। मैं फिर निवेदन करूंगा, जैसा कि गवर्नर महोदय ने कहा है, किसी स्कूल में कोई विषय रख देने ही से हमारी टेक्निकल शिक्षा ऊंची नहीं हो सकती। अब समय आ गया है कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में कुछ संशोधन करना चाहिये। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस वास्ते जितने स्कूल कृषि के खुल सकें उतना ही अच्छा है। हमें इस समय दो प्रकार के स्कूलों की विशेष आवश्यकता है कृषि के टेक्निकल स्कूल और इंजीनियरिंग के स्कूल। अभी कुछ दिन हुए पं० अमरनाथ झा हमारी पार्टी की मीटिंग में पधारे थे और उन्होंने चीन का उदाहरण हमारे सामने रखा था। उन्होंने बताया कि वहाँ केवल दो प्रकार के स्कूल हैं। कृषि और इंजीनियरिंग

के स्कूल हैं। शायद चीन भर में एक स्कूल हैं जहाँ पब्लिक मेन बनाने के लिये शिक्षा दी जाती है जैसे बनारस में काशी विद्यापीठ है और इसके अलावा कोई शिक्षा चीन में नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस ओर उनको विशेष ध्यान देना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल, कृषि और इंजीनियरिंग स्कूल खोलने चाहिये।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह कि मैं नहीं जानता कि और जिलों में डायरेक्टर महोदय की आज्ञा से ऐसा आर्डर गया है या नहीं, लेकिन बनारस में ऐसा आर्डर गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अनट्रेंड टीचर्स नहीं रक्खे जायेंगे और नार्मल की ट्रेनिंग के लिये ऐसे लोग चुने गये हैं जो स्कूल्स से बिलकुल फ्रेश (ताजे) आये हैं। इससे बड़ी सनसनी फैल गयी है। बहुत से टीचर्स अपने खर्चे से भी नार्मल स्कूल की ट्रेनिंग के लिये जाना चाहते हैं मगर शिक्षा विभाग उनके लिये कुछ सोचे तो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जब से सदन शुरू हुआ तब से बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो दो तीन बार बोल चुके और रोज बोलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आज तक नहीं बोले। मेरा अनुरोध है कि उन पर भी ध्यान दिया जाय और उनको भी वक्त दिया जाय।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मुझे अपना कर्त्तव्य पालन करने का अधिकार है। मैं सबको मौका देने का प्रयत्न कर रहा हूं। हरिजन भाइयों की तरफ से श्री गंगा प्रसाद जी प्रतिनिधि हैं उनको भी मौका देना जरूरी है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके द्वारा जो इस भवन में आज यह शिक्षा और अनुसूचित जातियों का अनुदान चल रहा है मैं अपने विचार हरिजन और अनुसूचित जातियों पर प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने आज जो स्पीच दी उसमें हरिजनों की समस्या पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला कि वह क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से हरिजनों का उत्थान होगा इस विषय में वह चुप ही रहे।

मुझे आप से यह कहना है कि आज हमारे प्रान्त में जो हरिजन भाई हैं जिसको आप जरायम पेशा वाले कहते हैं वे सायंकाल को ६ बजे से लेकर सुबह ६ बजे तक बाहर नहीं निकल सकते हैं। दिन में तो उनको काम करने का मौका होता है, लेकिन रात में किसी तरह से वह बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनको चोर डाकू कहा जाता है। जहाँ पर वे रहते हैं उनको वहाँ अहाते के अन्दर बन्द कर दिया जाता है। अब वह ऐक्ट भारत सरकार की कृपा से समाप्त होने जा रहा है और २६ अगस्त से इन ३२ लाख आदमियों को आजादी मिलने जा रही है। जो लोग मुक्त होने जा रहे हैं वह पराये मकानों यानी सरकारी सेटलमेंट में रहते हैं, मगर मुक्त होने के बाद उनका क्या किया जायगा और उनके लिये क्या इंतजाम किया जायगा यह सरकार ने नहीं बतलाया है। जिस तरह से उनका जीवन व्यतीत होगा, किस तरह से उनको भोजन मिलेगा। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ३२ लाख आदमियों के जीवन का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है, उनके रहने का सवाल है और ३२ लाख आदमियों के समाज के अन्दर मिलने का सवाल है। उनके लिये सरकार क्या कर रही है? उनके लिये कोई खेती का प्रबन्ध किया जा रहा है या उनके लिये किसी उद्योगधंधे का प्रबन्ध किया जा रहा है? सरकार उन लोगों पर ७ लाख रुपया खर्च करती है और उनसे जो सरकार की आमदनी होती है वह ६ लाख है तो आज जो यह ३२ लाख आदमी वहाँ से निकलेंगे तो उनके लिये क्या प्रबन्ध किया जायगा? उनमें से बहुत से आदमी ऐसे हैं तो बहुत दस्तकारी जानते हैं। दरी बुनना जानते हैं, गलीचा

[श्री गंगाप्रसाद]

बुनना जानते हैं और निवाड़, कुर्सी, कपड़ा वगैरा बनाना जानते हैं तो क्या आज सरकार उनके लिये नये उद्योगधंधों का इंतजाम कर रही है या नहीं, यह मुझे आपके द्वारा सरकार से जानना था कि वह इस पर भी प्रकाश डाले।

जहाँ तक हरिजनों की समस्या का सवाल है आज हरिजनों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। महात्मा गाँधी के बाद आज हरिजनों की परवाह करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता। आज बड़े बड़े नेता प्लेटफार्म से दिखावे के लिये लम्बी चौड़ी बातें कहते हैं, लेकिन वास्तव में जब हरिजनों का नाम आता है तो उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है जहाँ तक उनके रोटी और जीवन के स्तर को उठाने का सवाल है तब कोई भी मदद की बात नहीं कही जाती है। हम यहाँ पर ८३ भाई मौजूद हैं। हमारी एक सोसाइटी है, लेकिन जब हम बजट के अन्दर देखते हैं कि जहाँ पर करोड़ों रुपया दूसरी स्कीमों के लिये खर्च किया जाता है वहाँ पर हरिजनों के लिये करीब ५० लाख रुपया खर्च किया जाता है। तो यह एक जानने की चीज है कि जब इतना बड़ा बजट है उसके अन्दर इतनी थोड़ी रकम हरिजनों के लिये रखी गई है। मैं भवन को बतलाना चाहता हूं कि कम से कम हरिजनों के लिये इसमें १ करोड़ रकम होनी चाहिये जिससे हम लोगों की कुछ उन्नति हो सके। यही नहीं एक हरिजन सहायक बोर्ड कायम किया गया है। यह नाम के लिये तो कायम किया गया है लेकिन इसमें कोई काम नहीं होता है। मैं यह कहता हूं कि इससे हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता है। आज हरिजन बच्चों को जो स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) मिलता है वह बहुत समय के बीत जाने पर मिलता है। जब जुलाई में स्कूल खुलते हैं तब उनको यह नहीं मिलता है या तो वह कई महीने के बाद मिलता है या फरवरी में स्कूल बन्द होने को होते हैं तब उनको दिया जाता है जिससे कोई लाभ उनको नहीं होता है। यही नहीं हरिजन बच्चों को जो फीस का तरीका है उसके लिये कहा जाता है कि हरिजनों की फीस माफ है। जब उनका नाम लिखा जाता है तब यह फीस माफ नहीं होती है बल्कि सितम्बर या दिसम्बर में जाकर यह फीस माफ होती है। यह हालत आज इस प्रान्त के अन्दर हरिजन भाइयों की है। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि हरिजनों के बच्चों को किताबें मुफ्त मिलनी चाहिये और साथ ही उनके भोजन का प्रबन्ध भी होना चाहिये। यह चीज मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि खेतीबारी के लिये बड़े बड़े लोगों को फार्म दिये, बड़े बड़े लोगों को बलरामपुर में जमीनें दी गई, लेकिन हरिजन भाइयों को जमीन भी नहीं दी गयी है। आज हरिजन सहायक बोर्ड के द्वारा जो काम हो रहा है उससे हरिजनों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। हरिजनों की समस्या को सुलझाने के लिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। अगर इस ओर विशेषरूप से ध्यान नहीं देंगे तो इससे हमारे प्रान्त में हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता। हम लोगों को यह १० साल का मौका मिला है और इसके अन्दर ही हमको सामाजिक उन्नति करनी है और इसके लिये आपको ध्यान देना आवश्यक है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी स्पीच में आज जितना समय लिया उतना समय आजतक किसी मंत्री महोदय ने नहीं लिया ताहम भी उनको अफसोस रहा कि बहुत से पहलुओं पर वह अपना मत प्रकट न कर सके। परन्तु संतोष यह है कि जवाब के समय उनको मौका रहेगा उस वक्त यह जो कुछ और कहना चाहेंगे कह सकेंगे। आपकी स्पीच को सुन कर हमें कयास हुआ कि जो विचार आज से पहले इस विषय पर सदन के सामने रखे गये उन्हीं को अब की बार फिर दोहराया गया है जिससे यह जाहिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मैं मानता हूं कि स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है और हमारे प्राइमरी स्कूल, हमारे कालेज और यूनिवर्सिटी सभी बढ़े हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से और जिस भावना को लेकर हमारी सरकार ने अपनी नीति में तब्दीली की है और उस भावना में कितनी सफलता हुई है वह तो मंत्री जी की स्पीच से खुद ही साबित है। हमने कोई प्रगति नहीं की। उनकी स्पीच से यह भी जाहिर है कि वह

अब फिर नई भावना के साथ अब नई शिक्षा प्रणाली को चालू करना चाहते हैं और स्कूलों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि हमारी सरकार की यह निश्चित नीति थी कि प्रत्येक साल २,२०० स्कूल खोले जायं, दूसरे साल उत्साह में आकर वह ४,४०० खोले गये लेकिन उसके बाद तीसरे साल ही सरकार को ५५० पर ही आना पड़ा और इस साल केवल २५० के लिये ही प्राविजन (उपबंध) है और अब आगे के लिये स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाया जाने लगा है माननीय दीक्षित जी ने तो शिक्षा के विकेन्द्रीयकरण करने का सवाल ही पेश कर दिया है। क्या अब सरकार समझती है कि जनता इतनी खुशहाल हो गई है कि वह अपने आप ही शिक्षा का सम्पूर्ण प्रबन्ध कर सकती है?

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उस जिले से आ रहा हूं जो कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में विलीन हुआ था। टेहरी के सदस्यों ने अपने विचार विभिन्न समस्याओं पर प्रकट किये लेकिन खेद की बात है कि कोई माकूल उत्तर हमारे मंत्रीगणों ने नहीं दिया। इससे जाहिर होता है कि हमारी सरकार को और मंत्री महोदयों को टेहरी-गढ़वाल का कितना खयाल है। मंत्री महोदय ने बेसिक और प्राइमरी स्कूलों पर बहुत जोर दिया। ठीक भी है, अगर बुनियादी शिक्षा ही शुरू से ठीक न होगी तो आगे जाकर जैसा कि मंत्री महोदय कहते हैं हमारे लड़के आदर्श नागरिक कैसे बन सकेंगे। मुझे इस सदन को बतलाने में शर्म मालूम होती है कि जो हालत आज शिक्षा प्रणाली की टेहरी में है वह बहुत ही दर्दनाक है। जिस समय टेहरी का विलय हुआ था उस वक्त वहाँ की जनता को विश्वास दिलाया गया था और सरकार की ओर से कमिटमेंट (वचन) था कि शिक्षा क्षेत्र में जो यहाँ कमियाँ हैं उनको पूरा किया जायगा। वहाँ के लिये इस सरकार ने जो ग्रान्ट मंजूर की है वह नहीं के बराबर है। ४५ हजार वर्गमील में ३९५ प्राइमरी स्कूल हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जब से विलीनीकरण हुआ है वहाँ कोई भी नया स्कूल नहीं खोला गया है। हम चाहते हैं कि पुरानी सरकार की स्वीकृत ग्रांट के हिसाब से वही १ हजार रुपया प्रति स्कूल दिया जाय। हमने कई बार प्रार्थना की कि वहाँ स्कूल पेड़ों के नीचे चल रहे हैं और कोई प्रबन्ध वहाँ इमारत आदि का नहीं है लेकिन कोई तवज्जह नहीं दी गयी।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्राइमरी स्कूलों का इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में है।

हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही नहीं है। पिछली दफा जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सवाल आया तो उस समय हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और उन्हीं की राय से बोर्ड न बन पाया। अब जब सरकार के हाथ में हमारी शिक्षा आ गई है तो पूरे तौर पर टीचरों की तनख्वाह भी सरकारी स्केल के मुताबिक बढ़ानी चाहिये। जूनियर हाई स्कूलों के लिये मुझे अर्ज करना है कि ८,००० रुपये की ग्रांट मंजूर थी। हमारी जनता ने २०,००० रुपया लगा कर एक-एक स्कूल बनाया, लेकिन हमें वह ग्रांट भी नहीं मिलती है। मैं आखिर में यह भी कहना चाहता हूं कि जब हमारी रियासत मर्ज (विलीन) हुई थी तो १ करोड़ रुपये का खजाना इस सरकार के खजाने में आया है। इस धन में से तत्कालीन टिहरी विधान सभा ने तीस लाख रुपये का शिक्षा प्रसार ट्रस्ट बनाया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ और सरकार यह कहती है कि मामला अन्डर कंसीडरेशन आफ दि गवर्नमेंट (सरकार के विचाराधीन) चल रहा है। खैर, हम माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और उसके बारे में अर्ज करेंगे। क्योंकि समय खत्म हो चुका है।

एक सदस्य--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) पेश करना चाहता हूं। अनुदान संख्या ४०, अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के संबंध में ४० कटौती के प्रस्ताव आये हैं। कायदे के मुआफिक कोई कटौती का प्रस्ताव अभी तक आपके सामने पेश नहीं किया गया कृपया उसे पेश करा लीजिए।

उपाध्यक्ष--तीन अनुदानों पर बहस हो रही है। अभी तक तीन चार हरिजन सदस्य बोल चुके हैं, मौका सबको दिया जा रहा है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो एक महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं। मैं अपने शिक्षा मंत्री के अनुदानों की सराहना करता हूं। आज तक मुझे ५ वर्ष से इस सदन में बैठने का मौका मिला है लेकिन ५ वर्ष के अन्दर जिस तरह से हमारा प्रान्त शिक्षा की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, उस पर हमारे प्रान्त को गर्व होना चाहिये। वास्तव में देश की परिस्थिति को देखते हुए और सरकार की आर्थिक अवस्था को देखते हुए, जिस किस्म से शिक्षा के लिये सरकार पैसा बजट में देती है और जिस प्रकार से हमारे प्रान्त की उन्नति के लिये सरकार प्रयत्नशील है, यह तारीफ के काबिल है। परन्तु मुझे सरकार से एक बात निवेदन करनी है और वह यह है कि जिन प्राइमरी स्कूलों से शिक्षा की शुरुआत होती है, वहाँ के टीचरों को ३-३ और ४-४ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। इससे उनका हौसला पस्त हो जाता है। हमारी शिक्षा के लिये छोटे मास्टरों की बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उन्हें कुछ नहीं देती। मेरे पास बस्ती जिले से और जहाँ का मैं रहने वाला हूं, आजमगढ़ और बनारस से टीचर लोग मिलने के लिये आये और उन्होंने इस बात की शिकायत की कि अभी तक वही पुरानी रट चली आती है, हमलोगों को ३-३ और ४-४ महीने तक वेतन नहीं मिलती है और ऐसी हालत में हम लोग लगन के साथ कैसे किसी विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं? देश की ऐसी अवस्था में, जिस किस्म का दुर्भिक्ष पूरब के जिलों में है, अध्यापकों को तीन-तीन चार-चार महीने की तनख्वाह न मिलना कुछ अनुचित सा मालूम पड़ता है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ भी वह ध्यान दें क्योंकि देश के नन्हें-नन्हें बच्चों का, भारत के होनहार बालकों का जीवन इन्हीं शिक्षकों पर निर्भर है। अगर हम उनके हौसले को पस्त कर देंगे तो मैं समझता हूं कि वे होनहार बालक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह प्राइमरी स्कूल के मास्टरों की तरफ ध्यान दें और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के ऊपर विचार करें।

इसके बाद खासतौर से हमारे हरिजन भाई गंगा प्रसाद जी ने जो गवर्नमेंट और माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाया, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वास्तव में काँग्रेस सरकार महात्मा गाँधी के आदर्शों पर बराबर अग्रसर होती चली जा रही है और हरिजन भाइयों के लिये खासतौर से रियायत की है। सरकार ने सबके लिये सुरक्षित स्थान तो खत्म कर दिया है लेकिन हमारे पिछड़े हुए और हरिजन भाइयों के लिये उसने १० साल के लिये हर जगह स्थान सुरक्षित कर रखा है। यहीं तक नहीं, शिक्षा में ही नहीं, बल्कि सब डिपार्टमेंट्स में उनको खासतौर से रियायत और सहूलियत दी गयी है। ऐसी हालत में सरकार की आलोचना करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन उचित रूप से आलोचना करना मुनासिब है।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह बतला सकते हैं कि और कह सकते हैं कि क्या आज तक सरकार ने हरिजन भाइयों के लिये कोई जमीन नहीं बांटी। जहाँ तक मुझे मालूम है बस्ती के बहुत से हरिजनों ने मैजिस्ट्रेट को जमीन के लिये दरख्वास्तें दीं और उन्हें जमीनें दी गयीं। हमारे मित्र जो आनरेबिल मेम्बर हैं, जिन्होंने अभी भाषण दिया है उनको भी काफी जमीन मिली है, जो कहते हैं कि ३० एकड़ से अधिक जमीन किसी को न मिले।

श्री गंगा प्रसाद--अभी जो हमारे भाई सरदार साहब श्री शिव मंगल सिंह कपूर ने कहा है कि माननीय सदस्य को बलरामपुर इस्टेट से जमीन मिली है यह असत्य है। मुझे या किसी भी हरिजन भाई को बलरामपुर इस्टेट से जमीन नहीं मिली है। ये जो कहते हैं कि इन्होंने कितने लोगों को जमीन दिलायी है खुद ये ही बलरामपुर इस्टेट से जमीन लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि इन्हें जमीन नहीं मिली इसलिये ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर--मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें बलरामपुर इस्टेट से जमीन नहीं मिली तो आखिर कहाँ से उनको जमीन मिली। उन्होंने जो मेरे मुताल्लिक बात की तो मेरे पास यहाँ पर और मध्य प्रदेश में भी जमीन है जहाँ पर मेरे भाई काश्तकारी करते हैं

और बहुत सी जमीनों में तो वे काश्त भी नहीं कर पाते। मेरे पास जमीन की कोई कमी नहीं है मेरे बारे में मेरे मित्र जो कुछ भी कहें लेकिन मैं उनकी बाबत कुछ नहीं कहता हूं। जो वे कहते हैं वह उन्हीं को शोभा देता है। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने जो कुछ भी अब तक किया है वह गाँधी जी का अनुकरण करके ही किया है।

श्रीमती मज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट का स्वागत करते हुए आपके द्वारा मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। जिस प्रकार से शिक्षा में उन्नति हुई है वह सराहनीय है। स्कूलों में वृद्धि हुई है यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्त्री-शिक्षा की उन्नति के लिये बहुत कम ध्यान दिया गया है यह बड़े दुख की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वह यह समझते हैं कि प्रान्त में स्त्रियों की संख्या कम है या वह समझते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी समझते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता है तो उन्हें स्त्री-शिक्षा पर अवश्य ध्यान देना चाहिये और जितना लड़कों की शिक्षा पर रुपया रखा जाय उतना ही लड़कियों की शिक्षा के लिये भी रखना चाहिये क्योंकि जनतंत्र राज्य में यह स्त्रियों और पुरुषों में भेद कैसा, यह कमोबेश कैसा ? मैं उनका ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर दिलाना चाहती हूं। स्त्री शिक्षा न होने से हमारे बच्चों का चरित्र ऊंचा नहीं होगा। आज हमारे बच्चों और बच्चियों का चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है यह सोचने की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहती हूं और वह यह है कि इस शिक्षा प्रणाली को उन्हें शीघ्रातिशीघ्र बदलना ही होगा और उसको अपने देश के अनुकूल बनाना ही होगा क्योंकि हमारे बच्चों के चरित्र ऊंचे नहीं हो रहे हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि चरित्र निर्माण के लिये योजना बना कर स्लाइड्स तैयार करावाये जायं और चलचित्रों द्वारा बच्चों के चरित्र का निर्माण कराया जाय तभी बच्चों के चरित्र में उन्नति हो सकती है। सिनेमाओं के द्वारा आज बच्चों के चरित्र में खराबी आई है। अगर पढ़नेवाले बच्चों को सिनेमा न देखने दिया जाय तो मैं समझती हूं कि बच्चों का चरित्र ऊंचा हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान देहातों के स्कूलों की ओर ले जाना चाहती हूं, छोटे बच्चों के स्कूलों की ओर ले जाना चाहती हूं। हमारे प्रान्त में मान्टेसरी और नर्सरी स्कूलों की बहुत कमी है। अगर मान्टेसरी और नर्सरी स्कूलों में खर्चा ज्यादा पड़ता है तो मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वह बालबाड़ी की सस्ती योजना को अपनावें और खासकर लड़कों-लड़कियों के स्कूलों में जो अनट्रेन्ड अध्यापिकायें काम करती हैं उन्हें बालबाड़ी की ट्रेनिंग दिलवा-कर सुचारु रूप से छोटे बच्चों के स्कूल खुलवायें और उन स्कूलों से सस्ती शिक्षा दें। मैं माननीय मंत्री जी से बालबाड़ी योजना के लिये जोरदार शब्दों में अनुरोध करूंगी कि बालबाड़ी की योजना को सरकार अवश्य अपनावे।

मनोविज्ञान केन्द्र हमारे प्रान्त में ५ या ६ जगह खुले हुए हैं वहाँ बच्चों के बुद्धि की परीक्षा होती है। वह अनोखा केन्द्र है बच्चों के ज्ञान की परीक्षा होती है कि बच्चे किस ओर ध्यान देते हैं। माननीय मंत्री जी वहाँ देखेंगे कि जो बच्चे वहाँ ले जाये जाते हैं जो व्यवस्था वहाँ वह बताते हैं उनके लिये हमारे प्रान्त में ही क्या, हमारे देश में उस तरीके के स्कूल नहीं हैं जो हम उन बच्चों को पढ़ा सकें। मैं माननीय मंत्री जी से जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि मनोविज्ञान केन्द्र के अधीन असाधारण बच्चों का एक स्कूल खोला जाय जिससे जाना जाय कि असाधारण बच्चों का मानसिक विकास कितना हुआ है वरना हमारे केन्द्रों का काम अधूरा रह जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूं और वह हमारी स्त्रियों की शिक्षा के लिये बहुत ही उपयोगी बात है। हमारे प्रान्त में आज गृहविज्ञान के केन्द्र खुले हुए हैं। इस ओर हमारी मातायें और बहिनें ध्यान भी दे रही हैं परन्तु इन केन्द्रों की

[श्रीमती सज्जन देवी महनोत]

बड़ी कमी है। हमारे हर बड़े शहरों में यह केन्द्र खुल जायं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहती हूं कि जब एक ही केन्द्र के लिये बहुत कम बजट रखा गया है तो दूसरे केन्द्र का तो सवाल ही नहीं उठता। वहाँ पर गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, शिल्पकला की शिक्षा दी जाती है, दस्तकारी की शिक्षा दी जाती है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगी कि वह गृह-विज्ञान के लिये ज्यादा रकम रखें।

फिर मैं उनसे दोबारा प्रार्थना करूंगी कि स्त्री-शिक्षा के लिये और बच्चों की उन्नति के लिये वह अवश्य ध्यान दें। माननीय मंत्री जी को इस बजट के लिये धन्यवाद देती हूं। कहना तो वैसे बहुत कुछ चाहती थी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने लालबत्ती दिखा कर आज्ञा दी है कि मैं बन्द करूं।

बैठक के कार्यकाल में वृद्धि

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पाँच बजे के बजाय सात बजे तक बैठक होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी, समय बढ़ाने के लिये यह प्रस्ताव आया है कि सात बजे तक बैठक की जाय। आपकी क्या राय है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

एक सदस्य--पाँच बजे बन्द कर दिया जाय और छः बजे के बाद फिर बैठना शुरू हो।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)--अगर आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ायें। लेकिन कायदे के मुताबिक, जैसे आपकी सूची में दिया हुआ है, उसी तरीके से लिया जाय।

उपाध्यक्ष--जहाँ तक मैं भवन की राय समझ पाया हूं यह है कि ६ बजे तक आज सदन बैठे तो ठीक ही होगा।

वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३६ तथा ३७--शिक्षा, अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान तथा अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग (क्रमागत)

श्रीमती आशालता व्यास (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया। बजट को देखने से पता चलता है कि गत दो-तीन वर्ष पूर्व स्त्रियों की प्रारंभिक शिक्षा के लिये जो अनुदान दिया जाता था, वह अब कम कर दिया गया है। स्त्रियों में तो वैसे ही शिक्षा पाने की भावना कम रहती है। उन्हें शिक्षा पाने का शौक नहीं रहता है। आजकल इस बात की आवश्यकता है कि स्त्रियों में शिक्षा का शौक पैदा किया जाय।

गाँवों में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, उसके लिये हरिजन बालिकायें दो-दो, तीन-तीन मील से पढ़ने के लिये आती हैं। लड़के तो तीन-तीन चार-चार मील की दूरी से आ सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ तीन-तीन, चार-चार मील की दूरी से नहीं आ सकती हैं। उनके लिये गाँवों में होस्टलों की व्यवस्था होनी चाहिये जहाँ पर आकर वह रह सकें। गावों में जहाँ पर भी प्रारंभिक स्कूल हैं, कहीं भी लड़कियों के लिये, चाहे वे हरिजन हों या किसी दूसरी जाति की

हों, रहने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। अतएव उनके रहने के लिये कोई प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये ताकि उनकी पढ़ाई-लिखाई भली भांति हो सके। अब मैं अधिक समय न लेकर अपने सूक्ष्म भाषण को समाप्त करते हुए क्षमा चाहती हूं।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं भी माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिये कि उन्होंने पहली बार इस सदन में सरकारी बेंचों की ओर से रूस और चीन का नाम हमदर्दी के साथ लिया है। दूसरा धन्यवाद का कारण यह है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ कांग्रेस सरकार की इस कमजोरी को माना है कि सरकार ने अभी तक यही नहीं तय किया कि वह किस नीति के आधार पर समाज का निर्माण करेगी और जब समाज के निर्माण की नीति का कोई आधार ही तय नहीं है तो शिक्षा, जो उसका एक बड़ा अंग है, उसका क्या पूछना है? इन्हीं दो कारणों से मैं भी आज धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। इसका जिक्र अक्सर कांग्रेस के चोटी के नेता भी अखबारों में किया करते हैं। आज इस सदन में भी जोरदार शब्दों में माननीय शिक्षा मंत्री ने उसका जिक्र किया है। लेकिन मैं बड़े अदब से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आज के विद्यार्थी उसी समाज की पैदावार नहीं हैं, उसी समाज की उपज नहीं हैं जिस समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्होंने और उनके साथियों ने ले रखी है? यह समाज वही सड़ागला समाज है, वही दुर्गन्धमय समाज है जिससे आजके विद्यार्थी पैदा हुए हैं। मैं देखता हूं कि शहर के निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग का जीवन स्तर इतना गिर चुका है, आर्थिक ढांचा उसका इतना चूर-चूर हो चुका है कि उसका पारिवारिक जीवन भी व्यवस्थित नहीं है। एक क्लार्क या एक कम तनख्वाह पाने वाला जब दफ्तर से लौटता है, वह अपनी बीबी और बच्चों के साथ, अपने परिवार के और लोगों के साथ बैठकर प्रेमपूर्वक बातचीत नहीं कर सकता। इतना भी उसको समय नहीं मिलता। उसके बच्चों को पिता-माता का स्नेह भी वैसा नहीं मिला है। तो ऐसे बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह चरित्रवान् होंगे?

आज शहर के मोहल्लों की हालत देखिए। न तो वहाँ लड़कों के खेलने का कोई प्रबन्ध है, न वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था है, जिससे शहर के जो बच्चे हैं या जो किशोर अवस्था के लोग हैं, उनकी मानसिक उन्नति का, उनकी सांस्कृतिक उन्नति का कोई साधन हो। ऐसी हालत में विद्यार्थियों की जो अनुशासनहीनता की बात कही जाती है, उसका जिक्र करना तो व्यर्थ सा मालूम होता है। जब तक यह समाज मौजूद है, जब तक सरमायादारी निजाम मौजूद है और उसकी हिफाजत करने वाली सरकार मौजूद है, तब तक अनुशासनहीनता बढ़ेगी, आगे भी बढ़ती जायगी। उसको रोका नहीं जा सकता।

जब माननीय शिक्षा मंत्री ने रूस के उस आठ वर्ष के बालक का जिक्र किया, मैं समझता हूं उनके हृदय में प्रशंसा के भाव थे। वह आठ वर्ष का बालक हवाई जहाज बना रहा था जिससे कि वह इसकी कल्पना कर सके कि कैसे फासिस्ट जर्मनी के ऊपर, हिटलर की नाजी जर्मनी के ऊपर बम्बार्ड (गोला बारी) कर सके। वैसा बालक अपने देश में पैदा करना तभी सम्भव होगा, जब समाज की नींव को बुनियादी तौर पर तबदील कर दिया जाय। माननीय शिक्षा मंत्री से मेरा एक और सुझाव है कि जिसकी ओर मैं उनकी निगाह खींचना चाहता हूं। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने अपने भाषणों में इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देश में होनी चाहिये। अगर आज आर्थिक दृष्टि से या और किन्हीं कारणों से यह आप के लिये सम्भव नहीं है तो कम से कम विद्यार्थियों की फीस तो ऊपर से

[श्री झारखंडे राय]

नीचे तक आधी जरूर कर दी जाय और साथ ही साथ जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनको आमतौर पर लोग हरिजन कहते हैं मुझे हरिजन शब्द से भी कोई प्रेम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि खेतिहर मजदूर, गरीब किसान या शहर के जो दूसरे मजदूर पेशा लोग हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई तो फौरन अनिवार्य और निःशुल्क कर देनी चाहिये। अगर और सबकी सम्भावना आज न हो तो कम से कम उनकी तो कर ही देनी चाहिये। जितने कम तनख्वाह वाले मास्टर हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं। माननीय शिक्षा मंत्री और उनके दूसरे साथियों ने अपनी तनख्वाहें तिगुनी कर ली थीं, इस बिना पर कि महंगाई है, लेकिन महंगाई केवल लखनऊ में ही नहीं है महंगाई सारे देश में है, प्रदेश में है और उसी न्याय के आधार पर, उस आधार पर जिस पर तनख्वाहें मिनिस्टरों की तनख्वाहें, एम० एल० एज० की बढ़ाई गयीं तो कम तनख्वाह वाले लोगों की भी उसी बिना पर तनख्वाहें बढ़ानी चाहिये और उन मास्टरों को जो इतने कम रुपये में अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं।

एक बात मुझे और कहनी है। वह है शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध के बारे में। शिक्षा संस्थाओं के बारे में मेरा एक सुझाव है कि इनकी प्रबन्ध कमेटियों में विद्यार्थियों के चुने प्रतिनिधि होने चाहिये और उनकी संख्या एक तिहाई से कम न हो।

मैं अपनी उस माननीया सदस्या से बिलकुल सहमत हूं कि लड़कियों की संख्या हमारे प्रदेश में उतनी ही है, जितनी लड़कों की है। ऐसी हालत में सरकार की ओर से लड़कों और लड़कियों पर शिक्षा-व्यय बराबर होना चाहिये।

इस शिक्षा अनुदान में बेकारी की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिये। जो नये-नये लड़के पढ़कर निकल रहे हैं, वे जब बेकार रहेंगे, तो समाज की समस्यायें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। इसलिये उन बेकारों की समस्या को हल करने की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

एक बात मुझे और कहनी है। वह शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति के बारे में है। शिक्षा संस्थाओं को स्वीकृति मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। इस लिये उपाध्यक्ष महोदय के जरिये मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति के नियम ढीले किये जायं, नहीं तो जो शर्तें लागू कर दी गयी हैं उनके रहते हुये शिक्षा संस्थाओं के सामने यह एक समस्या हो गयी है कि वे कैसे स्वीकृति करा सकेंगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला राय बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम किसी वस्तु की कीमत आँकने बैठते हैं तो मेरा ऐसा खयाल है कि दो ही बातों की ओर विचार किया जाता है। पहली तो यह कि उस किस्म की वस्तुओं में एक विशेष वस्तु का क्या स्थान है और दूसरी बात यह है कि उस वस्तु विशेष में क्या महत्व है, यानी क्या विशेष गुण है। जहाँ तक पहली बात का सम्बन्ध है, मैं उस बात को लेकर जब इस अनुदान पर विचार करता हूं तो वास्तव में मुझे बहुत ही हर्ष होता है और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि जहाँ तक इस अनुदान का सम्बन्ध है इसको अगर मैं एक अनुपम, अद्वितीय और लासानी वस्तु कहूं तो यह अनुचित न होगा। इसका कारण यह है कि मैंने बहुत से प्रान्तों के बजट पढ़े हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मैंने जिन प्रान्तों का बजट पढ़ा है, उनसे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई भी प्रान्त ऐसा नहीं है, जहाँ की सरकार ने हरिजनों के लिये ऐसी व्यवस्था की हो या इस समस्या को इस तरह से जरूरी समझा हो कि इसके लिये एक अलग से अनुदान रखा हो। मैंने दूसरे प्रान्तों के बजटों में ढूंढने का प्रयत्न किया कि हरिजनों के लिये अनुदान कहाँ है, परन्तु वह कहीं नहीं मिला। उन्होंने दे रखा है लेबर ऐंड हरिजन अपलिफ्ट (श्रमिकों, हरिजनों की उन्नति)। इस प्रकार जब मैं उनमें देखता हूं तो हरिजनों का मामला खटाई में पड़ जाता है। होता यह है कि लेबर के नाम पर हरिजनों को अनुदान दिया जाता है लेकिन सब रुपया लेबर पर खर्च हो जाता है और नाम हरिजनों का बदनाम किया जाता है। जहाँ तक हमारे इस प्रान्त का सवाल है, यह हमारी इस पापुलर गवर्नमेन्ट की बहुत बड़ी देन है, इससे बड़ी देन और क्या हो सकती है? यह तो मैं ने थोड़ी बात पहली बात के विषय में कही।

अब दूसरी बात के विषय में मुझे यह कहना है कि जब मैं इस विभाग या इस अनुदान के कार्यों की ओर दृष्टि डालता हूं तो मुझे इस सरकार के द्वारा अभी तक किये हुये कार्यों पर जाना पड़ेगा । सब से पहले जब यह सरकार आई तो इसने यह महसूस किया कि अगर समाज में हरिजनों को ऊंचे स्तर पर लाना है तो कानून से भी मदद करने की जरूरत है। इसी लिये उसने एक छुआछूत निरोधक बिल पास किया और उस बिल से हरिजनों को ताकत दी कि वे भी समाज में गर्व के साथ रह सकें और यह सोच सकें कि हम भी समाज में कुछ स्थान रखते हैं।

जहाँ मैं इस ऐक्ट के महत्व पर जोर देता हूं वहाँ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी कमी जरूर है । वह कमी प्रैक्टिकल बेसिस (सक्रिय आधार) पर मालूम हुई है कि इस कानून को सरकार को सरकारी तौर पर कर देना चाहिये यानी जैसे कत्ल और डाके के मुकद्दमे पुलिस में जाते हैं वैसे ही इस तरह के मामले भी पुलिस केस हो जाने चाहिये।

इसके अलावा शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है । शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे यहाँ जो प्रगति हुई है, यह कम गौरव की बात नहीं है। इस पाँच छः साल के समय में बहुत बड़ी तादाद में हरिजनों को पढ़ाया लिखाया गया और बहुत काफी रुपया उनके ऊपर खर्च किया गया। अबके वर्ष के बजट में भी करीब २६ लाख रुपया हरिजनों की शिक्षा के लिये रखा गया है। आपने तो रोशनी दे दी। मुझे तो अभी बहुत कुछ कहना था। मैं प्रार्थना तो यह करूंगा कि मुझे थोड़ा समय और मिल जाय ताकि दिल की उमंगें तो निकाल देता। खैर, इस सम्बन्ध में मुझे एक सुझाव और देना है कि जो हरिजन ग्रेजुएट्स क्लासेज में पढ़ते हैं उनको आप ३५ रुपये वजीफा देते हैं और एल० टी० क्लासेज को ३० रुपये ही दे रहे हैं। तो कम से कम आप इतनी कृपा तो कीजिये कि उनको भी ३५ रुपये अवश्य दें।

तीसरी बात मुझे आर्थिक उन्नति के विषय में कहनी है । इस सम्बन्ध में भी गवर्नमेन्ट काफी रुपया खर्च करती है। करीब–करीब ५०० व्यक्ति हर साल ट्रेंड किये जा रहे हैं। मैं अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस ट्रेनिंग का फायदा हमारे समाज को नहीं हुआ है। लेकिन इसमें आपको यह सोचना होगा कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाय जिससे हमारे समाज का कल्याण हो।

इसके साथ–साथ मुझे एक और सुझाव देना है कि आज काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योग) के लिये काफी स्थान और सहायता हरिजनों को दी जाय । इससे उनकी तरक्की हो सकती है । साथ ही साथ सरकारी तौर पर मोटर व्हिकिल्स इत्यादि के जो लाइसेंस दिये जाते हैं वे हमारे हरिजन भाइयों को अधिक से अधिक दिये जायं ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)––क्या हरिजन बन्धुओं का जो इस डिबेट में भाग ले रहे हैं कोई कोटा फिक्स किया गया है ?

उपाध्यक्ष––मैंने जिन माननीय सदस्य का नाम लिया है, वे बोलेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)––श्रीमान् उपाध्यक्ष जी आपने मुझे मौका देकर बड़ी मेहरबानी की। सब से पहले मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो आपने इतना अच्छा बजट पेश किया है और आप जानते हैं कि जब किसी बात की जिम्मेदारी किसी बड़े आदमी के ऊपर आ जाती है तो वह उसके पीछे पड़ जाता है और बड़ी मेहनत करता है। अभी अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने यह निवेदन किया है कि जमींदारी प्रथा के टूटने के कारण अब जो उनकी छावनियाँ खाली होंगी उन्हें स्कूलों के लिये दे दें।

[श्री सीताराम शुक्ल]

उपाध्यक्ष महोदय,माननीय शिक्षा मंत्री क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय दान नहीं मांगा करते, खास करके आजकल जब कि अभी–अभी जमींदारी तोड़ी गयी है जिससे जमींदार नाराज है उनमें से कुछ तो कहते हैं कि

उजाड़कर मेरा गुलशन से आशियाँ सैयाद,
रहेगा तू भी न दुनियाँ में शादमा सैयाद।

लेकिन यह राय सब की नहीं है अनेक जमींदार आपकी इच्छा का स्वागत करेंगे।

मैं आप से वादा करता हूं, शिक्षा मंत्री महोदय, कि जमींदार देगा और कभी इन्कार नहीं करेगा। क्योंकि सो दानम् भोगो नाशसत्तिगत यो भवन्ति वित्तस्य, यो ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयागतिर्भवति। अर्थात् दान भोग ,नाश, रुपये तीन काम में जाते है, अतः जो दान अथवा भोग नहीं करता उसके पैसे का नाश हो जाता है, इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि जमींदार भाई जरूर दान करेंगे। इसी सिलसिले में एक खुशखबरी सुनी है कि एक जमींदार ने अपना मकान दे दिया और उसमें स्कूल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जमींदार भाई जैसे पहले मदद करते थे वैसे ही आज भी मदद करेंगे इसमें दो रायें नहीं होंगी।

मैं अर्ज करता हूं कि शिक्षा का मतलब केवल दर्जा पास करने का ही नहीं है। शिक्षा के साथ–साथ चरित्र का होना भी आवश्यक है। केवल दर्जा पास करना ही काफी नहीं हुआ करता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो ग्रेजुएट्स निकलें उनके चरित्र पर भी ध्यान देना होगा। मैं अर्ज करता हूं कि हमें अपने देश का उत्थान करना है, हमें गाँधी जी के स्वप्नों को पूरा करना है। गाँधी जी रामराज्य चाहते थे और खुद श्री रामचन्द्र जी ने कहा है कि

नमेजन पदेस्तेनोकदर्योन च मद्यपः
नानाग्निनाँ विद्वान् न स्वैरीस्वैरिणी कुतः

हमारे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कायर नहीं है, कोई शराबी नहीं, कोई घर नहीं जहां आग न जलती हो अर्थात् भोजन न बनता हो, कोई मूर्ख नहीं और कोई व्यभिचारी नहीं, इसलिये व्यभिचारिणी का सवाल पैदा ही नहीं होता। यह आपके यहाँ होगा, जब आपके यहाँ चरित्रवान्, विद्वान् और उत्तम वक्ता पैदा होंगे।

अभी से लाल रोशनी हो गई! कितना समय बाकी है?

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य के दो मिनट बाकी हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं तो समझता था कि ७/८ मिनट मिलेंगे और उसी हिसाब से मैं अर्ज कर रहा था। आज हमारे यहाँ अच्छे-अच्छे वक्ता पैदा करने की जरूरत है। वह काम खाली डिबेट से नहीं चलता है। डिबेट से पहले ट्रेनिंग की जरूरत है। वह हमारे यहाँ नहीं होती है। वक्तृत्व कला के ऊपर बहुत सी किताबें है और विदेशों में तो इसके ऊपर बहुत से वोल्यूम्स हैं। किन्तु हमारे यहाँ इस कला की मुखालफत होती है। स्वयं वक्ता भी कहता है कि देखो भाई, अब व्याख्यान करने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है, हालांकि वह व्याख्यान किये जाता है। मेरे दोस्त यदि व्याख्यान देने का समय नहीं है तो आप क्यों भाषण देते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने लाल रोशनी बुझा दी। इसलिये मैं केवल एक बात कह कर बैठ जाता हूं वह यह कि जो बुजदिल को बहादुर बना दे, कमजोर को मजबूत बना दे और मूर्ख को विद्वान् बना दे, ऐसी भाषण कला की विदेशों में ट्रेनिंग होती है और क्लास लगता है और फीस देनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई कदर नहीं होती है, हालाँकि पहले इस देश में इस गुण की प्रसंशा की है एक संस्कृत का श्लोक है कि

"शतेषु जायतेशूरः सहस्त्रेषुच पण्डितः, दानी शत सहस्त्रेषु वाऽग्मी भवति वा नवा"।

अर्थात्, सौ में से एक शूर होगा, हजार में कहीं एक पंडित होगा, एक लाख में कोई एक दानी होगा, मगर वक्ता होगा या नहीं इसमें संदेह है। इसलिये यह प्रार्थना है कि कालेजों में उक्त कला की भी ट्रेनिंग दी जाय, ताकि अच्छे वक्ताओं द्वारा स्वदेश को सुखी और शक्तिशाली बनाने में सहायता मिल सके।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा का जो अनुदान है और उसकी जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर बहस हो रही है। कल परसों से प्रयत्न करने के बाद आज मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हमारे प्रान्त में जो शिक्षा की उन्नति हुई है उसके संबंध में मैं आपको बतलाता हूं कि यह निर्विवाद सत्य है कि हमारे प्रांत में शिक्षा ने बहुत प्रगति की है। स्वराज्य प्राप्त करने से पहले जो शिक्षा की परिस्थिति थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क हुआ है, यह सर्वविदित है। लेकिन हमारे विरोधी दल इसको और ही दृष्टि से देखते हैं। मैं उनसे आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जिस कार्य की प्रान्त के और बाहर के लोग सराहना करते हैं उसके संबंध में अनुचित शब्द कहना मुनासिब नहीं है। इसको उसी दृष्टि से वे देखें जिससे जनता देखती है। मैं तो ज्यादा अच्छा यह समझता कि वे बतलाते कि उन्होंने किसी भी समय इस क्षेत्र में जो कुछ सरकार की ओर से प्रयत्न किया गया है, उससे कुछ अधिक कार्य किया है, तब कुछ बात होती।

लेकिन उनकी तरफ से किसी क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया बल्कि जब जब सरकार की ओर से किसी क्षेत्र को सुधारने का प्रयत्न किया गया, उसमें अड़ंगा उपस्थित करके उसको रोक रखने का प्रयत्न किया गया। मैं उनसे आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उनको यह नीति छोड़नी चाहिये। स्वराज्य प्राप्ति के बाद जितने दल हैं उन सब को एकत्र होकर हमारे इस देश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करनी चाहिये, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

मैं एक सुझाव शिक्षा मंत्री के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि हमारे प्रान्त में शिक्षा की बहुत प्रगति हुई, लेकिन उसके साथ ही साथ विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी पाई जाती है। यह विषय बहुत गम्भीर है। इसको अध्ययन करने की बड़ी आवश्यकता है। इसका कारण मैं समझता हूं कि इन विद्यार्थियों में पंचम वर्ग के लोग घुस गये हैं, जो इन विद्यार्थियों का दिमाग दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसका अध्ययन अच्छी तरह से करके जिन-जिन चीजों को लेकर वे लोग विद्यार्थियों में घुसे हैं, जिसके प्रचार से विद्यार्थियों को अपनी ओ आकृष्ट करते हैं उन्हीं को सरकार द्वारा प्रचलित करके अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करना उचित है।

मैंने अनुभव किया है कि विद्यार्थियों के बीच में भारतीय व्यायाम पद्धति की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बल्कि पश्चिमी पद्धतियों का प्रचार स्कूलों और कालेजों में करके विद्यार्थियों की मनोवृत्तियों को गैर जिम्मेदाराना बनाया जा रहा है। भारतीय व्यायाम पद्धति के पीछे बड़ा इतिहास है। मैंने अनुभव किया है कि प्रान्त में शायद ही कोई कालेज या स्कूल हो, जिसमें भारतीय व्यायाम विद्यार्थियों से कराया जाता हो, जिस तरह से अन्य प्रांतों में इसका प्रचार किया जाता है। जिस तरह से बम्बई या अन्य प्रान्तों में इसका प्रचार होता है, उसी तरह यहाँ भी होना चाहिये।

तीसरी बात संस्कृत पाठशालाओं के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। देहातों में बहुत सी संस्कृत-पाठशालायें हैं। उनको हमारी सरकार की ओर से बहुत कम सहायता मिल रही है।

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

वही पाठशालायें हैं, जो संस्कृत भाषा को कायम रक्खे हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने में उन पाठ-शालाओं पर बहुत से आघात किये गये उनको नेस्तनाबूद करने के लिये। लेकिन इन गरीब पंडितों ने गाँवों में इस विद्या को जीवित रखा है। उसकी ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ मिनट पहले माननीय शिक्षा सचिव ने जो अपना भाषण किया उसको सुन कर मुझे हैरत हुई। आज एक वेलफेयर स्टेट के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय पूंजीवादी टोन (ध्वनि) में अपनी स्पीच इस सदन में दे रहे हैं जिससे मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विद्यार्थियों में फैली हुई अनुशासनहीनता को अपने शासन के डंडे से दूर करना चाहते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि अगर आप बच्चों में फैली हुई अनुशासनहीनता को समाप्त करना चाहते हैं तो आप उसकी गहराई में जाइये, आप जड़ में जाइये, टहनियों को न पकड़िये। आज क्यों विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता फैली हुई है, क्यों वे इम्तिहान में छुरी लेकर जाते हैं, इसकी तह में आपको जाना होगा।

आज हमारे विद्यार्थी यह समझते हैं कि परीक्षा में अगर पास हो जायेंगे तो नौकरी मिल जायगी और अगर नहीं पास होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप इस अनुशासनहीनता को दूर करना चाहते हैं तो आपको वेलफेयर स्टेट की तरह से सोचना पड़ेगा। हमारी शिक्षा जो हो रही है और हमारी शिक्षा की जो नीति है वह बच्चों को प्रारंभ से लेकर इस बात के लिए मजबूर करती है कि वे इम्तहान में बैठें। मैं आपसे कहता हूं कि लड़के पिस्तौल लेकर इम्तहान में बैठने आयेंगे और इम्तहान में ही नहीं बल्कि इस सदन के सामने भी हमारे ऊपर पिस्तौल लेकर आयेंगे अगर हमारी शिक्षा की यही नीति रही जो कि आज है। अगर विद्यार्थियों से अनुशासनहीनता को दूर करना है तो उनको अर्थकरी शिक्षा देनी पड़ेगी और ऐसी शिक्षा का प्राविजन (उपबन्ध) करना पड़ेगा कि जिससे हमारे विद्यार्थी स्कूल, कालेजों से निकल कर कुछ पैदा कर सकें। इस बात को हमको सोचना पड़ेगा और सरकार को उस पर कदम उठाना पड़ेगा।

कहा जाता है कि सरकार हरिजनों के उत्थान के लिये बहुत कुछ कर रही है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही सरकार ने प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल और यूनिवर्सिटीज में हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी हो, लेकिन गाँव का रहनेवाला खेतिहर मजदूर ऐसी दशा में नहीं है कि वह इतना पैसा खर्च कर सके। उसके पास पैसा नहीं है कि वह सेकेंडरी स्कूल में अपने लड़के को भेजकर ४०,५० रुपया माहवार खर्च करके पढ़ा सके। गाँव का रहने वाला मजदूर किसान की ऐसी हैसियत नहीं है कि वह कपड़ा और खाना देने का लिये ७० रुपया माहवार यूनिवर्सिटी में खर्च कर सके। आपने भले ही उनकी फीस को माफ कर दिया हो लेकिन उनका यह खर्चा कहाँ से आयेगा? आप हरिजन भाइयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो बात समाजवादी कहते हैं उनको बात को मानना पड़ेगा और जमीन का बंटवारा करना पड़ेगा। उद्योगों का विकास करना पड़ेगा और उद्योग-धंधों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। जब तक ये बातें नहीं होती है तब तक हरिजन शिक्षा के संबंध में पिछड़े ही रहेंगे।

जहाँ तक स्त्री शिक्षा का संबंध है, हमारे माननीय मंत्री ने उसके लिये बजट में साढ़े छः लाख का प्राविजन किया है जब कि पिछले इसी मद के लिये ९ लाख रुपया रखा गया था। यह इस बजट के देखने से पता चलता है कि हमारी सरकार स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब स्त्री शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है जो आपने इतना रुपया कम कर दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी महिलाओं को उन्होंने विदेश भेजने के लिये छात्रवृत्ति दी है। मैं उनको यह साफ बतला देना चाहता हूं कि चाहे उनको हमारी आलोचना और इस लाल टोपी का खतरा हो या न हो लेकिन

यह होम डिपार्टमेंट आपके खिलाफ विद्रोह करने जा रहा है। उसकी वजह से आप यहाँ कुर्सी पर बहुत ज्यादा दिनों तक बैठे नहीं रह सकते हैं। हमारी केन्द्रीय सरकार उनके लिये प्रगतिशील हिन्दू कोड बिल पास करने जा रही है लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्रादेशिक सरकार बजट के अन्दर स्त्री शिक्षा के लिये रुपया कम करती जा रही है। आपका यह काम शोभनीय नहीं कहा सकता है। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपने यूनिवर्सिटी कमीशन कायम किया था जिसके प्रेसीडेंट माननीय राधाकृष्णन् थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसको भी तीन साल हो गये हैं। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उस पर क्या कार्य-वाही हुई। हमारी यूनिवर्सिटियों के अन्दर हिन्दी के लिये क्या किया गया और हिन्दी के मामले में कितनी प्रगति हुई है? इस पर एक कमेटी बिठाई जाय और इसकी जाँच की जाय कि हिन्दी में वहाँ पर कितनी प्रगति हुई है। हिन्दुस्तानी एकेडेमी के लिये सरकार ने पिछले साल ५५ हजार रुपया रखा था उसमें से २५ हजार खर्च हुआ था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आपने प्रावधान किया है उससे क्या हिन्दुस्तानी का विकास हो सकता है? गांधी जी का नाम लिया जाता है और उनकी दुहाई दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गाँधी जी यह चाहते थे कि प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल के टीचरों को ४०, ५० रुपया माहवार तनख्वाह दी जाय?

जबकि आज १ रुपये का २ सेर गेहूं बिकता है और दस रुपये का एक धोती जोड़ा बिक रहा है तो किस तरह से लोगों की गुजर होती है और कैसे लोग खर्च बरदाश्त कर सकते हैं? आप गाँधी जी की दुहाई देते हैं और उनके सिद्धांतों की दुहाई देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आप स्वयं उनके कहने के मुताबिक नहीं चलते हैं और स्वयं उनके कामों का आप उल्लंघन करते हैं। क्या गाँधी जी नहीं चाहते थे कि देश में बेसिक शिक्षा की वृद्धि हो? उन्होंने स्वयं कितने ही आर्टिकिल लिखे और स्वयं बेसिक शिक्षा पर अपनी स्पीचेज में जोर दिया था। परन्तु इस सरकार की और माननीय मंत्री जी की नीति गाँधी जी की बतलाई हुई प्राइमरी और बेसिक शिक्षा की कपालक्रिया करती जा रही है। मैं अन्त में कहूंगा कि इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना (विधान का प्रश्न उठाना) चाहता हूं और वह यह है कि जो कट मोशन आये हैं उनका एक क्रम या व्यवस्था होनी चाहिये। या तो वह जिस क्रम में आये हैं या जिनको आप लेना चाहते हैं उसके अनुसार क्रम की घोषणा आप कर दें तो अच्छा हो।

उपाध्यक्ष—मैं सदन के माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि यह क्रम मैंने निश्चित नहीं किया है। जब यहाँ माननीय स्पीकर मौजूद थे उस वक्त भी यह समझते हुए कि सदन के हर तरफ के सदस्यों को मौका मिले, कुछ तो क्रम के अनुसार और कुछ में वे स्वाधीनता स्वयं बरते थे और इसी प्रकार मेरा उद्योग यही है कि जहाँ तक हो सके सबको समय मिल जाय।

श्री सुलतान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे अदब से दरख्वास्त करूंगा कि अभी जो मेरे दोस्त फरमा रहे थे अगर आप चाहें तो मेरे बजाय उनको तकरीर करने का मौका दे दें।

उपाध्यक्ष—अभी आप ही बोलिये।

श्री सुलतान आलम खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो तकरीर तालीम के मुतालिक हमारे माननीय मंत्री ने की है वह मैंने बड़े गौर से सुनी और इस मसले पर जो तकरीरें हुई वे भी मेरे सुनने में आई। हमारे मंत्री महोदय ने जो इस महकमे में कारगुजारी साल भर

[श्री सुलतान आलम खाँ]

को है उसको आपने आज सदन के सामने पेश किया है। यह बजट का मामला है और खास तौर से तालीम के बजट में यह दस्तूर रहा है कि राबिनहुड की तरह जितना मिलता जाय ले, लो और ज्यादा लेने के लिये कोशिश करते रहना चाहिये। इसको हमें हेल्दी साइन (सुन्दर लक्षण) समझना चाहिये। यहाँ पर हमारी बहिनों ने, हरिजनों ने, बैकवर्ड क्लासेज (पिछड़ी जातियों) के लोगों ने तकरीरें कीं और इस तरफ से भी तकरीरें हुईं और उस तरफ से भी तकरीरें हुईं। इसमें शक नहीं है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने तालीम को काफी आगे बढ़ाया है किसी को एतराज नहीं हो सकता और वाकया यह है कि सन् ४६ में हमने शिक्षा के बजट को २ करोड़ ६३ लाख के करीब से बढ़ा कर दस ग्यारह लाख कर दिया है। हमने यूनिवर्सिटियों को भी काफी रकमें दीं और बहुत से काम किये और प्राइमरी एजूकेशन के लिये भी हमने काफी रुपया दिया है और बहुत सी चीजों के लिये सरकार ने रुपया देकर तालीम को आगे बढ़ाया है, लेकिन हम अभी एक मंजिल पर खड़े हैं और हमें देखना यह है कि आगे हमें तालीम के मुताल्लिक क्या इंतजाम करना है। हमारी जो पुरानी हुकूमत थी उसने जो निजाम तालीम का बनाया था उसमें सिर्फ क्लर्कों की ही गुंजाइश थी और अब तो शायद वह भी बाकी नहीं रही। इस तरफ हमारे प्लानिंग कमीशन ने भी तवज्जह दिलाई है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इस चीज पर गौर कर रहे होंगे।

सब से बड़ी चीज जिसकी जरूरत है वह यह है कि हमारे बच्चों में एक सही किस्म का नेशनल कैरेक्टर डेवलप (विकसित) हो और उनमें एक डिसिप्लिन (अनुशासन) पैदा होना चाहिये और आजकल जो एक इनडिसिप्लिन (अननुशासन) फैल गया है उसको हमें जल्द दूर करना चाहिये और प्राइमरी एजूकेशन के साथ ही लड़कों को हेल्थ (स्वास्थ्य) की एजूकेशन भी देना चाहिये और उसको बढ़ाने का मौका देना चाहिये। हमें साथ ही एग्रीकल्चर और दूसरे किस्म के सबजेक्ट्स (विषय) भी रायज करने चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मौजूदा डाइरेक्टर ने इस तरफ कदम उठाया है। हमें शिक्षा की तरक्की के लिये इस महकमे में एक नई रूह फूंकने की जरूरत है और तालीम का इंतजाम ऐसे लोगों के सुपुर्द हो जो उसको प्लान्ड (नियोजित) तरीके पर चलाते रहें।

हमारे सूबे में १०-१२ साल से कुछ ऐसा रहा है कि डाइरेक्टर आफ तालीम १ या २ साल से ज्यादा नहीं रह पाते। जाहिर है कि इस छोटी सी मुद्दत में वे किसी काम को आगे नहीं चला सकते। क्या ही अच्छा हो अगर आइन्दा के लिए डाइरेक्टरों को कम से कम इस बात का मौका दिया जाय कि वे ५ साल तक तालीम का काम अपने हाथ में रखें। जैसा कि माननीय माल मंत्री ने फरमाया, हम सब से ज्यादा रकम तालीम की मद पर सर्फ कर रहे हैं। पहले हमारा पुलिस का बजट सबसे ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब यह अच्छी अलामत है कि तालीम का सबसे ज्यादा होता है, ३ साल से। लेकिन हमें देखना होगा कि हम अपनी तालीम को इस तरह से चलायें कि एक पैसा भी वेस्ट न हो। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि सन् ४६ में २ करोड़ ६५ लाख रुपया शिक्षा पर सर्फ होता था और अब बढ़ बढ़ कर १० करोड़ ११ लाख हो गया है। लेकिन उसी हिसाब से क्या तालिबिल्मों की तादाद नहीं बढ़ी है ?

जवाबतलबी, स्कालरशिप्स (छात्रवृत्तियों) के मद में है कि वह यूरोपियन्स और दूसरों के लिए अलहदा अलहदा दी जाती हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि अब इस जमाने में रेशल डिसक्रिमिनेशन (जातीय भेदभाव) नहीं होना चाहिए। चाहे किसी कौम के लोग हों सब के साथ एकसाँ सुलूक होना चाहिए क्योंकि सबके बराबर अधिकार हैं बहैसियत एक सिटीजन के। सैक्यूलर डैमोक्रेसी के अन्दर किसी को खास अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे भवन में शिक्षा सम्बन्धी अनुदान पर बहस चल रही है और सवेरे माननीय मंत्री जी का भी भाषण हुआ। हमने उसे बड़े गौर से सुना और जैसा कि हमारी बहिन ने कहा हम इस बात की इच्छा रखते थे कि उसमें उनके मुख द्वारा कुछ हमारे लिए भी कहा जाय और कुछ हमारे लिए भी आदेश हो। किंतु वह सब व्यर्थ रहा और हमें, जैसा कि उन्होंने कहा था, निराश रहना पड़ा। मैं अपनी बहिन से कहना चाहती हूं कि वह शिक्षा मंत्री जी से भी क्या इसका उलाहना देती हैं? हमें तो सब भाइयों को एक ही कटेगरी (वर्ग) में रखना है और उनका भाव हमारी ओर एक सा ही है, किंतु जहाँ हमारा प्रश्न आ जाता है वहाँ हमें उनके सामने उसी कदम से, उन्हीं भावनाओं से और विचारों से उस निर्माण कार्य को साथ लेकर, चाहे वे हमसे सहयोग लेना चाहें या न चाहें, किन्तु हमें वह देना है।

मेरी एक बहिन ने बहुत से सुझाव रखे हैं। उन्होंने हमारी स्त्री-शिक्षा संबंधी चीजों को सामने रखा। मैं इसी विषय पर यह निश्चयपूर्वक कह सकती हूं कि कम से कम हमारी बजट में बहुत ही उपेक्षा की गयी है। अब प्रश्न आता है हमारे सब साथियों का एक साथ मिल कर कार्य करने का।

(इस समय ४ बज कर ७ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कोई तो माँग रखता है विद्यार्थियों के लिये, कोई माँग रखता है हरिजन कार्यों के लिये, कोई माँग रखता है किसी कार्य के लिये। मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूं जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर हम दो ही जातियों पर विशेष ध्यान दें तो हमारे यहाँ की बहुत सारी समस्यायें बहुत हद तक सुलझ सकती हैं। आज मैं दो को काटकर एक ही जाति सामने रखना चाहती हूं और वह जाति मैं अथवा खुद अपने आपको ही लेती हूं। मेरा मतलब है अहं से। मनुष्य को मनुष्य के विपरीत भावना हो सकती है। किन्तु हम क्यों दूसरों को आलोचना के रूप में देखते हैं? हम क्यों नहीं अपने ही अन्दर अपने अवगुणों को ढूंढते हैं? हम क्यों बार-बार महात्मा गाँधी का आदेश लेकर, महात्मा गाँधी का नाम पेश कर, कोई साक्षी देते हैं कि महात्मा गाँधी का यह आदेश था, महात्मा गाँधी का यह मतलब था? हम क्यों नहीं महात्मा गाँधी का दिल अपने ही अन्दर उसी दिल से महसूस करते हैं, हम क्यों नहीं महात्मा गाँधी वाले दिल की बात करते हैं? हमारे देश के लिये किस चीज की आवश्यकता है हमारे देश में किन-किन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है? हम दूसरों की आलोचना करने के लिये तो बड़ी जल्दी एक ऐसा शीशा चढ़ा लेते हैं जिसमें उस आदमी का या जिसके प्रति विपरीत भावना होती है, कोई गुण ही नहीं दिखाई देता जिसका फिर स्वाभाविक असर क्या होता है, उसकी प्रतिक्रियायें क्या होती हैं कि वह अवगुण, जो वह दूसरों में देखता है, खुद अपने ही में स्थान ले लेता है। इसलिये इस दिशा में मेरा यह सुझाव है कि यदि हम अपने को समझने में ही समय लगावें तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूं कि देश की समस्या बहुत शीघ्र हल हो सकती है।

अब दूसरे प्रश्न के ऊपर मैं आती हूं और वह प्रश्न है कि हमने विभिन्न जातियों और विभिन्न माननीय सदस्यों ने और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर कहा है। मैं कहती हूं कि सरकार को ही क्यों दोष दिया जाय या किसी अन्य को ही क्यों दोष दिया जाय? हम माता की श्रेणी में आती हैं। हम अपने आपको ही क्यों नहीं दोषी समझती हैं? सबसे बड़े हम ही दोषी हैं। जैसा हम विचारते हैं, समझते हैं वही हमारी संतान भी सोचती है। हम अपने भावों को सुधारें, हम अपने को सुधारें, हम अपने दिलों को सुधारें और हम अपने

[श्रीमती चन्द्रवती]

अन्दर अपने अन्तःकरण को शुद्ध करें, सुधारें, तभी हम देश निर्माण के लिये अपनी भावी सन्तानों को उत्तमरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं सोचती हूं कि जब यह प्रश्न बार-बार लाया जाता है तो कभी कभी मुझे बड़ी जिज्ञासा होती है सुनने की कि मेरे भाई कोई सजेशंस (सुझाव) देंगे, कोई भावना ऐसी देंगे जिससे हम इस कार्य को कर सकें।

जिस मतलब से मैं खड़ी हुई हूं, मैं बहुत उपयुक्त समझती हूं कि उसे जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। मेरा मतलब लड़कियों के लिये एक इंटरमीडिएट कालेज से था। मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि मैं अपने जिले बिजनौर में लड़कियों के लिये एक इंटरमीडिएट कालेज की नितान्त आवश्यकता महसूस करती हूं। अगर वहाँ पर सरकार स्त्रियों और लड़कियों के लिये एक इंटरमीडिएट कालेज का प्रबन्ध जरा से ही परिश्रम से कर दे तो वह बहुत ही उपयुक्त होगा और उससे बहुत लड़कियों की भलाई हो सकती है और इसका होना मेरे विचार से अनिवार्य है।

अभी जब मैं अपने जिले से चली तो वहाँ माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि देखिए हमने आपके सामने एक चीज रखी है कि हमारी बच्चियां और हमारी लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती हैं, उनके भेजने के लिये रुपए हमारे पास पर्याप्त नहीं हैं इसलिये आपका यह फर्ज होता है कि आप इस समस्या को हल कर दें और इसका इंतजाम कर दें। हमारी लड़कियाँ भी ऐसा कहती हैं कि हमारे माता-पिता हमें बाहर भेजते नहीं हैं जिससे हमें शिक्षा पाने में असुविधा होती है और यदि यह प्रबन्ध न होगा तो हमें परेशानी में पड़कर अपनी इच्छाओं के विपरीत जीवन को अपनाने के लिये हमें बाध्य होना पड़ेगा। मेरा अनुरोध सरकार से है कि इसमें अगर वह पब्लिक से सहयोग चाहे या मुझसे चाहे अर्थ के लिये या किसी और चीज के लिये तो मैं अपने आपको उसके लिये सर्वदा उद्यत रखूंगी।

श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय भवन में पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके लिये जो आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुना। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लम्बे-चौड़े भाषण में हरिजनोत्थान कार्य के लिये एक शब्द इतना समय होते हुए भी नहीं कहा और शायद समय बचाने के लिये उन्होंने ऐसा किया, किन्तु फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं देखता हूं कि इस प्रदेश के पूरे बजट को देखते हुए यह अनुदान पिछड़ी हुई जातियों के लिये बहुत कम है। इसमें अनुदान का अधिकांश रुपया मोमिन बैकवर्ड क्लासेज (पिछड़ी हुई जातियों) और हरिजन विभाग के कर्मचारियों के वेतन आदि में खर्च हो जाता है। ५५ हजार रुपया जो हरिजन आश्रम, इलाहाबाद, के लिये रखे गये हैं, वह भी इसमें सम्मिलित हैं। मैं समझता हूं कि और सूबों को देखते हुए यह रकम हरिजनों को उठाने के लिये बहुत कम है। मैंने देखा है कि मद्रास सरकार ने एक करोड़ रुपया और हैदराबाद सरकार ने एक करोड़ रुपया इस संबंध में हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिये रखा है। पंजाब, देहली, बम्बई और राजस्थान ने तो हायर सेकेंडरी शिक्षा को हरिजनों के वास्ते बिलकुल फ्री कर दिया है। तो मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार जो कदम हमारी सरकार ने उठाया है वह संतोषजनक नहीं है, बाहर की हरिजन जनता भी इस बात को कहती है। हमारे सदन के माननीय हरिजन सदस्य भले ही संतोष कर लें किन्तु मुझे इससे जरा भी संतोष नहीं है। मद्रास सरकार द्वारा ५४ लाख रुपया केवल हरिजनों की ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। यहाँ पर एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं जो यह है कि १३५३ स्पेशल स्कूल्स हरिजन बस्तियों में बच्चों के वास्ते खुले हुए हैं जिनमें १५ लाख ८३ हजार रुपये सिर्फ लड़कों को मिडडे मील (दुपहर का भोजन) के लिये खाने के वास्ते दिये जाते हैं। एक लाख शिशु इससे फायदा उठाते हैं। यही हालत हैदराबाद की है। हैदराबाद में भी २१३ स्कूल्स इस प्रकार के हैं।

मद्रास में २२ होस्टल्स ऐसे हैं जो कि सरकार द्वारा चलाये जाते हैं और ४३५ होस्टल ऐसे हैं जिनमें सरकार मदद करती है। छात्रावास के रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को १५ रुपया मासिक मिलता है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि हमारे सूबे के अतिरिक्त, जबकि हमारा सूबा सबसे बड़ा सूबा है, और हिन्दुस्तान के हरिजनों की आबादी की १/४ आबादी इस सूबे में बसती है और इस सूबे की कुल आबादी का १/४ हरिजन आबादी है, ऐसी दशा में इतनी रकम हरिजनों के लिये रखना काफी नहीं है। इसलिये यह जरूरी है कि आइन्दा वर्ष में ज्यादा रकम इस ओर रखी जाय। मैं तो यह समझता हूं कि सबसे बड़ी समस्या अगर हरिजनों को उठाने की है तो यह है इकोनामिक अपलिफ्ट (आर्थिक उत्थान)। अगर सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। हैदराबाद, बिहार, देहली और मद्रास द्वारा इस के लिये काफी रुपया काटेज इंडस्ट्रीज की सहायता में दिया जाता है। मुझे बहुत कुछ आँकड़े रखने थे। लेकिन चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं भवन में समय के अभाव से वे आँकड़े नहीं रख सकता। हाँ, एक समस्या इनकी हाउसिंग की भी जबरदस्त है।

एक सुझाव मैं शिक्षा मंत्री महोदय की सेवा में रखना चाहता हूं। हमारे इतने बड़े तबके के वास्ते इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम इसको उठाने के लिये कोई ठोस कदम उठायें, ऐसी ठोस योजनायें बना कर रखें जिनसे हरिजनों का उत्थान हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस मंत्रिमंडल का ध्यान अपनी पार्टी के शुभचिंतक की हैसियत से इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको इगनोर (उपेक्षा) करना, मैं यह समझता हूं कि खतरे से खाली नहीं है। ऐसा समय आ सकता है कि हमारे देश और अपने प्रदेश के लिये एक खतरा भविष्य में उत्पन्न हो जाय। इसलिये यह जरूरी है कि हम एक कमीशन नियुक्त करें। चूंकि हमें दस वर्ष के अन्दर हरिजनों को ऊंचा उठाना है। वह कमीशन, उनकी आर्थिक, सामाजिक, एजूकेशनल और उनके रहन सहन और आये दिन जो उन पर अत्याचार होते हैं इन सब की जाँच करके एक रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करे और तब सरकार एक दस वर्षीय योजना बनाये जिससे हरिजनों का कल्याण हो और जो खतरा आने वाला है उससे बच सकें।

श्री भगवान दीन मिश्र--मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं। मैं देखता हूं कि इस अनुदान पर कई प्रकार के कटौती के प्रस्ताव हैं जिनमें साधारणतया सामान्य वाद-विवाद के हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी विशेष अनुदान की तरफ इशारा करते हैं जैसे सहायता प्राप्त स्कूलों के संबंध में, खास-खास विद्यालयों के संबंध में, या संस्कृत शिक्षा के संबंध में। ऐसे लोगों को अवश्य समय मिलना चाहिये जिससे वह अपने सुझाव पेश कर सकें।

श्री नरेन्द्र सिंह त्रिष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज अनुदान संख्या १८ में ८ करोड़ ११ लाख की धनराशि शिक्षा के लिए रखी गयी है उस पर सुबह से मैं वादविवाद सुनता रहा। माननीय शिक्षा मंत्री के भाषण को भी मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना।

मैं इस अनुदान का हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक इस अनुदान की व्याख्या इस भवन के सामने रखी। परन्तु मैं दो-चार सुझाव इसमें अपने भी देना चाहता हूं। खासकर जब हमारा मुल्क अब स्वतंत्र हो गया है, तो हम लोगों को अब यह जरूरी हो जाता है कि जो पुरानी शिक्षा अंग्रेजी हुकूमत के समय में दी जाती थी उसमें हम एक बड़ा भारी परिवर्तन करें जो कि अब हमारे लिये जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारे

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

नागरिक आगे बढ़ सकते हैं। आज जो विद्यार्थी हैं उन्हीं को कल देश का नागरिक बनना है। उन्हें देश के सार्वजनिक कार्यों और अन्य कार्यों को चलाना है। इसलिये जिस किस्म की शिक्षा इस वक्त हमारे विद्यार्थियों को दी जायगी उसी किस्म का इस देश का भविष्य बनेगा।

मैं तो चाहूंगा कि यह जो ८ करोड़ ११ लाख रुपया इस अनुदान में रखा गया है, यह बहुत ही कम है। इस बात का खयाल रखते हुए कि हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी ६,३२ लाख है, अच्छा होता कि अगर इस अनुदान में इससे कहीं ज्यादा धनराशि रखी जाती। अगर हम लोगों के देश में गरीबी की वजह से कई मजबूरियां हों, फिर तो भी मैं यह चाहूंगा कि बहुत अच्छा होता कि हम लोग आधा पेट खाते, आधे कपड़े पहिनते, मामूली मकानों में रहते, मगर फिर भी शिक्षा के लिये जहाँ तक हो सकता ज्यादा से ज्यादा धनराशि को रख सकते, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं, वे चरित्रवान् हो जायं, गुणवान् हो जायं, शारीरिक बल उनमें आ जाय क्योंकि ऐसे युवकों को पैदा करके ही हम अपने भविष्य का निर्माण कर पायेंगे।

मुझे दो चार चीजें सुझाव के तौर पर प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजूकेशन पर देनी हैं। प्राइमरी एजूकेशन में मैं देखता हूं कि जितने भी स्कूल हैं, वह पुराने ढंग के ही चले आते हैं। वह गाँव के लोग कि जिनके पास चन्दा भी नहीं है, खाली फाल्स (झूठा) चन्दा दिखलाकर बोर्ड से इजाजत ले लेते हैं और ऐसे स्कूल हैं कि किन्हीं में छत नहीं है और कहीं दीवार है तो छत नहीं है, इस प्रकार के नये स्कूल खुल रहे हैं और पुराने स्कूल बन्द होते जा रहे हैं। तो इस किस्म की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिये। अच्छा तो यह होता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से जिनकी कि बड़ी गरीब हालत है, जो इन स्कूलों को कोई आर्थिक सहायता नहीं कर सकते, उनसे ये स्कूल जो बिलकुल बुरी हालत में चल रहे हैं, इनसे ये स्कूल लेकर सरकार ही उन स्कूलों को चलाती और इन स्कूलों में टीचरों की तो बहुत ही बुरी हालत है। उनको तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं और वह यह नहीं कर सकते कि अपने घरों के कार्यों को छोड़ कर स्कूलों में भी अपना पूरा समय दे सकें। इसके अलावा बोर्ड हमेशा किताबों को बदलता जाता है और कई जगहों में यह देखा गया है कि किताबें निरर्थक बदलती रहती हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि एलफबेट (वर्णमाला) की किताबें जो छोटी-छोटी हैं, उनको बदलने का क्या मतलब हो सकता है ? एक किताब निकलती है "क" माने कलम, "ख" माने खरबूजा और फिर दूसरी निकलती है "क" माने कबूतर "ख" माने खरगोश। इससे किसी चीज का सुधार नहीं हो सकता। इससे यह अवश्य होता है कि जो गरीब माँ-बाप हैं उनको धन की कमी से बच्चों की पढ़ाई न हो पा रही है। अच्छा होता कि किताबों का जो इतना बदलाव हमेशा बहुत जल्द जल्द हो रहा है, वह रोक दिया जाता।

साथ ही मैं सेकेंडरी एजूकेशन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेट इंटरमीडिएट कालिजेज हैं, उनको भी अगर सरकार गवर्नमेंट कालिज बना दे तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि गवर्नमेंट कालिज जितने भी हैं, वे बहुत अच्छे चल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल और कालिज जितने भी हैं, उनमें जो प्राइवेट टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफ की सिक्योरिटी (निरापदता) नहीं मालूम होती, तो ज्यों ही उनको कोई अच्छा व्यवसाय मिलता है या अच्छी जगह मिलती है तो उन कालिजेज को छोड़ कर वहाँ से निकल जाते हैं जिससे उन कालिजेज की पढाई में बाधा पड़ रही है। इसके अलावा मुझे यह एक शिकायत है कि यह जो किताबें जल्दी बदली जाती हैं वह चीज बन्द हो जानी चाहिये। अच्छा तो यह होता कि एक भाई पढ़ता था और दूसरा भाई उसी क्लास में आ जाता था तो वह भी वही किताबें इस्तेमाल कर सकता, खासकर भूगोल, इतिहास और ग्रामर ऐसे विषय हैं जिनको सेकेंडरी स्कूलों में बदलने की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं होती।

मैं अब यूनिवर्सिटी के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि वहाँ भी एक ऐसी बात है जिससे वहाँ डिसकंटेंटमेंट (असंतोष) मालूम होता है। यूनिवर्सिटियाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ से विद्यार्थी सारे देश में फैल जाते हैं। अगर वहाँ के प्रोफेसरों को अच्छी तनख्वाहें नहीं मिलतीं तो उनके लिये वहाँ कोई ऐट्रैक्शन (आकर्षण) नहीं रह जाता और वहाँ कोई ऐट्रैक्टिव जाब (कार्य) नहीं मालूम होता कि वह प्रोफेसर बनें। यूनिवर्सिटी से एम० ए० फर्स्ट क्लास होकर निकलने के बाद वे विदेशों में जाते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वहाँ से लौटते हैं और फिर यहाँ यूनिवर्सिटीज में उनको ३०० रुपये की जगहें दी जाती हैं तो वह फिर कैसे इन जाब्स को पसन्द कर सकते हैं? उनको तो माकूल जगहें दी जानी चाहियें जैसे कि सिविल सर्विसेज में इनिश्यल पे आफिसर्स को मिलती हैं ताकि देश के इंटेलेक्चुअल जाइंट्स (विद्वानों) को यूनिवर्सिटियां अपने यहाँ खींच सकें और वह भी अपने जाब्स की कदर करें। अगर इस तरह से उनको तनख्वाहें दी जायं तो हमारे देश के जो विद्वान् पुरुष हैं उनको हम अपनी यूनिवर्सिटियों में ले सकेंगे।

तभी हमारे देश को उन्नति हो सकेगी। अगर ऐसी हालत न रही तो जितने विद्वान् लोग हैं वे इधर उधर कम्पनाज में या और कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे और मामूली लोग यूनिवर्सिटियों में रह जायेंगे, जिससे हमारी शिक्षा का बहुत मामूली स्टैण्डर्ड (स्तर) रह जायगा।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, जो आज शिक्षा का अनुदान हाउस के सामने है, यह अनुदान हमारे प्रदेश के कल्याणकारी विषयों में से है और इसी वजह से १२६ सदस्यों ने कट मोशन अपने विचार प्रकट करने के लिये इस पर दिये हैं, । मैं समझता हूं कि जहां तक शिक्षा का विषय है हमारे प्रदेश ने पांच छः वर्षों के अन्दर उत्तरोत्तर इस शिक्षा को आगे बढ़ाया है, परन्तु आगे बढ़ाने के बाद, जब इस शिक्षा को नीचे गिरता हुआ हम देखते हैं, इसके नतीजों को नीचे गिरता हुआ जब हम देखते हैं तो फिर हमारे दिल में थोड़ा सा खयाल पैदा होता है कि हम माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करें कि प्रदेश को जड़ शिक्षा ह और इसको किसी भी प्रकार नीचे गिरा देना प्रदेश को नीचे गिरा देना है। जब हम देखते हैं कि ढाई सौ स्कूल जो गांव में बसने वाले लोगों के लिये खोले जाते हैं और उनके ऊपर खर्चा सिर्फ ९० हजार रुपया किया जाता है, तो फिर हमको विचार करना पड़ता है कि दस-ग्यारह करोड़ के शिक्षा के बजट में ढाई सौ स्कूलों पर ९० हजार रुपया देकर गांवों के साथ खेलवाड़ किया जाता है।

जब हम यूनिवर्सिटियों की तरफ निगाह डालते हैं और वहां देखते हैं कि ३६ लाख रुपया उनको दिया जाता है तो फिर हम और भी सोचते हैं कि खास तौर से जिनको हमें शिक्षा देनी चाहिये थी उनको हम नजरअंदाज करते हैं। वे किसानों के बच्चे, वे मजदूरों के बच्चे, वे गरीबों के बच्चे इस तरीके से शिक्षा के संबंध में नजरअन्दाज किये जाते हैं, जिनको सरकार को ज्यादा सहायता देनी चाहिये थी और प्राइमरी स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा गौर से देखना चाहिये था। जब हम देखते हैं शिक्षा के स्तर को और हम रुड़की कालेज को देखते हैं, कि जहां हर एक बच्चे पर सवा दो सौ रुपया खर्च होता है और उनके खाने पर ९० रुपया महीना खर्च होता है तब हमको खयाल होता है कि हम देश के बच्चों को किस प्रकार आगे लिये जा रहे हैं। उनको इतना खर्चीला बनाया जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम किस तरीके से देश में उच्चतर शिक्षा को आगे ले जा सकेंगे और देश का भविष्य ऊंचा कर सकेंगे।

[श्री दीनदयालु शर्मा]

जब हम यह देखते हैं कि बगैर कोट और पतलून के वे क्लास में जा ही नहीं सकते हैं, जब हम उनके रहन सहन को देखते हैं तो यह खयाल पैदा होता है कि प्रदेश की सरकार किसी तरीके से पुराने तालीम के ढांचे को बदलना नहीं चाहती है। हमारे माननीय मंत्री आज अखबारों के जरिये, रेडियो के जरिये, अपनी तकरीर के जरिये क्रांतिकारी तालीम फैलाना चाहते हैं। मुझे क्रांतिकारी तालीम के फैलाने की कोई आशा नजर नहीं आती है, और वह क्रांतिकारी योजना भी मुझको सिर्फ कागजों पर ही रहती नजर आती है। अगर क्रांतिकारी शिक्षा फैलाने की बात दिमाग में होती तो किसान और मजदूर के भूखे बच्चों को पढ़ा करके उनके दिमाग को आगे बढ़ाया जाता।

इस बजट के अन्दर एक और बात आप यह देखेंगे कि डेढ़ लाख रुपया प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सहायता के लिये रखा गया है। तो उस डेढ़ लाख रुपये के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि कितने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यह डेढ़ लाख रुपया दिया जाता है ? जरा गौर कीजिए कि जो अंग्रेजियत के जमाने के प्रतिभाशील आदमी हैं, उन्हीं के बच्चे हमेशा प्रतिभाशील हुआ करते हैं और आज भी तथाकथित आदमियों के बच्चों को प्रतिभाशील समझ कर ही डेढ़ लाख रुपया दिया जाता है। माननीय मंत्री बता दें कि उस डेढ़ लाख रुपये में से कितने किसान और मजदूरों के बच्चों को दिया गया।

इसके अलावा मैं यह भी देखता हूं कि दो लाख रुपया और आपके बजट के अन्दर दूसरे तरीके से सहायता देने के लिये है। उस दो लाख रुपये में से क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि कितनी सहायता उन देहाती आदमियों को, जिनको जरूरत है, आप देंगे ? मुझे पूरा यकीन है और मैं हाउस के अन्दर कहता हूं कि अब से बहुत पहले उसके वायदे हो गये होंगे और वह उन्हीं संस्थाओं के पास जायगा जो साधन सम्पन्न संस्थायें हैं। बिलखते हुए आदमी के लिये कोई सहायता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने मुझे सिगनल दे दिया है, इसलिये अब मैं थोड़ी सी बात अपने जिले के बारे में यह कह देना चाहता हूं कि मेरे जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जितनी सहायता मिलती है मैं समझता हूं कि सूबे के जो चन्द अभागवान् जिले हैं, उनमें से बुलन्दशहर का भी जिला है दो चार जिलों को छोड़ कर जहां हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मैं समझता हूं ८० फीसदी, ७० फीसदी और ५० फीसदी सहायता मिलता है वहां बुलन्दशहर जिले को केवल ३० फीसदी सहायता मिलती है। और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १३ लाख के बजट से ९ लाख रुपया अकेले शिक्षा पर खर्च कर रहा है। और हमने जब कई बार जिक्र किया तो शिक्षा के भतपूर्व मंत्री, माननीय सम्पूर्णानन्द जी, एक नोट लिख कर गये कि बुलन्दशहर जिले के साथ ज्यादती हो रही है। हमारे बार-बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा बगैर पैसे के काम के लिये भी बुलन्दशहर के बारे में कोई सुनवाई नहीं होती। बुलन्दशहर जिले में एक हायर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों का है। मैं बता देना चाहता हूं कि एक कोठी २०० रुपये महीने किराये पर उसके लिये ली गयी है उसमें लड़कियों के बैठने के लिये जगह नहीं है। बरामदा तो बरामदा, बाहर भी जगह नहीं है। हमने सुझाव दिये। हमारे यहां के जो इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं, जो कलेक्टर हैं और जो एम० एल० एज० हैं उन्होंने यह कहा है कि हमारे यहां जो ऐग्रीकल्चरल स्कूल हैं उसको एग्रीकलचर कालेज लखावटी भेज दिया जाय, और जो सेकेंडरी स्कूल हैं उसे एग्रीकल्चरल स्कूल बुलन्दशहर में भेज दिया जावे और लड़कियों के स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया जाय। मगर कोई सुनवाई नहीं होती।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहस को प्रारम्भ करते हुये एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने एक बहुत आश्चर्यजनक घोषणा की और उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास कोई नक्शा नहीं है समाज के ढाँचे का, इस वजह से हम

शिक्षा भी उसके अनुरूप देने में असमर्थ हैं। मैं समझता हूं कि यह घोषणा आश्चर्यजनक होने के साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण भी है और वह इसलिये कि जिस संस्था के माननीय मंत्री महोदय सदस्य हैं और जिस संस्था में होने का मुझको भी फख्र हासिल है उस संस्था ने सामाजिक ढांचे की घोषणा के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। वह एक ऐसे समाज की रचना करना चाहती है जिसमें कोई श्रेणी नहीं होगी, कोई शोषण नहीं होगा, जिसका एक मात्र ढांचा यह होगा कि वह आर्थिक समाजवाद के ऊपर आधारित होगी, यह उसका ढांचा है।

इसलिये आज जब कि वर्षों के बाद हम काफी मंजिल तय कर चुके हैं, काफी नदियाँ और पहाड़ पार कर चुके और उस मंजिले मकसूद पर पहुंचने के लिये बहुत से कदम हम रख चुके हैं, एक जिम्मेदार मंत्री महोदय की तरफ से यह घोषणा कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है यानी हमारी लक्ष्य हीन आदमियों की एक फौज है, मैं नहीं समझता कि हम इन वक्तव्यों से अपने उद्देश्य की पूर्ति में कहां तक आगे बढ़ रहे हैं।

मैं समझता हूं कि हमारा एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, लेकिन हमारे पास उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिये क्रिया नहीं है जिसके अनुरूप हम वहाँ तक पहुंच सकें। जब क्रिया नहीं होती है तब विरोधाभास होता है। एक गंदा नाला और एक खंदक सामने आ जाती है। शिक्षा के संबंध में यह भी हो रहा है। शिक्षा का प्रश्न देखा जाय तो मालूम होगा कि हमारे यहाँ की यूनीवर्सिटीज दो श्रेणी के विद्यार्थी पैदा कर रही हैं। हिन्दुस्तान भर की यूनीवर्सिटीज को देख लीजिये, एक तो वह क्लार्क पैदा कर रही हैं और दूसरी कम्यूनिस्टों की फौज। इसके अतिरिक्त वह तीसरी श्रेणी पैदा नहीं कर रही हैं। हर साल कितने ही नौजवान पैदा होते चले जा रहे हैं। ग्रेजुयेट हो रहे हैं, एम० ए० और पी० एच० डी० की डिग्री लेते चले जा रहे हैं। लेकिन उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कोई स्थान न मिलने के कारण वह बेकारों की फौज यानी कम्यूनिस्ट की फौज होते चले जा रहे हैं।

इन यूनीवर्सिटीज के सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय का एक भाषण पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि यह लोग पावर पालिटिक्स में अंधे हो गये हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसलिये मैं चाहता भी हूं कि एक सुझाव मंत्रि महोदय के सामने रखूं। क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि जब हम अपने साधनों को, सम्पत्ति को, शक्ति को दूसरी तरफ ले जाने के लिये इस यूनीवर्सिटी एजूकेशन को स्कैप कर दें अथवा स्थगित कर दें और सारा का सारा रुपया गाँवों की तरफ ले जायं? सेकेंडरी एजूकेशन की तरफ ले जायं, एग्रीकल्चर कालेजों की तरफ ले जायं जहाँ पर कृषि वगैरह की शिक्षा दी जाती है?

आज यह फरमाया गया कि हमारे समाज का ढांचा इस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि प्रारम्भिक शिक्षा इस प्रकार की न हो जिससे हम लड़कों को सुन्दर नागरिक बनाने का प्रयत्न करें। मैं कहता हूं कि आपके विचार तो बहुत सुन्दर और पवित्र हैं लेकिन क्रिया उसके अनुरूप नहीं है। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कि वहाँ स्कूलों के मास्टरों की एक फौज है जिनको तीन तीन महीने तक वेतन नहीं मिलता है। उनके पास रहने को मकान नहीं हैं, खाने को अन्न नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है। बहुत से स्कूलों में तो छत तक नहीं है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो बरसात में नहीं लगते हैं क्योंकि वहाँ पर बैठने का इंतजाम नहीं, यह मुफलिसों की फौज जो प्रारम्भिक शिक्षा के मास्टरों की है, म्युनिसपल बोर्ड के अन्दर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर बराबर संघर्ष करती चली जा रही है। उसने हड़तालें कीं और भूख हड़तालें भी कीं। लेकिन आज भी उसका स्तर वही है जो पाँच छः वर्ष पहले था, हालाँकि अब हम शिक्षा के बजट पर चौगुना रुपया पहले से ज्यादा खर्च करते

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

चले जा रहे हैं। सन् ४६ में जो रुपया हम खर्च करते थे अब सन् ५२ में उसका चौगुना रुपया खर्च कर रहे हैं। म्युनिसिपल बोर्ड के मास्टरों को जो वेतन मिल रहा है वह मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के चपरासी से भी कम मिल रहा है। तो जो अध्यापक इन हालतों में रहें जिनकी आर्थिक समस्यायें ही हल न हो सकें जिनके साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाय वे शिक्षा नहीं दे सकते हिन्दुस्तान के बालकों को सुन्दर, स्वस्थ और सुदृढ़ नागरिक बनाने के लिये।

मेरा समय समाप्त हो रहा है। अन्त में मेरी प्रार्थना है कि यूनीवर्सिटी ऐजूकेशन ५ वर्षों के लिये स्थगित कर दिया जाय। हमें कभी कभी क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ता है राष्ट्र के जीवन में जब कि हालत इस प्रकार से गिरती जा रही हो और विषमतायें किसी तरह से न सुलझ पा रही हों, क्योंकि उस तरफ देने के लिये पैसा नहीं है। इसलिये आप यूनीवर्सिटी एजूकेशन को स्थगित करें और आप इस रुपये को प्राइमरी और सेकेंडरी एजूकेशन में ले जायं और हर एक अध्यापक को कम से कम १०० रुपये वेतन दें, इससे कम न दें।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव शिक्षा के सम्बन्ध में रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा प्रस्ताव भी इसी में है।

आज ५ बरस हुए कि हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और हम यह स्वप्न देख रहे थे कि जैसा पुराना रामराज्य चलता था वैसी ही हमारा भी हालत होगी। हमारे सामने गरीबी, कठिनाइयां न होंगी जो पहले थीं। लेकिन मैं देखता हूं कि जिस स्थान पर हम ५ बरस पहले थे आज भी उसी स्थान पर हैं।

शिक्षा का जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है यह देखा जाता है कि दो वर्ग इस देश में पैदा हो गये हैं। एक शिक्षित और दूसरा अशिक्षित। अगर अशिक्षित लोगों की तरफ ध्यान दिया जाय तो यह वर्ग ऐसा है जिसमें गरीब लोग हैं, जिनके पहिनने को कपड़ा नहीं है और जिनके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को एजूकेशन दे सकें, उसी श्रेणी में खास तौर से लो पेड (कम वेतन वाले) गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स भी आते हैं। अगर उनके बच्चों की तरफ देखा जाय तो उनकी हालत बहुत ही खराब मालूम होती है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें या उन हालतों में रख सकें जिन हालतों में उनके बच्चे रहते हैं जिनके पास पैसा है या जिनके पास हर तरह की सुविधायें और साधन हैं।

आज जो सर्विसेज हैं आप उनकी तरफ ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि सर्विसेज में शेडयूल कास्ट (अनुसूचित जाति) के लोगों के लिये १० परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है लेकिन अगर आप तह में जायें तो आपको मालूम होगा कि वह बिलकुल पोल है। मैं खास तौर से इस सदन का ध्यान उन कमेटियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। दो तरह की कमेटियां होती हैं जो कि सर्विसेज के लिये पर्सनल नियुक्त करती हैं एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके हाथ में ४० परसेंट सर्विसेज हैं और दूसरी नौकरियां हैं लोकल सेल्फ गवनमेंट या प्राइवेट सर्विसेज जो ६० परसेंट हैं और जो स्टेट के अधिकारियों के हाथ में हैं जिन पर वह आदमियों को नियुक्त करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो अशिक्षित पिछड़े हुए या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी कोई भी नुमाइन्दगी इसमें नहीं होती जिसका नतीजा यह होता है कि जिस स्टैण्डर्ड के वे लोगों को देखते हैं वह उन्हीं के पक्ष में होता है जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं और जो ज्यादा पढ़े-लिखे होते हैं, जिनके पास अधिक से अधिक साधन उपलब्ध होते हैं और जिनका पालन-पोषण इस प्रकार से नहीं हो पाया है, जो पिछड़े हुए हैं और जिनके लिये १० परसेंट सीट्स रिजर्व हैं उनके लिये कह दिया जाता है कि वे अयोग्य हैं।

नतीजा यह होता है कि १० फीसदी जो रिजर्व किया गया है वह पूरा नहीं होता। इसके साथ ही साथ जहां पर १० आदमियों के लिये नौकरी की मांग होती है वहां पर यह कहा जाता है कि १० आदमियों की जरूरत है इसलिये उसमें एक हरिजन लिया जायगा, लेकिन जहां पर २,३,४, या ५ जगहें निकलती हैं वहां पर सरकार क्या करती है? सब लोग जानते हैं और इस सदन को अच्छी तरह से मालूम है कि वहां पर पिछड़ी हुई कौम के आदमी बिलकुल रिजेक्ट (अस्वीकृत) कर दिये जाते हैं और उनका एक या दो आदमी भी नहीं लिया जाता है। खासतौर से पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आदमी लिये जाते हैं, पहले यह कहा जाता है कि अछूतों के लिये १० फीसदी रिजर्व किया जायगा और उसके बाद बैकवर्ड क्लासेज (पिछड़ी जातियों) के लिये कहा जाता है, लेकिन जो सरकार का आदेश है जो उनमें सूची दी हुई है शिड्युल्ड कौमों में से अगर १० फीसदी में कोई ऐसा आदमी न मिले तो उनको छोड़कर उन लोगों में से लिया जायगा जो अच्छे नागरिक हैं या अच्छे खान्दान से आते हैं। नतीजा यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा परसेण्टेज हमारा इस तरीके से खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर बैकवर्ड क्लासेज की तरफ देखें तो जो बजट इस सदन के सामने पेश किया गया है उसमें ५ १/२ लाख रुपया उनके लिये दिया गया है। उनके लिये न कोई सर्विसेज का कोई रिजर्वेशन किया गया है न और उनके लिये खास इन्तजाम किया गया है तो फिर सरकार उनके लिये क्या करने जा रही है और उनके लिये क्या आयोजन किया गया है? हम यह उम्मीद करते थे कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी इन बातों को इस सदन के सामने रखेंगे लेकिन अफसोस है कि वे सब योजनायें जो पिछड़ी हुई जातियों के भावी भाग्य के लिये निर्भर करती हैं उनके मुताल्लिक कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम शिक्षा मन्त्री जी जहां पर पिछड़ी हुई जातियों का सवाल है उनके लिये काफी ध्यान देने की कृपा करेंगे और जो रुपया ८० फीसदी जनता पर खर्च करने के लिये रखा गया है उसी हिसाब से इन पिछड़ी हुई कौमों के लिये कुछ ज्यादा खर्च करने के लिये विचार करेंगे।

श्री शिवकुमार शर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा सम्बन्धी अनुदान जो आज इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसके विषय में मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी जो मौजूदा शिक्षा पद्धति है मैं खयाल करता हूं कि हमारे राष्ट्र के लिये उसकी मांग के लिये अनुचित और अनुपयोगी है। मौजूदा वस्तु-स्थिति जैसी कि इस समय हमारे देश की है उसके विपरीत है, और उसके बिलकुल खिलाफ है। हमको यह ख्याल करना चाहिए कि अगर वास्तव में हमको अपने देश के अन्दर लाखों बेकार नवजवान पैदा करने हैं तो उसके लिये मौजूदा शिक्षा पद्धति ही कायम रखनी चाहिये और मौजूदा शिक्षा पद्धति ही इस बात को सिखलाती है। मैं आपके सामने एक शेर पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह आशय आता है--

"यह सड़क किस सिम्त में होकर निकाली जायेगी,
आने वाली नस्ल किस सांचे में ढाली जायेगी?"

कई वर्ष पहले इस प्रस्ताव पर विचार हुआ था कि आया जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली जारी है वह हमारी राष्ट्रीय मांग को पूरा करती है या नहीं। अब से नहीं बल्कि जब से कांग्रेस पावर में भी नहीं आई थी हम बराबर इस चीज को कहते चले आये हैं कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्त्तन होना चाहिए और हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास शिक्षा के द्वारा होना बहुत आवश्यक है और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि इस प्रकार हमारी प्रगति इन दिशाओं में होती रहे। परन्तु जब हम इन बातों कसौटियों पर अपनी शिक्षा प्रणाली को कसकर देखते हैं तो वह बिलकुल निकम्मी और अधूरी दिखलाई पड़ती है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पाकर हमारे राष्ट्र के नवयुवक

[श्री शिवकुमार शर्मा]

स्वावलम्बी और आत्म-निर्भर बन सकें । लेकिन हम आज देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज से निकल कर हमारे नौजवान सड़कों पर जाब (कार्य) ढूंढ़ने के लिये एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक ठोकरें खाते फिरते हैं।

आपको मालूम होगा कि सन् १९३० से लेकर सन १९३९ तक का ऐसा जमाना था कि जब अनएम्पलायमेंट या बेकारी की समस्या खासतौर से बहुत जटिल हो गयी थी और मेरा ख्याल है कि जो समस्या उस समय थी वही समस्या फिर १९५२ के बाद देश को आकर घेरेगी। जो देश की ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं जो इस तरह के बेकार नौजवान देश में पैदा करती हैं तो उनको क्यों न कुछ समय के लिये बन्द कर दिया जाय ? मैं ही नहीं कहता बल्कि यहां के विद्वान् भी यही कहते हैं कि अच्छा हो अगर प्राइमरी शिक्षा को छोड़ कर बाकी सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को ५ साल के लिये बन्द कर दिया जाय और यहां के शिक्षा विशेषज्ञ बैठकर सोचें और निश्चित करें कि हमारी भावी शिक्षा पद्धति क्या होनी चाहिए ? जब हम यह देखते हैं कि इस शिक्षा प्रणाली पर ७ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने के बाद इस तरह के निकम्मे नौजवान तैयार होते हैं जो देश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बहुत दुःख होता है । हमें ऐसी संस्थाओं की और शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता है कि जो हमारे नवयुवकों को राष्ट्र के उपयोगी बनावें । जहां तक सामाजिक उपयोगिता का सम्बन्ध है हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली इस अंग को भी पूरा नहीं कर पा रही है ।

आज के नवयुवकों में जो उच्छृंखलता बढ़ती जाती है और जिस प्रकार का व्यवहार वे अपने गुरुओं के साथ करते हैं उसके बारे में आप जानते ही हैं। उनकी दृष्टि में अपने उस्तादों का, अपने गुरुओं का और अपने आचार्यों का वह स्थान नहीं है जो पहले हुआ करता था। हमारी पुरानी आदर और सम्मानपूर्ण संस्कृति मौजूद है कि "मातृ देवोभव, पितृ देवोभव, आचार्य देवो भव"। हमारे सामने वह आदर्श भी मौजूद है जब हम कहा करते थे कि नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि आज उसके स्थान पर हम देखते हैं कि अपने स्कूलों में परीक्षाओं में कामयाबी हासिल करने के लिये अपने मास्टरों को स्टैब करने (छुरा मारने) और छुरा भोंकने के लिये तैयार हैं और अपनी संस्कृति से वह इतना दूर हट गये हैं कि इसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम नीचे से ऊपर तक गौर से देखें प्राइमरी एजुकेशन से यूनिवर्सिटीज स्टेज तक शिक्षा की मौजूदा प्रणाली इतनी गलत है कि उसके रक्त में दूषित कीटाणु पैदा हो गये हैं और ऐसे गलत फल उसके हो रहे हैं कि जो मौजूदा पीढ़ी के लिये ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये बहुत ही मुजिर होंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारा इसी प्रकार से ह्रास दिखाई देता है। नैतिक क्षेत्र में भी आप देखें तो पतन होता जा रहा है और इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यह आधुनिक हमारी शिक्षा हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। आज हमारे नवयुवक अधिकतर और सौ में से ९० फीसदी ऐसे हैं कि जो आध्यात्मिकता से बिलकुल दूर हैं और जो अनगाडली एथीस्ट (अनीश्वरवादी नास्तिक) होते जाते हैं। जबकि हमारे देश में आध्यात्मिकता सारे संसार से ऊंचे दर्जे की थी और हमारे यहां की थियोसोफी सारे संसार में प्रसिद्ध थी वहां से विद्यार्थी और नवयुवक जब आध्यात्मिकता से दूर हटते जायं तो बहुत ही दुख की बात होती जाती है। यही चीज है कि जो किसी राष्ट्र का सम्बल हो सकती है और जो राष्ट्र के चरित्र का निर्माण कर सकती है और उसको ऊपर उठा सकती है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियां पतन की ही ओर अग्रसर होती दिखाई देती हैं। राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे छोटे-छोटे ग्रामीण से लेकर ऊंचे महलों तक ९० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता से दूर हटते जाते हैं और पतन की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये ४ सदस्यों के स्थान रिक्त थे। उनके लिये ५ सदस्य नामांकन हुए हैं। अगर इनमें से एक अपना नाम वापस ले लेते तो

चुनाव होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह वापिस नहीं लिया गया। चुनाव का समय मैंने ५ बजे निर्धारित किया था सदन ने एक घंटा समय बढ़ा दिया है। इसलिये ५ के बजाय ६ बजे, जिस समय कि सदन का कार्य ग्रांट के संबंध में समाप्त हो जायगा, उस समय यह चुनाव इसी सदन में हाथ उठाकर होगा। बाकी और कमेटियों के लिये चुनाव होना नहीं है। एक यही चुनाव बाकी रह गया है। नाम ये हैं, श्री रामस्वरूप गुप्त, श्री गंगा प्रसाद जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री केशव प्रसाद पाँडे और श्री विष्णु दयाल।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, क्या यदि कोई प्रस्तावक अपने प्रस्तावित का नाम वापस लेना चाहे तो वह ले सकता है? मैं वापस लेना चाहता हूं श्री रामस्वरूप गुप्त का नाम जिनका मैं प्रस्तावक हूं। क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगे?

अध्यक्ष--नहीं, उसका यानी नाम वापस लेने का समय निकल चुका है और अब कोई नाम प्रस्तावक द्वारा वापस नहीं लिया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लियेमांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा, अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान तथा अनुदान संख्या १७- लेखा शीर्षक ३६— वैज्ञानिक विभाग (क्रमागत)

श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर शिक्षा के अन्तर्गत म्यूजियम संबंधी अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रदेश में प्रमुख म्यूजियमों की अर्थात् पुरातत्त्व संग्रहालयों की संख्या ६ है। लखनऊ, मथुरा, सारनाथ, कलाभवन बनारस, म्युनिसिपल म्यूजियम इलाहाबाद और एक म्यूनिसिपल म्यूजियम फैजाबाद में भी है जो अब लगभग समाप्त सा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये पुरातत्व संग्रहालय हमारे सामने हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और हमारे देश के पुरातन सांस्कृतिक गौरव को प्रकट करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा देश सदियों से नहीं, हजारों वर्षों से, किन--किन विहंगम रास्तों से होकर उन्नति के महान् शिखर पर पहुंचा था। आज से ५२ वर्ष पहले उन्नीसवीं शताब्दी में हमारे बहुत से इतिहासज्ञ यह समझते थे कि हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास केवल १०,००० वर्ष पुराना है। लेकिन इस बीच पुरातत्त्व ने उनके सामने नयी चीजें रखी जिससे कि वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस संसार का इतिहास और हमारा इतिहास १० हजार वर्ष नहीं वरन् दो लाख वर्ष का पुराना है और वह ठेठ प्रस्तर युग तक जाता है। हममें से बहुत से लोग यह समझते थे कि हमारी वैदिक संस्कृति का विस्तार केवल गान्धार तक ही सीमित है, लेकिन १९१७ में तुर्की में बोगाजकुई में जो पुरातत्त्व संबंधी खुदाई हुई है उनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन तुर्की का नाम खेतसार था और वहाँ हजरत ईसा- से तीन हजार वर्ष पूर्व वैदिक त्रिमूर्ति–मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यों की पूजा होती थी। फिलिस्तीन में आज से ३००० वर्ष पहले दशरथ नाम का एक राजा राज्य करता था। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राचीन संस्कृति पर प्रकाश डालने वाली पुरातत्व की अनेक चीजें आज लंदन, न्यूयार्क, शिकागो और पेरिस के पुरातत्त्व संग्रहालयों में पड़ी हुई हैं। हम अपनी संस्कृति का पूर्ण दर्शन अपने पुरातत्त्व संग्रहालयों में नहीं कर सकते।

[श्री विश्वम्भरनाथ पांडेय]

किसी भी देश के लिये यह एक बड़ी लज्जा की बात है। यदि आप अपने यहाँ के प्रादेशिक म्यूजियमों की तुलना कलकत्ता, बम्बई या मद्रास वगैरह के म्यूजियमों से करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि हमारे म्यूजियमों का दर्जा अभी बहुत घटिया है। अपने पुरातत्व संग्रहालयों में हम अपने प्रदेश की उच्चता का दर्शन नहीं कर पाते।

तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता था कि हमारे जो पुरातत्व संग्रहालय हैं, उनको वे विशेष रूप से उन्नत करें ताकि संसार के लोग आकृष्ट हो सकें, इस प्रदेश की संस्कृति के अध्ययन करने के लिये। महात्मा गाँधी जी का अन्तिम अस्थि-विसर्जन प्रयाग में पवित्र त्रिवेणी में किया गया था। वह विशाल अस्थिरथ जिस पर राष्ट्रपिता के भौतिक अवशेष ले जाये गए थे उसे प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ विचार करने के बाद इलाहाबाद म्युनिसिपल म्युजियम को प्रदान किया है। उस विशाल रथ को रखने के लिये हमारे पास कोई उपयुक्त इमारत नहीं है। हम पिछले ५ वर्षों से प्रदेश की सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि उस रथ को रखने के लिये इमारत बनाने के लिये वह कुछ अनुदान दे, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। आप याद रखें कि वह पवित्र रथ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पवित्र अस्थि को रखने के लिये बनवाया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस पवित्र रथ के लिये भवन बनाने में १ लाख १५ हजार रुपया का तखमीना बना है। हम चाहते हैं कि गाँधी जी के पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू आदि के साथ जो पत्र व्यवहार हुए हैं वे सब उस भवन में स्थान पावें, गाँधी साहित्य तथा गाँधी जी की अन्य स्मारक वस्तुएं आदि सब वहाँ रखी जायं। बंगाल की सरकार ने १३ लाख रुपये खर्च करके गाँधी घाट स्मारक बनवाया है, बम्बई की सरकार ५६ लाख रुपये खर्च करके गाँधी स्मारक बनवा रही है, लेकिन हमारी सरकार ने ५ वर्ष के अन्दर इसके लिये अब तक कुछ भी नहीं किया है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से बतला देना चाहता हूं कि यह केवल इलाहाबाद का प्रश्न नहीं है बल्कि सारे राष्ट्र का प्रश्न है।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य सदन के सदस्यों कह कर संबोधित नहीं कर सकते। उन्हें अध्यक्ष को संबोधित करना चाहिये।

श्री विश्वम्भरनाथ पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस सदन के सदस्यों और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि यह महत्वपूर्ण चीज है। सारे प्रदेश की सरकारों ने इस दिशा में चेष्टा की है कि वे गाँधी जी का सुन्दर स्मारक बनावें और एक हमारे प्रदेश की सरकार है, जो अपने ६५ करोड़ के बजट में से इस काम के लिये एक लाख रुपया भी नहीं निकाल सकती। इतिहास हमें क्या कहेगा ? आने वाली संताने हमें क्या कहेंगी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि अगर यह काम नहीं हुआ तो आने वाले इतिहास में लज्जा के साथ हम याद किया जायंगे।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने हमको कुछ समय दिया। चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं हरिजन समस्या पर ही कुछ बोलना चाहता हूं। मुझे यह फख्र है कि इस सूबे की सरकार ने बहुत पहले से ही, मद्रास के बाद इस सूबे में अछूतों की तरक्की करने के लिये कदम उठाया है। सरकार ने सन् १९३२ ई० में एक एजुकेशन कमेटी बनायी और उसके जरिये से काम शुरू किया गया। सन् १९३४ ई० में एक स्पेशल डिपार्टमेंट कायम किया गया जो ७५ हजार रुपये से शुरू हुआ था। पिछले साल तक सरकार ने ३९,२०,००० रु० दिया। इसी बीच में सरकार ने १० लाख रुपये का इजाफा और कर दिया है। इसके लिये मैं

सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह बात भी सही है कि सरकार ने हमारे पढ़ने-लिखने के लिये क, ख, ग, घ से लेकर एम० ए० और ऊपर की पढ़ाई की फीस माफ कर दी है।

जितनी सरकारी संस्थायें हैं उनमें बहुत पहिले से फीस माफ है और बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी की है। सरकार का आदेश है कि वे सब भी फीस माफ करें और जो उनका नुकसान होगा, वह सरकार देगी और पिछले साल सरकार के करीब ९ लाख रुपया गैर सरकारी संस्थाओं ने फ़ीस माफ़ी के बारे में दिया था जो उनका नुकसान हुआ था लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गैरसरकारी संस्थायें अब भी पूरे तरीके से बच्चों की फीस माफ नहीं करती हैं। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है कि जब सरकार उनका नुकसान पूरा करती है, तो वे क्यों फ़ीस माफ नहीं करते। मुझे यह प्रसन्नता है कि सिवाय मद्रास के बाकी पूरे हिन्दुस्तान में हमारा सूबा सबसे ज्यादा ग्राण्ट इस वक्त इस पर दे रही है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करता हूं कि यह रफ्तार बहुत ढीली है। मुझे यह कहने का हक है कि हमारी मंजिल बहुत दूर है और आपकी रफ्तार बहुत ढीली है। हमें भय है कि जैसी आपकी रफ्तार है, उससे हम अपने मंजिल तक न पहुंच सकें। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो ग्राण्ट वह दे, वह तेजी से दे। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने ७५ हजार से शुरू किया और १६ साल के अन्दर ५० लाख रुपया दिया। अगर यही रफ्तार रही तो १६ साल के बाद एक करोड़ रुपया होगा। लेकिन अगर वह छलांग, जो इस साल आपने पिछले साल की बनिस्बत मारी है यानी १० लाख रुपये ज्यादा दिये हैं अगर हर साल १० लाख रुपये दिये जाये तो ५ साल के अन्दर १ करोड़ रुपये हो जायंगे। एक करोड़ रुपये भी ज्यादा नहीं हैं और मैं अपने मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं उन्होंने बराबर हरिजन सहायक बोर्ड में कहा है कि पैसे के मारे हरिजनों की समस्या बाकी नहीं रह जायगी। सरकार कहीं न कहीं से ढूंढ़ कर रुपया लायेगी और देंगी। अब समय आया है कि सरकार प्रयत्न करे और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारी समस्या को हल करने के लिये काफ़ी रुपया दें ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें। समय कम है, हमारी मंजिल दूर है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा जैसे अहम मसले पर यहाँ पर विचार हो रहा है। विविध किस्म के भाव माननीय एजूकेशन मिनिस्टर को बतलाये गये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्र निर्माण के लिये शिक्षा बहुत ही महत्त्व का विषय है। हमें अपने भविष्य के लिये शिक्षा के स्वरूप को बहुत विचार के साथ और ठीक तरीके से निर्धारित करना होगा, क्योंकि किसी राष्ट्र का बनना, बिगड़ना उसकी शिक्षा पर ही निर्भर है। आज हर तरीके से उस पर विचार विनिमय हुआ है। हमारा देश बहुत गरीब है इसमें कोई शक नहीं है और इसमें भी सन्देह नहीं है कि इसके बनाने में अभी बहुत समय लगेगा।

आलोचना के लिए आज हम कुछ कहें, लेकिन जिस प्रगति से हम आज आगे बढ़ रहे हैं वह प्रशंसनीय है। उसकी अगर हम प्रशंसा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि

"शनैःपंथा, शनैःकंथा, शनैःपर्वत-लंघनम्।"

तो शिक्षा जैसा विषय, बचपन से लेकर युवावस्था तक सिखाया जाता है, वह बहुत महत्त्व की बात है। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर मैं आकृष्ट करूंगी, वह यह है कि देश की परिस्थिति को देखते हुए उन्हें इस बात का विचार जरूर करना है कि कोर्स को शीघ्र शीघ्र बदलना अवांछनीय है। इससे देश के गरीब माँ बापों को अपने बच्चों की किताबें खरीदने में बड़ी परेशानी होती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि गरीब माँ को अपने बच्चों की

[श्रीमती लक्ष्मी देवी]

किताबें खरीदने के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े हैं। इसलिए इतनी शीघ्रता के साथ किताबों को बदलना अवश्य रोका जाय।

दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से लड़कों की शिक्षा के लिए अनुदान घोषित किया गया है उसी तरीके से लड़कियों के लिए घोषित किया जाना चाहिए। हमारे समाज के संगठन के लिए यह आवश्यक है कि चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, सबको बराबर सुविधाएं दी जायें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें पारश्यलिटी (पक्षपात) जाहिर होती है, जिससे हमारी बहिनों के दिलों में कुछ क्षोभ भी पैदा हो जाता है। जबकि हमारे देश के अन्दर स्त्री-पुरुष को समान अवसर दिये गये हैं, तो क्यों उनके साथ ऐसा द्वेष भाव रखा जाय। हमारे लिए दोनों बराबर होने चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि लड़कों की शिक्षा में कमी की जाय। जरूर आगे बढ़ाई जाय। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाय कि लड़कियों की शिक्षा का भी पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जाय।

एक बात मुझे सुन कर बड़ी तकलीफ होती है। पहले मुस्लिम लीग के जमाने में हिन्दू मुस्लिम का सवाल उठाया गया, लेकिन अब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है। इसमें हरिजन, सवर्ण, कोई भी जाति हो, सभी बराबर हैं। इसलिए किसी जाति विशेष के लिए कुछ कहना यह बड़ी कण्टकटु बात लगती ह। आज की सरकार सब को बराबर के भाव से देखती है चाहे हरिजन हों चाहे सवर्ण हों, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्ख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए उसके दिल में गुंजाइश है। ऐसी बात तो नहीं है कि हरिजनों के लिए कोई काम न किया जा रहा हो। हरिजनों के लिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए किसी जाति विशेष के लिए कुछ कहना कुछ तकलीफ की बात हो जाती है। हाँ, यह बात कही जा सकती है कि बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी हुई जातियों को जरूर उठाना चाहिए। उसमें हरिजन भी हैं, सवर्ण भी हैं और खासकर बैकवर्ड क्लास में स्त्रियाँ तो हैं ही, उसमें तो कोई दो रायें हो ही नहीं सकतीं क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए उनकी सुविधा के लिए न सरकार कुछ कर रही है, न हमारी जो संस्थ एं हैं वह कुछ सोच रही हैं। उसके लिए जरूर हर शख्स को कुछ करना चाहिए। लेकिन कोई खास जाति विशेष के लिए कहना मैं, इस चीज को अच्छा नहीं समझती हूं। हम को तो यह देखना है कि हमारे देश के अन्दर जितने भी रहने वाले हैं, हिन्दू हों, मुसलमान हों, सिक्ख हों, ईसाई हों, हरिजन हों, ब्राह्मण हों, कोई भी हो हर शख्स को तरक्की मिले, हर शख्स को सुविधा मिले। शिक्षा ऐसी चीज है जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह पहुंचता है, उसी तरीके से शिक्षा का प्रसार हर एक मनुष्य, जो स्त्री पुरुष के नाम से पुकारा जाता है, उनके मस्तिष्क में करना है। क्योंकि अगर हमारे देश के अन्दर शिक्षा पूर्णरूप से नहीं है, तो हम लोग आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं। शिक्षा के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

इतना कहने के बाद मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगी कि अनिवार्य शिक्षा केवल बालकों के लिए न रहे वरन् लड़कियों के लिए भी हो।

साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी आप को ध्यान देना है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आपके यहाँ काफ़ी इंतजाम हुआ था। टीचर्स को शिक्षा दी गयी थी कि प्रौढ़ शिक्षा किस तरह से जारी की जाय और फिर उनको वहाँ से वापस ले लिया गया। यह कोई हमारे लिये बड़ी प्रसन्नता की बात नहीं है। एक स्कीम हम चालू करते हैं तो उसको आगे ले जाना चाहिये। यह नहीं कि एक कदम आगे बढ़े तो ४ कदम पीछे हटें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आजकल मुझे एक यह बात मालूम हुई है कि जो स्कूल के इंस्पेक्टर्स हैं और जो स्त्री इंस्पेक्टर्स हैं उनमें कुछ भेद-भाव पैदा कर दिया गया है। यह चीज कुछ मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया है। जो डिप्टी इंस्पेक्टर हैं

जिले के, वह स्त्री इंस्पेक्टर के अधीन भी रहने चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इन्तजाम गलत है, तो ऐसी व्यवस्था क्यों की गयी है? यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने यहाँ पर बहुत ही जोरदार शब्दों में यूनिवर्सिटी एजूकेशन को स्क्रैप कर देने की बात कही। मैं यह नहीं समझता कि इतना बड़ा क्रान्तिकारी कदम लेने की आवश्यकता हमारे माननीय सदस्यों को है या यहाँ की जनता को लेना आवश्यक है। आवश्यकता तो इस बात की है कि जो हायर एजूकेशन है, यूनिवर्सिटी की एजूकेशन है, उसके बारे में कोई बुनियादी नीति बनाई जाय और उसको यहाँ पर प्रयुक्त किया जाय। मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया और केवल यूनिवर्सिटियों के कर्जे के बारे में कुछ कह कर मामले को रोक दिया।

यहाँ पर हमारे दो माननीय सदस्य यूनिवर्सिटीज के वाइस-चाँसलर्स भी हैं। मैं तो इस प्रतीक्षा में था कि शायद वे माननीय सदस्य जो कि हमारे सौभाग्य से यहाँ के प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस-चाँसलर्स हैं वे यहाँ यूनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे में प्रकाश डालेंगे और जो यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट जो श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सभापतित्व में बन सकी, उस रिपोर्ट को लागू करने के बारे में अवश्य सरकार कुछ करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट है उस पर वह ध्यान देंगे और अवश्य ही हायर एजूकेशन की जो व्यवस्था है, उसे बदलेंगे और वहाँ जो शिक्षा क्रम चल रहा है, वहाँ का स्टैंडर्ड गिर रहा है उसको ठीक करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो शिक्षा का डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन है (प्रशासन) का उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। हिन्दी यहां की राजभाषा मान ली गयी है लेकिन मैं देखता हूं कि जो डिप्टी इंस्पेक्टर्स है, वे हिन्दी से अब भी अनभिज्ञ हैं। आज ही मैंने एक फोटोस्टेट काग़ज़ मंत्री जी को दिया था जिसमें एक छोटे से ड्राफ्ट में हिन्दी की ४ गलतियां हैं और वह एक डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने की हैं। "उत्तर" को "उत्र" लिखा है। "है" के बजाय "हे" लिखा 'है'। "अपराधों" के बजाय "अपराघो" लिखा है और "यहां" के बजाय "हां" लिखा है। जब हमारी शिक्षा प्रणाली को चलाने वालों की यह हालत है तो फिर शिक्षा की क्या उन्नति हो सकती है?

अध्यापकों के बारे में उत्तरप्रदेशीय अध्यापक मंडल ने कई बार, जैसाकि हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा, इस ओर ध्यान आकृष्ट किया और यह बताया कि उनकी क्या मांग है। सन् १९५० में एक जी० ओ० (सरकारी आदेश) तीन अगस्त के दिन निकला। उसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बढ़े हुए वेतन की व्यवस्था के अनुसार अध्यापकों का वेतन दें, लेकिन आज तक बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने कोई ध्यान नहीं दिया और न सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया।

हाल ही में १३ जुलाई को उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल की एक सभा हुई। उसमें हमारे सदन के माननीय सदस्यों और सरकार से प्रार्थना की गयी थी कि अध्यापकों के वेतन की ओर ध्यान दें लेकिन उस ओर कुछ नहीं किया गया। क्या मैं आशा करूं कि हमारे शिक्षा मंत्री अपने पद ग्रहण के बाद इन अध्यापकों की स्थिति पर, भले ही वे म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हों, ध्यान देंगे और उनकी जो जमाने से मांगें चली आती हैं, उनकी ओर ध्यान देंगे?

इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो सन् १९४७ से सरकारी फाइलों में दबी हुई है, उसकी ओर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यू० पी० पे कमेटी की रिपोर्ट के पेज २० में एक सिफारिश थी कि –

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

"The low-paid and middle-class Government servants have been the worst victims of the economic disorder. The Committee feel that in addition to the liberal scales of pay proposed for this class of Government servants, something more is needed to give them real relief. The Committee therefore recommend that Government servants drawing pay upto Rs. 60 per mensem should be allowed free education for their children upto the High School standard."

[कम वेतन पाने वाले तथा मध्यम वर्ग के सरकारी नौकरों को इस आर्थिक अव्यवस्था से सब से अधिक क्षति पहुंची है। समिति की राय है कि इस वर्ग के सरकारी नौकरों के लिये, उन्हें वास्तविक सहायता पहुंचाने के हेतु, प्रस्तावित उदार वेतनक्रमों के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिये। इसलिये समिति सिफारिश करती है कि ६० रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले सरकारी नौकरों के बच्चों को हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिये।]

उस पर सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया। वह प्रस्ताव मैं पढ़ देना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार सन् १९४७ में ही इस ओर ध्यान देगी और इस पर अपने निश्चय बतायेगी लेकिन आज तक सन् १९४७ के उस प्रस्ताव पर कोई भी अमल नहीं किया गया और सारे प्रदेश के जो ६० रुपया से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं, वे आज तक इसी उम्मीद में है कि सरकार अपने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करेगी और जो ६० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनको सुविधायें देगी।

इसके साथ ही साथ अन्त में मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि कि वे शिक्षा नीति को स्पष्ट कर दें। सेकंडरी एजुकेशन के बारे में जिस प्रकार आचार्य नरेन्द्रदेव जी के सभापतित्व में एक कमेटी बनी है, उसी प्रकार प्राइमरी एजुकेशन के बारे में और हायर एजुकेशन के बारे में चाहे इस सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी बना कर हो, चाहे किसी प्रकार हो, इस आने वाले साल के अन्दर वे शिक्षा नीति को स्पष्ट करें और जिस प्रकार उन्होंने अपने भाषण में एक विभ्रम पैदा कर दिया है, उसको दूर करने की चेष्टा करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो थोड़ा सा समय मेरे पास है उसमें जितने सुझाव मेरे सामने रखे गये हैं, वे उचित हैं या अनुचित हैं इस सम्बन्ध में यदि मैं कहना चाहूं तो शायद बड़ा मुश्किल होगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि जितने महानुभावों ने आपत्तियां की हैं वे यदि सचमुच उनके बारे में जानना चाहें तो वे मुझ से मेरे दफ्तर में मिल सकते हैं और चाहे जितना भी मेरा समय लगे मैं उन्हें अपनी ओर से समझाने का प्रयत्न करूंगा। इसलिये मैं उन प्रश्नों में न जाकर एक ग़लतफ़हमी पहले दूर कर देना चाहता हूं। अपने प्रारम्भिक भाषण में मुझे समयाभाव के कारण यह अवसर नहीं मिला कि मैं स्त्री शिक्षा या हरिजन सहायक विषय के ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकूं। जहां तक स्त्री शिक्षा का सम्बन्ध है जब शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न आप के सम्मुख प्रस्तुत होता है, तो स्त्री शिक्षा भी उसी के अन्तर्गत आ जाती है। प्रारम्भिक स्कूलों में शायद हमारी जो माननीय सदस्या हैं उनको यह भली प्रकार मालूम होगा कि लड़कियां क़रीब करीब उतनी ही पढ़ती हैं जितने कि बालक। हां, जहां तक हायर सेकेंडरी एजुकेशन या युनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक़ है उसमें उनकी संख्या कम है लेकिन सरकार सदैव इस बात का प्रयत्न करती रहेगी कि जिस प्रकार से हो हम अपने भाई कृष्णचन्द्र की बात न मानकर युनिवर्सिटीज़ को बन्द करने के लिये तैयार नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रयत्न करेंगे कि स्त्रियों और हमारी बालिकाओं को भी उच्च शिक्षा के लिये जितनी भी सुगमता हो, प्राप्त हो।

हरिजन सहायक सम्बन्धी विषयों पर श्री श्यामलाल जी का मैं अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मेरा कार्य बड़ा हलका कर दिया। जितना कि हरिजनों के लिये किया जा रहा है वह मैं यह तो

नहीं कहता कि पर्याप्त है लेकिन यह जरूर कहता हूं कि वह संतोषजनक है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, इस प्रान्त को यह गर्व है, इस सरकार को यह गर्व है कि हम देश को जितनी प्रान्तीय सरकारें हैं उनसे अधिक अपने हरिजन भाइयों के लिये कर रहे हैं। लेकिन मैं हरिजन भाइयों से भी एक अनुरोध करूंगा। उनमें से कुछ सदस्यों ने आज जिस मनोवृत्ति का परिचय मुझे इस भवन में दिया वह मैं कहता हूं कि उनके लिये कल्याणप्रद नहीं है। यदि वे अपनी इस मनोवृत्ति को ही संचित करते रहेंगे, उसी के अनुसार कार्य करते रहेंगे, उसी के अनुसार अपना व्यवहार रखेंगे तो शायद उनका कल्याण नहीं होगा। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। निःसंदेह यह सत्य है और हमारे ऊपर यह लांछन है कि सदियों से हमारे समाज में उनका स्थान नीचा रहा है। लेकिन यदि उनको उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है तो यह तर्क ग़लत होगा कि उन लोगों के प्रति आप यह भाव प्रकट करें जो कि यहां सदस्यों ने प्रकट किया है। कहा गया है कि ६५ करोड़ के बजट में सिर्फ ५० लाख रखा गया है। जरा मैं उन सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वे इस ६५ करोड़ के बजट में देखें कि किस ब्राह्मण के लिये, किस क्षत्री के लिये, किस वैश्य के लिये कोई अनुदान है। इस बजट में जितने भी अनुदान हैं वे प्रान्त के रहने वाले सभी लोगों के लिये चाहे वे किसी जाति के हों, चाहे वे किसी धर्म के हों, उनके कल्याणकारी कार्यों के लिये रखे गये हैं। फिर उसमें यदि आप यह देखना चाहें कि "हरिजन" शब्द कहां लिखा हुआ है तो यह एक कलंकित मनोवृत्ति है।

हरिजन सहायक विभाग मेरे सुपुर्द है और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अधिक से अधिक जो भी संभव होगा हम उनके उत्थान के लिये करेंगे। उसमें कम से कम वे ऐसी मनोवृत्ति का परिचय न दें, ऐसी बातें न कहें कि जो दूसरों को दुःखदायी हों। एक भाई ने अनजान में यह कहा कि हम अपने सेटिलमेंट्स में जितना खर्च करते हैं उतना ही तो पैदा भी कर लेते हैं। उनको यदि यह नहीं मालूम था तो उनको मुझसे आ कर पूछ लेना चाहिये था। मैं सदस्यों से कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मैं यह भी समझता हूं कि किसी प्रजातंत्र राज्य में सरकार को अपने सदस्यों से या जनता से कोई बात छिपानी न चाहिए। हमारी कमजोरियां हैं, हमारी असमर्थता है। हम किसी बात को नहीं पूरा कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी केवल उन्हीं लोगों पर नहीं है जो इस तरफ बैठे हैं बल्कि उन लोगों पर भी है जो इधर, उधर या सामने बैठे हुये हैं। यह एक प्रजातंत्र राज्य है। प्रजातंत्र राज्य में आज हम इन कुर्सियों पर बैठे हुये हैं। कल आप बैठ सकते हैं। इसलिये हम को ऐसी बात कहनी चाहिये कि यदि आज ही आपको अपना स्थान बदलना पड़े, उस ओर से इस ओर आपको आकर बैठना पड़े, तो आपकी बात ऐसी गम्भीर होनी चाहिये, आपकी बात इतने ऊंचे स्तर की होनी चाहिये कि फिर आप इन कुर्सियों पर बैठ कर अपनी पुरानी बातों से लज्जित न हों। तो इसलिये हमको कोई बात छिपानी नहीं है। हां, हमको उन सैटिलमेंट्स से रुपया तो दो लाख मिलता है और ६ लाख रुपया हम खर्च करते हैं। एक भाई ने यह भी कहा कि हरिजनों को कतई जमीन नहीं दी गयी। मैं बलरामपुर की हालत तो जानता हूं लेकिन चूंकि इसी सदन में उन्होंने स्वयं इन्कार कर दिया कि वहां हरिजनों को जमीन नहीं मिली है, तो मैं उसका खंडन तो नहीं कर सकता लेकिन अपने आंकड़ों से उनको बता देना चाहता हूं कि अभी तक सरकार द्वारा हरिजनों को कितनी जमीन दी गयी है। ४०० एकड़ जमीन सहारनपुर में दी गई है, १२०० एकड़ कुमायूं और गढ़वाल में दी गई है और १०८० एकड़ बिजनौर में दी गई है। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आज्ञा दे दी गई है कि आप जो परती जमीन का बंदोबस्त लैंड रिक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार करें तो जहां तक सम्भव हो वह पहले हरिजनों को दी जाय। लेकिन यदि वह चाहें कि सब की जमीन लेकर उनको दे दी जाय तो यह असम्भव होगा। यह नीति तो ठीक भी नहीं होगी।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इसलिये जहां तक शिक्षा का संबंध है हम किसी हरिजन लड़के से एक पैसा भी फीस के रूप में प्राइमरी शिक्षा से लेकर युनिवर्सिटी की शिक्षा तक नहीं लेते हैं। सब खर्चा सरकार सहन करती है। अभी मेरी बात हरिजन सहायक आफिसर से हुई थी जिसने मुझे मालूम हुआ कि कुछ इंस्टीटयूशन्स (संस्थाएं) ऐसे हैं जो हरिजनों से फीस ले रहे हैं। मैंने कहा यदि वे फीस लेते हैं तो बतलाइये कि आज तक उन्होंने कितनी फीस ली है। हम उस फीस की रक़म को उनको ग्रांट में से कम कर देंगे क्योंकि हमारी नीति है कि उनसे फीस नहीं ली जायगी। लेकिन यह सब कार्य करते हुये भी आप इस बात पर आक्षेप करें कि हमारी नीति ठीक नहीं है और हम मदद नहीं करना चाहते हैं, हम समाज के इस पिछड़े हुये अंग को अपने साथ नहीं करना चाहते हैं तो हमें दुख होगा।

हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन का जहां तक हरिजनों से ताल्लुक़ है उनकी शिक्षा का स्तर और लोगों से कुछ नीचा रहा करता है इसलिये वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। सर्विसेज का काम हरिजनों का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है बल्कि देश को आगे ले जाने का काम है। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति को, एक सुयोग्य व्यक्ति को और एक ऊंचे स्तर के व्यक्ति को अपने यहां की सर्विसेज में नहीं रखेंगे तो सब का काम बिगड़ेगा और हरिजनों का भी बिगड़ेगा। इसलिये इन सर्विसेज के रिक्रूटमेंट (भर्ती) में एक ऊंचा स्तर रखने की नितांत आवश्यकता है। यह जानते हुये कि हमारे हरिजन बालक पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, हमने इलाहाबाद में इंतजाम किया है, बिना फीस के अपनी तरफ से एक प्रोफेसर रखा है। वह कोचिंग क्लास खोलेगा और पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षायें होती हैं उसके लिये वह तैयार करेगा जिससे हरिजन बालक और बालकों के साथ इन परीक्षाओं में कम्पीट कर सकें। तो जितना भी संभव हो सकता है वह हम करते हैं।

हरिजनों के बालक एक करोड़ या डेढ़ करोड़ के करीब होंगे फिर भी हम उनके लिये जहां तक भी संभव होगा वह करने के लिये खुशी से तैयार हैं। जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि रुपये की कमी की वजह से हरिजनों का कार्य पीछे नहीं रहेगा। हम किसी प्रकार से चाहे जो कुछ भी होगा किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं से रुपया ले आयेंगे और हम इन भाइयों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही हम उनसे कहेंगे कि अगर हम उनकी मदद करना चाहते हैं और हमारी नियत ठीक है तो हमारे मुख पर तो यह नहीं कहा जाय कि तुम्हारी नियत ठीक नहीं है, तुम मदद करना नहीं चाहते हो, क्योंकि काम बिगड़ने की सम्भावना है, बनने की सम्भावना नहीं है।

मैं समझता हूं कि इसके अतिरिक्त यदि हरिजन भाइयों के संबंध में किसी सदस्य को आंकड़े की आवश्यकता हो तो मैं दे सकता हूं कि कितना रुपया हम उनके लिये देते हैं। अभी तक यह नहीं था। अभी तक जो लोन (ऋण) ग्राम उद्योग और घरेलू धंधों के लिए दिया जाता है उसके अतिरिक्त एक लाख रुपया और रखा है जिससे हमारे बख्शी के तालाब से या हरिजन आश्रम इलाहाबाद से जो बच्चे निकलें जिसमें उनको अपने आपको स्थापित करने में मुश्किल न हो उनको भी ग्रांट देते हैं। लेकिन यदि यह कहा जाय कि हरिजनों के लिये इंतजाम कर दीजिये, डेढ़ करोड़ आदमियों के लिये खाने का इंतजाम कर दिया जाय तो मैं उनसे पूछूंगा कि डेढ़ करोड़ आदमियों के खाने के लिये कमायेगा कौन? आखिर कमाने का भी इन्तजाम होना चाहिये। मैं तो यही कहता हूं कि कमाओ और खाओ लेकिन यह कि डेढ़ करोड़ हरिजनों के खाने का इन्तजाम कर दिया जाय, इससे तो देश न आगे बढ़ सकेगा, न हरिजन आगे बढ़ सकेंगे और न देश का भविष्य आगे बढ़ सकेगा। इतना ही मैं हरिजन सहायक विभाग के बारे में कहना पर्याप्त समझता हूं।

प्रारम्भिक भाषण में मैंने यह कहा था कि चूंकि हमारे भावी समाज की व्यवस्था जन-साधारण के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में नहीं है इस कारण से हमारी शिक्षा प्रणाली में दो परस्पर

विरोधी विचार उत्पन्न हो गये हैं। एक यह कहता है कि यह शिक्षा प्रणाली देश के लिये हितकर है, दूसरी विचारधारा यह कहती है कि यह शिक्षा प्रणाली देश के लिये हितकर नहीं है मुमकिन है कृष्णचन्द्र जी का अपनी रूपरेखा का कुछ बहुत बड़ा ज्ञान हो और वह समझते हों कि जो उनका ज्ञान है वही साधारण जनता का भी ज्ञान है, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं समझता। मैंने उदाहरण भी दिया था कि चीन और रूस के समक्ष सिर्फ एक धारा है और वह यह कि उनको एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करनी है। इसलिये उनके यहां इस बात पर विवाद नहीं हो सकता कि जो शिक्षा प्रणाली उनके यहां इस समय रायज है वह देश के लिये उपयुक्त है या नहीं। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी, लेकिन उस पर एक उच्च स्वर में कृष्णचन्द्र जी ने व्याख्यान दे डाला जैसे कि मैं उतना भी नहीं समझ सकता। खैर मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा था वह अब भी ठीक समझता हूं और बावजूद उनके उच्च स्वर के भी ठीक समझता हूं और इसलिये कहता हूं कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली बदल कर दूसरी शिक्षा प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि जनसमूह का सहयोग उसके साथ न होगा। वह शिक्षा प्रणाली तब तक अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती जब तक कि जनसाधारण का सहयोग उसे न प्राप्त हो और वह इस बात पर अपना मतैक्य कर ले कि हमारा भावी समाज किस प्रकार का होगा और किस प्रकार से हमको समाज का सृजन करना होगा।

इसी दौरान में कृष्णचन्द्र जी और नारायण दत्त जी ने भवन का ध्यान आकृष्ट किया कि यूनिवर्सिटीज बन्द कर दी जायं। मैं तो जब स्वराज्य की लड़ाई में उतरा था तब यह नहीं समझता था कि स्वराज्य के ४ वर्ष बाद यह अवस्था आ जायगी कि हमको यूनिवर्सिटीज बन्द कर देनी पड़ेंगी और अगर शायद मैं यह समझता तो इस स्वराज्य की शायद बहुत अधिक आवश्यकता भी न समझता। दुनिया बढ़ती जा रही है। दुनिया में हवाई जहाज, ऐटम बम और ऐटम (अणु) से छोटी चीज बन रही हैं और कृष्णचन्द्र जी देश से कहते हैं नहीं, तुम रुक जाओ, दुनिया को बढ़ने दो और हम कुएं के मेढक की तरह यूनिवर्सिटीज बन्द करके पीछे रहें। हिन्दुस्तान का इतिहास अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि यही मनोवृत्ति का इजहार करके हम पीछे रह गये और सारी दुनिया आगे बढ़ गई। हमने नहीं सोचा था कि हम भी दुनिया के एक अंग हैं, दुनियां के अंग बन कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने हिन्दुस्तान को दुनियां से अलग समझा और अपनी ही कमजोरियों में फंसे रहे और जब हम हिमालय की उच्च शिखर पर थ, दुनिया हम से आगे बढ़ गई और हम उस शिखर से पाताल में गिर पड़। तो मुझे अफसोस ह कि मैं उनको निराश कर रहा हूं कि मैं उनकी इस नीति को मानने के लिये किसी तरह से तैयार नहीं हूं और जिस रोज यह सरकार इस नीति को अपना लेगी मेरे लिये यहाँ पर कोई स्थान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि चाहे जो भी हो हमने दुनिया को ज्ञान दिया है और हमने दुनिया को गुरु दिया है हम आज भी वही व्यवस्था करें और दुनिया को ज्ञान दें। लेकिन जरा सोचिये कि ४ वर्ष के लिये यूनिवर्सिटी बन्द हो गई फिर क्या होगा? यह सब बच्चे जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ रहे हैं कहां जायंगे? यूनिवर्सिटीज के अन्दर करोड़ों रुपये जो साइन्टिफिक सामान में लगे हुये हैं उनका क्या होगा? पांच सात सालके बाद लड़के स्कूलों से बाहर आगे बढ़ने के लिये निकलेंगे मगर आप ताला लेकर जायंगे। यह बात जोश में आकर या आवेश में आकर कहने की नहीं है और इस सदन के माननीय सदस्य के लिये किसी आवेश में आकर इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है। आप हम सभी प्रजा के चुने हुये सदस्य हैं। हमारे ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। हमको किसी आवेश में आकर कोई ऐसा क़दम नहीं उठाना चाहिये, चाहे हमारे विचार जो भी हों, जिससे कि जनता- विशेष का कोई लाभ न हो। इसलिये मैं और क्या कहूं मुझे तो यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि हममें ऐसे लोग भी हैं जो यह चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज को ताला लगा दिया जाय।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

उसके बाद बुलन्दशहर के भाई दीनदयाल जी का भाषण हुआ। उनका भाषण सुनकर भी मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हुआ, इसलिये कि उससे उच्च मुझ कोई विश्वास नहीं था कि वह एसा कह सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि ७५ हजार रुपया जो स्कालरशिप दिया जाता है वह प्रतिभाशाली बच्चों को नहीं दिया जाता है। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मैं उनको दावत देता हूं कि वह अपने से कम ईमानदार किसी को न समझें। यह किसी मनुष्य के लिये सुन्दर नहीं हुआ करता कि वह अपने को बड़ा ईमानदार और उच्च कोटि का आदमी समझे और दूसरे को उससे नीचा समझे। मैं उनको आज भी दावत देता हूं कि वह आयें और मैं उनको एक एक लड़के का कागज़ दिखा दूंगा कि जिस जिस को वह स्कालरशिप दिया गया है वह सचमुच प्रतिभाशाली लड़का रहा है और उसको ही वह दिया गया है। हां, इस बात का विचार नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि मेरे पूर्वाधिकारी ने भी नहीं किया, इसलिये मैं उनको भी निराश करने पर मजबूर हूं कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता कि मैं देखूं कि यह लड़का गाँव का है या नहीं, इसका बाप पढ़ा-लिखा है या नहीं, इसका बाप निरक्षर है या नहीं। अगर लड़का प्रतिभाशाली है तो वह भी उतना ही अच्छा लड़का है जितना कि एक गरीब का लड़का हो सकता है। हम प्रतिभाशाली लड़कों को वजीफा देते हैं न कि गरीब और अमीर को। हम समझते हैं कि वह देश की थाती है और देश को उससे कुछ मिलेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि उसको हम वजीफा दें जिसमें वह आगे बढ़कर देश को और देश द्वारा दुनिया को दे सके। इसमें इस बात का विचार नहीं किया जा सकता और देश के लिये यह घातक नीति होगी अगर उसमें इस बात का विचार किया जायेगा कि वह लड़का गरीब घर में पैदा हुआ है या अमीर घर का लड़का है।

हाँ, गरीबों के लिये जैसा कि दीनदयाल जी ने कहा था रकम है। उसमें भी मैं उनको दावत देता हूं कि वह आकर एक केस भी बतला दें कि जिसमें किसी दूसरे विचार से किसी लड़के को वजीफा दिया गया हो और इस साल के लिये तो उन्होंने एक इतनी लज्जाजनक बात कही कि मुझे अफसोस है कि इस भवन में मुझे यह शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल के वायदे पहले ही हो गये होंगे और ऐसा मालूम होता है कि वह शायद इस नीति में हमसे अधिक निपुण हैं, इसीलिये उन्होंने यह कहा कि इस साल के लिये वायदे हो चुके होंगे। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जितनी दरख्वास्तें हैं वह मेरे दफ्तर में पड़ी हैं और मैं उनका एक चार्ट बनवा रहा हूं। बहुत से गरीब लड़कों में से मुझको ही धोका हुआ और मैंने इन्क्वायरी भी करा रखी है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछता भी हूं। बुलन्दशहर के बारे में मैं उन्हीं के पास भेज दूंगा कि वे लड़के गरीब हैं या नहीं वे बतलावें लेकिन यह कहना कि पहले से वादे हो गये होंगे ऐसी बात कहना सरकार के लिये अनुचित बात है और स्तर से नीचे की बात है और भवन में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि बुलन्दशहर हमारे यहाँ के उन जिलों में से है जिसने शिक्षा के लिये बहुत कुछ खर्च किया है। मुझको दीन दयाल जी से शिकायत है कि अगर उनको इतनी बड़ी शिकायत थी तो वह मेरे मित्र हैं और साथी भी हैं कि अगर उनको इतनी बड़ी शिकायत थी तो वह मेरे पास आ सकते थे और मुझसे कह सकते थे। वह कम से कम मुझको शिक्षा विभाग में पाते हैं तो भवन में कहने के पहले उनको चाहिए था कि कोई चीज मेरे सामने रखते और यदि उनको समुचित उत्तर न मिलता तो वे इसकी शिकायत करते। लेकिन यहाँ आकर खड़े होकर किसी के नीयत पर हमला करना कि नियमों का पालन नहीं होता और स्कालरशिप के बारे में पहले से वादे हो जाते हैं ऐसी बात सुनना हमारे लिये लज्जा की बात है और उनके लिये अनुचित बात है।

समय की मेरे पास कमी है, मैं कहना तो अधिक चाहता था। हाँ, विश्वम्भरनाथ जी ने आरोप तो नहीं, लेकन कुछ आरोपों के से ही शब्दों में यह कहा कि इस सरकार के लिये यह लज्जा की बात है और उनके लिये लज्जा की बात है कि गाँधी जी के स्मारक के लिये डेढ़ करोड़ रुपया नहीं लगा सकती। वह चाहें जो कहें लेकिन

मैं उनसे कहूंगा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जो चीज गाँधी जी को प्रिय थीं यदि उनको आगे बढ़ाने में हम रुपया लगाते हैं तो गाँधी जी का यही सबसे बड़ा स्मारक होगा और इस से बड़ा और कोई स्मारक नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक स्मारक की बात है कि उसमें ५० हजार मद्रास ने, ६० हजार बम्बई सरकार ने लगा कर बनाया है तो मैं कहूंगा कि वह तो बड़े शहर हैं लेकिन लाखों रुपया स्मारक में हमारे दो-चार शहरों ने लगाया है। जहाँ तक गाँधी जी के स्मारक का सम्बन्ध है वह हम लोगों के सामने है और हम उनको ठीक ढंग से बनाना चाहते हैं। अगर इस वक्त रुपया नहीं है तो कल हो सकता है, परसों हो सकता है। हमारे स्वराज्य का स्मारक ही गाँधी जी का स्मारक है। यदि हम स्वराज्य को सफल बना सकें और देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बना सकें और साथ ही देश की गरीबी को दूर कर दें तो हमारे लिये इससे बड़ा कोई और गाँधी जी का स्मारक नहीं हो सकता। गाँधी जी के स्मारक को हम ईंट-पत्थर से ऊंचा नहीं उठा सकते बल्कि हम अपने कामों की सफलता और कार्यों से गाँधी जी को उच्चतम शिखर पर ले जा सकते हैं। फिर भी हम विश्वम्भरनाथ जी को विश्वास दिलाते हैं कि आज की आर्थिक स्थिति कठिन होते हुए भी प्रयत्न करेंगे और हम इसको उचित समझते हैं कि ऐसे इन्स्टीट्यूशन का स्थान हमारी कल्चर में हमारी संस्कृति में होना चाहिए और हम उनकी रक्षा भी करना चाहते हैं। हमें उसका भी दर्द है और हम उसका गौरव भी करते हैं और जितना भी सम्भव हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन इस समय आवश्यकता इस बात की है हम रुपये को अधिक जरूरी चीजों में लगावें। तो मैं समझता हूं और कम से कम मेरा विश्वास है कि कल्चर (संस्कृति) भूख से पीछे ही आती है।

श्री राजनारायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, पहले तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि समय में हमारे लिये कुछ बढ़ती होनी चाहिए, क्योंकि तीनों अनुदान एक ही साथ ले लिये गये हैं और तीनों पर हमारे कटौती के प्रस्ताव थे।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य को पहले ५ मिनट अधिक दिये गये थे। अब ९ मिनट बाकी हैं, क्योंकि ६ बजे खत्म होगा। तो ७ के ९ मिनट हो गये अर्थात् २ मिनट बढ़ गये।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो बता देना चाहता हूं कि हम शिक्षा में क्या चाहते हैं। शिक्षा में बजट का कम से कम २० प्रतिशत खर्च होना चाहिए। खेर कमेटी जो पहले कायम हुई थी उसने इसकी सिफारिश की थी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पोलीटेक्निक स्कूल हर जगह खोले जायं। पीपल्स कालेज भी हमारे सूबे में चलाये जावें। कम्पलसरी सोशल सर्विस जो हमारे शिक्षा मन्त्री जी बहुत धुंधले तरीके से चलाना चाहते हैं, उसे ठीक तरीक़े से चलाया जाय। बैकवर्ड कम्यूनिटीज और पिछड़ी जाति वालों के लिये कम से कम १ करोड़ रुपया अवश्य रखना चाहिए। हमारे परीक्षा के सिस्टम (प्रणाली) में रिवीजन (संशोधन) होना चाहिए। अगर हम नरेन्द्रदेव कमेटी की बात करते हैं, तो उस कमेटी ने रिपोर्ट में क्या सुझाव दिये हैं उधर भी शिक्षा मन्त्री का ध्यान जाना चाहिए जो मैनेजिंग कमेटीज हायर सेकेन्डरी स्कूलों में बनती हैं उसमें टीचर्स और विद्यार्थियों का भी रीप्रिजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) होना चाहिए। फ्री प्राईमरी एजूकेशन होनी चाहिए। गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये भी कुछ कर्ज देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हरिजन विद्यार्थियों की फीस तो कतई माफ होनी चाहिए और यही नहीं, उनके खाने का भी प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हरिजन लोग खाने कमाने में ही तमाम दिन लगे होने से स्कूलों में नहीं जा पाते हैं।

इसके बाद मैं उन अध्यापकों के बारे में कहूंगा जिनके बारे में पहले नहीं कह सका था। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक हैं जिन्होंने हड़ताल की थी। मुझे याद है कि किस तरीके से उनकी हड़ताल स्थगित कराई गई। १९४९ के अगस्त में सरकार ने जो आदेश दिया

[श्री राजनारायण]

उसका पालन होना चाहिए और जिन जिला बोर्डों ने उसका पालन नहीं किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीया प्रकाशवती सूद जी ने स्त्रियों की शिक्षा के बारे में कहा कि विरोधी दल के नेता ने स्त्रियों की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा। शिक्षा मन्त्री के लिये यह आरोप उचित हो सकता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी कोई नीति नहीं है चाहे वह दूसरे भाषण से उसमें संशोधन करें। उसका अर्थ हमारे लिये नगण्य है। मैं तो शिक्षा मन्त्री जी की इस बात के लिये तारीफ करने वाला था, क्योंकि एक स्पष्ट बात उन्होंने कही थी। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रेजरी बैन्चेज के जितने सम्मानित सदस्य यहाँ पर हैं समझ लें कि शिक्षा मन्त्री जी ने एक सही बात यहाँ कही थी कि उनकी शिक्षा के बारे में कोई पालिसी नहीं है। और जो सम्मानित सदस्य सिद्धांत के ऊपर यहाँ आकर के काँग्रेस के दर्शन और फिलासफी की बात कहें उनसे मैं निहायत अदब के साथ कहता हूं कि वे उनको पढ़ने की कोशिश करें। काँग्रेस कार्यक्रम में वह दर्शन, वह चित्र नहीं स्पष्ट किया है जिससे प्रान्तीय सरकार की शिक्षा नीति स्पष्ट हो। मैं माननीया प्रकाशवती सूद से अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जब हमने शुरू में कह दिया था कि हम उस तरह की शिक्षा नहीं चाहते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग में विषमता और शोषण की नीति हो, तो वे क्या नहीं समझ रही हैं कि स्त्रियों का कितना शोषण हो रहा है? स्त्रियों का शोषण हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा हो रहा है। केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, आप जरा घरों में तो जाकर देखें, साधारण वर्ग की बात क्या कहें, मध्यम वर्ग के लोगों के घरों की स्त्रियाँ भी आधा-आधा पेट खा कर रह जाती हैं। घर में मेहमान आ जाते हैं उनको खिला देती हैं लेकिन अपने आप भूखों रह जाती हैं। यहाँ असेम्बली के अन्दर बड़े बड़े शब्दों में भाषण देने से गरजने से काम नहीं चलने वाला है। मैं तमाम माननीय सदस्याओं को आमन्त्रित करता हूं आवें हमारे साथ, केवल शब्द जाल छोड़ें तब जाकर स्त्री-जगत् का कल्याण होगा, काँग्रेस पार्टी के अनुशासन में रह कर तेज शब्दों से कल्याण नहीं होगा।

एक बात मैं अपने उन शिक्षकों के बारे में कहना चाहता हूं जो शास्त्री, आचार्य, आलिम फाजिल हैं उनके बारे में हमारे भूतपूर्व एजूकेशन मिनिस्टर साहब ने सन् १९४७ में यह घोषणा की थी कि उनको ग्रेजुयेट ग्रेड दिया जायेगा, वह घोषणा कार्यान्वित होनी चाहिए।

आदरणीय स्पीकर महोदय, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी की डाट-फटकार माननीय हरिजन सदस्यों को सुननी पड़ी। शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि जिस तरीके से कुछ हरिजन सदस्यों ने भाषण किया है वह उन्हीं के लिये कल्याणकारी नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जिन हरिजन सदस्यों ने यहाँ पर भाषण किया है उन्होंने ठीक ही कहा है। अगर शिक्षा मन्त्री जी की तरफ से उनको अनुशासन की बिना पर चेतावनी दी जाती है तो मैं अपने उन हरिजन भाइयों से अपील करूंगा कि आखिर शिक्षा के क्या माने हैं? जनतन्त्र में व्यक्ति के ऊपर पार्टी और पार्टी के ऊपर देश होता है। यदि अनुशासन-हीनता के नाम पर उनसे इस तरह की अनर्गल बातें की जाती हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वे ऐसी पार्टी को छोड़कर उससे अलग हो जायं।

हमारे प्रतापगढ़ के सज्जन ने कुछ कहा था। मैं प्रतापगढ़ के बारे में कुछ थोड़ा सा बतला देना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ पर चुनाव के समय करीब २०० अध्यापक उस जिले में चुनाव काम के लिये रखे गये उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से तनख्वाहें दी गयीं और इस बीच में वे अपने क्लास में बिलकुल नहीं गये। इसके रिकार्ड मौजूद हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए और शिक्षा मन्त्री जी इसकी जाँच करें।

सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कहा गया है कि उसने यह कर दिया वह कर दिया। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ने वह कर दिया है कि जिसकी वजह से श्रीमान् लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि सन् ४२ के आन्दोलन में जिस वक्त कि क्रान्ति की चिनगारी फूट रही थी उस वक्त भी क्या कोई मन्त्री जेलों के बाहर थे? उस वक्त तमाम मन्त्री लोग जेलों

में बन्द थे। वह जयप्रकाश नारायण और लोहिया ही थे और थे उनके साथीगण जिन्होंने हजारीबाग की चहारदीवारी फांद कर बाहर आकर मुल्क में अलख जगाया था। मैं माननीय मन्त्रीगण को बतलाना चाहता हूंकि जिस स्वतन्त्रता के लिये अगणित ललनाओं के सिन्दूर धुल गये, अगणित माताओं के मासूम बच्चे संगीनों की नोक पर रखे गये, अगणित रण बाँकुड़े फांसी की रस्सियों को चूमें वह स्वराज्य यह काँग्रेस राज नहीं है, वह स्वराज्य तो अभी आने वाला है और हम उस स्वराज्य की स्थापना करेंगे। काँग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, यह ध्रुव सत्य है। व्यक्ति के ऊपर पार्टी और पार्टी के ऊपर देश होता है। मुझे निहायत खुशी है कि अब काँग्रेस पार्टी के अन्दर यह भावना पैदा होने लगी है और मैं उसकी कदर करता हूं। मैं उनको न्यौता देता हूं कि वे इस तरह से अनुशासन के चंगुल में अपने को फंसा कर अपने विचारों को मोड़ें नहीं, बाहर आवें तो सच्चा विचार कार्यान्वित होगा।

आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसी सम्मानित सदस्य के भाषण करने पर किसी मंत्री का इस प्रकार धमकी देना विशेषाधिकार भंग (ब्रीच आफ प्रिविलेज) है।

अध्यक्ष--यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है। माननीय मंत्री ने कोई भी धमकी की बात नहीं कहीं है। सलाह दी थी।

श्री राजनारायण--आदरणीय स्पीकर ने इस पर रूलिंग भी दे दी। इसलिये सर माथे लेकिन मैं कहता हूं कि इस डायरेक्ट (प्रत्यक्ष) तरीके से किसी व्यक्ति को पैनैलाईज (दण्डित) न किया जाय। यह नहीं होना चाहिए और इस तरह की बातें अगर सदन में हुआ करेंगी, तो सदन के स्वस्थ कार्य में बाधा पड़ेगी।

अध्यक्ष--क्या आप अपने कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री राजनारायण--जी नहीं, इस पर राय ले लीजिए।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा (लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७-शिक्षा) के अन्तर्गत ८,११,१२,८०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान, (लेखा शीर्षक ५७--विविधि व्यय) के अन्तर्गत ४९,६१,७०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७--वैज्ञानिक विभाग-(लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग) के अन्तर्गत ३५,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भारतीय मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि भारतीय मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के दो स्थानों के लिये ४ सदस्यों का नामांकन कल घोषित किया गया था। श्री मुरलीधर कुरील, श्री हकीम बशीर अहमद, श्री धर्मदास बंछ, श्री लक्ष्मण राव कदम। श्री मुरलीधर

[अध्यक्ष]

कुरील और लक्ष्मण राव कदम ने अपने नाम वापिस ले लिये हैं। अब केवल दो सदस्य रह गये हैं, श्री हकीम बशीर अहमद और श्री धर्मदास वैद्य। इनका यह निर्वाचन उचित रीति से हुआ है और इस लिये इनके नाम घोषित कर दिये जाते हैं।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

अध्यक्ष--दूसरे मैंने अभी सूचना दी थी कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के चार स्थानों के लिये १० सदस्यों के नामांकन घोषित किये गये थे। उनमें से ५ सदस्य श्री पुत्तू लाल, श्री शिव राम पान्डेय, श्री श्रीचन्द, श्री गज्जू राम और श्री उमाशंकर ने अपने नाम वापिस ले लिये हैं। अब पाँच सदस्य रह गये हैं। श्री रामस्वरूप गुप्त, श्री गंगा प्रसाद, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री केशव प्रसाद पाण्डेय, श्री विष्णू दयाल। ४ स्थानों का चुनाव होने वाला था और ५ नाम नामाँकित हैं, इसलिये मैंने घोषणा की थी कि समय बदल कर ५ की जगह ६ बजे चुनाव हो जायगा। उस समय माननीय रामस्वरूप जी गुप्त नहीं आये थे। जिस समय तक नाम वापिस लेने की अवधि थी उस समय वह मौजूद नहीं थे और समय के बीच में उनको ऐसा करने की इजाजत का पता नहीं था। श्री रामस्वरूप गुप्त जी की तबीयत खराब थी लेकिन अब वह आ गये हैं और उन्होंने मुझे पत्र लिखा है कि क्राइम प्रिवेन्शन कमेटी (अपराध निरोधक समिति) से वह अपना नाम वापस लेना चाहते हैं यदि सदन की अनुमति हो। क्योंकि सदन को अपने कार्यक्रम को निश्चित करने का पूर्ण अधिकार है और कोई ऐसा नियम नहीं है जो बाधक हो, इसके लिये अध्यक्ष तो केवल समय नियत करता है और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है कि नियत समय के बाद नाम वापस ले लिया जावे। इसलिये अगर सदन की इजाजत हो कि वह अपना नाम वापस ले सकें तो सदन अपनी राय देवे जिससे यह चुनाव निर्विरोध होकर सदन का समय बच सकेगा। श्री रामस्वरूप गुप्त जी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं।

(सदन की अनुमति से नाम वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--अब मैं श्री गंगा प्रसाद, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री केशव प्रसाद पाण्डेय और श्री विष्णु दयाल, ये चार सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१८ जुलाई, १९५२

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस०यू० पी०--२८ एल० ए०--१९५२--८३०